खण्ड-191, अंक-1
सोमवार, 21 माघ, शक संवत् 1879
(10 फरवरी, 1958 ई0)

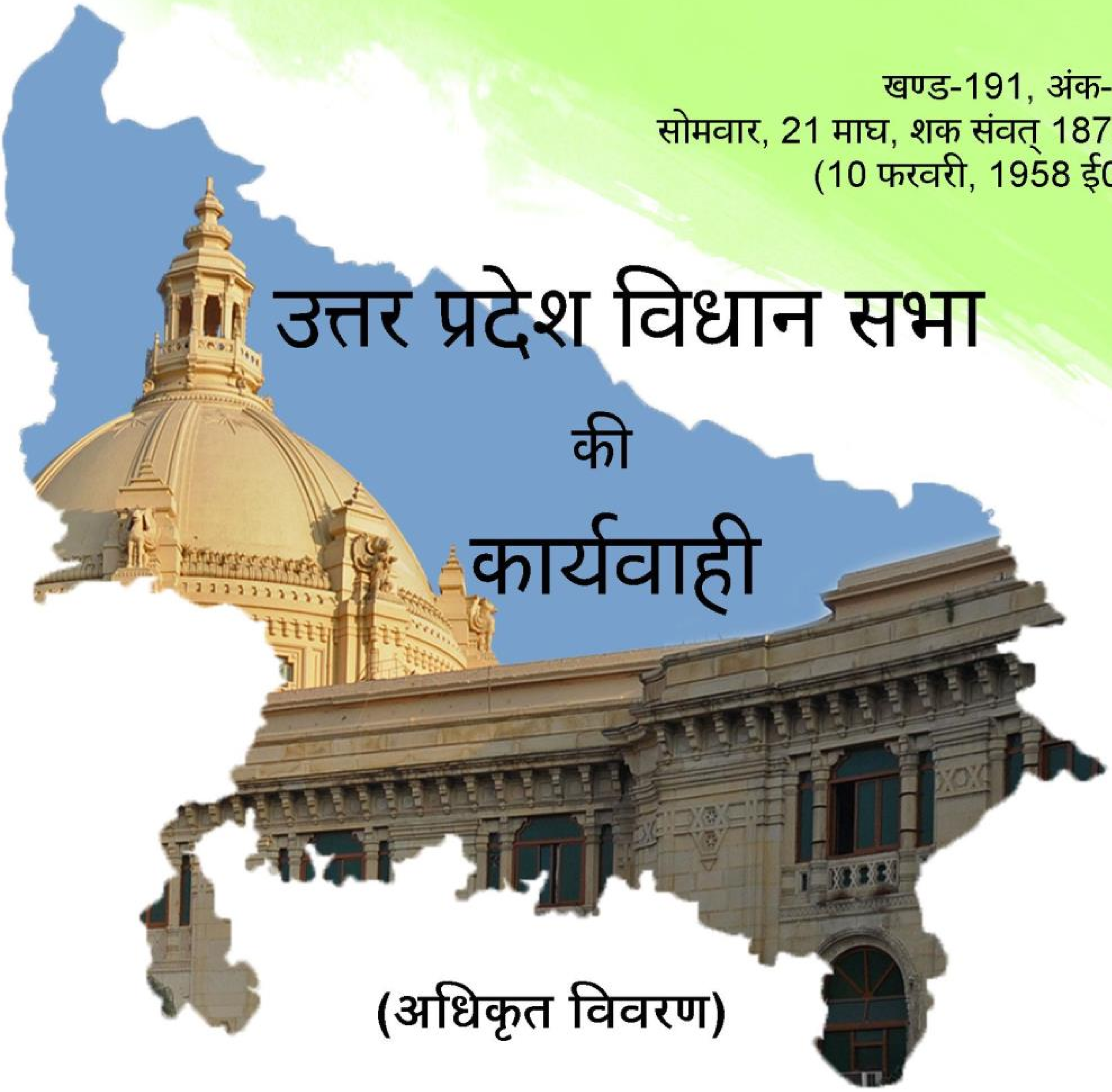

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
विनियोग लेखे १९५३–५४ तथा लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५५ एवं वित्त लेखे १९५३–५४ और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५४ (मेज़ पर रखी गयी)	२९–३०
उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ (विचार जारी)	३०–३८
समितियों के निर्वाचन में उपाध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करने से पूर्व उपाध्यक्ष की अनुमति लेने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का वक्तव्य ..	३८–४०
उत्तर प्रदेश सरकारी-बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	४०–७०
स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा किंग एडवर्ड सप्तम सेनेटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	७०–७१
नन्थी	७२–७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्दबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्दसिंह रावत, श्री
चन्दहास मिश्र, श्री
चन्दावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदी लाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुखामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुगीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
मोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[११ फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में सिंचाई की नवीन योजना चालू करने की मांग

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार झांसी जिले में सिंचाई की कोई नई योजना कार्यान्वित करने वाली है? यदि हां, तो क्या और कहां, तथा उससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—झांसी जिले में उन योजनाओं के अतिरिक्त जो पहले ही से कार्यान्वित हो रही हैं किसी अन्य नई योजना के कार्यान्वित करने का विचार नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगस्त में ढालन पद्धति द्वारा ३,२०० एकड़ भूमि सींचने के लिये जो २४ मील नहर बनाने का निश्चय किया गया था वह क्यों स्थगित कर दिया गया?

श्री राममूर्ति—मुझे इस योजना के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन सम्भवतः उसको इसलिये रोक दिया गया होगा कि आजकल पैसे की कुछ कमी हो गयी है और इसलिए काम रुक गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए अगले वर्ष में विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य मेरे लिये नोट लिख कर भेज दें तो मैं उसके लिये सब मालूमात हासिल कर के डिटेल में भेज दूंगा।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

रजबहों के निर्माण के लिये भूमि प्राप्ति के सम्बन्ध में आदेश

*५—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन ने अभी हाल में ऐसे आदेश जारी किये हैं कि जब तक जमीन एक्वायर न कर ली जाय नये बनने वाले रजबहों का निर्माण का काम रोक दिया जाय?

श्री राममूर्ति—जो भूमि सरकारी विज्ञप्ति द्वारा नहीं प्राप्त की गयी है उस भूमि पर कार्य आरम्भ न करने के लिये पूर्व से ही अनुदेश लागू हैं। सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर पुनः आकर्षित कर दिया गया है। यह अनुदेश सब सिंचाई की योजनाओं पर लागू है।

*६—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इस आदेश के कारण कुछ ऐसे काम रोक दिये गये हैं जिनके शीघ्र पूरा हो जाने की सम्भावना थी और जिनके बन जाने से इसी रबी की फसल में सिंचाई की जा सकती थी ?

श्री राममूर्ति—ऐसा कोई मामला सरकार की दृष्टि में नहीं आया है किन्तु इस प्रकार के मामले हो सकते हैं क्योंकि बिना सरकारी विज्ञप्ति के भूमि को ले लेना अवैध है। ऐसे मामले जब नोटिस में आते हैं तो संबंधित भूमि को न्यायानुसार प्राप्त करने की कार्यवाही में जल्दी कर दी जाती है।

*७—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार जिलाधीशों को इस प्रकार का आदेश देने की व्यवस्था करेगी कि भूमि एक्वायर करने की कार्यवाही को प्राथमिकता दें जिससे इन रजबहों के निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा सके ?

श्री राममूर्ति—भूमि एक्वायर करने की कार्यवाही को प्राथमिकता देने के विषय में जिलाधीशों को आदेश देने का विचार नहीं है। सिंचाई विभाग के कार्यों के लिये भूमि एक्वायर करने के काम को शीघ्र ही पूरा करने के हेतु, ९ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर नियुक्त हैं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में लोन नदी और जमुना के बीच में काम शुरू होने वाला था वह रोक दिया गया है क्योंकि जमीन पूरी तरह से एक्वायर नहीं हो पायी है ?

श्री राममूर्ति—यह तो मान्यवर, मैंने कहा है कि जमीन एक्वायर नहीं हो पायी है इसलिये जो काम शुरू होने वाला था उसको रोक दिया गया।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इस प्रार्थना पर विचार करेगी कि यदि वहां के किसान फ्री जमीन नहर बनाने के लिये देने को तैयार हैं तो काम शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—यदि आदि से अन्त तक सब तरफ के किसान दरख्वास्त दे देंगे तो सरकार जरूर काम शुरू कर देगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि सरकार की ओर से भूमि एक्वायर करने के वास्ते जो मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ में नियुक्त हैं उनके पास काम काफ़ी है, इसलिये देर लगती है ?

श्री राममूर्ति—काम के लिहाज से आदमी नियुक्त किये गये हैं लेकिन फिर भी एक वक्त सब काम हो नहीं पायेगा। काम में तो थोड़ी देर लगती ही है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि जो जमीन एक्वायर की जाती है उसकी कार्यवाही मार्च, अप्रैल या मई में की जानी चाहिये ताकि बोई हुई फसल नष्ट न हो ?

श्री राममूर्ति—विभाग की तरफ़ से ऐसे आदेश हैं कि जब फसल खड़ी रहे उस वक्त तक जमीनें न ली जायं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर ऐसे स्थानों की एक्वायरी करायेगी जहां पर सिंचाई विभाग की ओर से योजनायें कार्यान्वित कर दी गयी हैं ? यदि वे योजनायें पूरी नहीं होंगी तो एक्वायरमेंट की कार्यवाही में तथा आगे काफ़ी गांवों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्या सरकार उसको उस बीच में पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—इस बात पर सरकार की तरफ़ से विचार हुआ लेकिन लैंड रिफ़ार्म कमिश्नर की तरफ से कुछ कानूनी दिक्कतें उठा दी गयीं इसलिये हमारे डिपार्टमेंट की मजबूरी हुई।

श्री राजनारायण—क्या सरकार जिन किसानों ने आपत्ति नहीं उठायी है और उनकी जमीन इन योजनाओं के अन्तर्गत आ गयी है उनको जल्दी से मुआवजा देगी या उनके नुकसान को देने के लिये तैयार है ?

श्री राममूर्ति—मुआवजा देने के बारे में आदेश हैं कि जल्दी से जल्दी केसेज को निपटाया जाय और उनको मुआवजा दिया जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो ९ लैंड एक्वीजीशन आफिसर मुकर्रर किये गये हैं इनके कहां-कहां मामले तय करने के स्थान हैं ? क्या ये सारे सूबे में घूम-घूम कर काम करते हैं ?

श्री राममूर्ति—इनके अलग-अलग हेडक्वार्टर बने हैं। ९ जगहों पर हेडक्वार्टर हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—जो जमीन एक्वायर की जाती है वह बिना मुआवजा दिये काम में न लायी जाय ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो पहले ही प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जिन किसानों ने आपत्ति नहीं उठायी उनकी जमीन ले ली गयी है और आगे चल करके आपत्ति उठी हैं तो वह इस बात की भी एन्क्वायरी करेगी कि स्थानीय अधिकारी यह कह रहे हैं कि चूंकि योजना अभी पूरी नहीं हुई इसलिये मुआवजा नहीं दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, माननीय सदस्य जिस योजना के बारे में जिक्र कर रहे हैं अगर वह लिख कर मेरे पास भेज दें तो मैं मालूमात भी करा दूंगा और इस बात की हिदायत भी करूंगा कि जल्द से जल्द वहां काम भी पूरा किया जाय और जो दिक्कतें हैं उनको खत्म किया जाय।

*८–९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०–१२—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३–१४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५–१६—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७–१८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[ग्यारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३६–३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०–२१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२–२४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६-२८—श्री जगदीशशरणअग्रवाल (जिला बरेली)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिले की बढ़वल नहर से सिंचाई में असुविधा

*३०—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि बनारस जिले के चन्दौली तहसील की बढ़वल नहर जो पहले धानापुर नहर के नाम से प्रसिद्ध थी उसके किनारे बसे गांव पड़यां, जसुरी, बासूपुर, धुरीकोट, चकिया, पुरवा, वरठा, बारंगोचक, मधुपुर, किसुनदासपुर, वनवलीखुर्द, बसिला, चैनपुरवा, आदि को एक एकड़ भी जमीन की सिंचाई कुलावे से नहीं होती? अगर हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री गौरीशंकरराय—क्या यह सच है कि नहर जिस मार्ग से, जिस सतह से, जाती है उससे ऊंची सतह उसके दोनों तरफ की जमीन की है?

श्री राममूर्ति—ऐसा सब गांवों के बारे में नहीं है। बासूपुर, चकिया, पुरवा और मधुपुर, इन ४ गांवों की जमीन ऊंची है। वहां पर डगले वगैरह के जरिये से पानी को उठाकर आबपाशी की जा सकती है। जिन और गांवों का जिक्र किया गया है वहां पर तो तोड़ से आबपाशी हो रही है। उसका ब्योरा मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—जिन गांवों की सतह ऊंची है, उनमें पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था आपने की है?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मैंने अभी अर्ज किया कि अगर वहां पर तोड़ की आबपाशी नहीं होती है। तो डगले से पानी को लिफ्ट करने का तरीका अख्तियार करें तो हो सकती है।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने यह पूछा कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? लोग अगर लिफ्ट करने की व्यवस्था कर लें तब तो हो जाय, लेकिन चूंकि सतह ऊंची है नहर से तो उसमें पानी पहुंचाने के लिये सरकार और सिंचाई विभाग क्या कर रहा है?

श्री राममूर्ति—ऐसी स्थिति में सरकार तो कोई खास काम नहीं करती है। लोग खुद ही अपना पानी उठाते हैं।

*३१-३२—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा जिले की फतेहपुर-सीकरी तथा रुनुकता क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था

*३३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी तथा रुनुकता के खुश्क क्षेत्रों में जहां सिंचाई की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नलकूप तथा नहर आदि द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर-सीकरी तथा रुनुकता क्षेत्र का अधिकतर भू-भाग जो नहरों से सींचा जा सकता है नहरों के अधिकृत क्षेत्र में ले लिया गया है। पुराने तेरामोरी बांध की आवश्यक मरम्मत की जा रही है जिससे २,००० एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। नलकूपों के लिये यह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में नहर तथा नलकूप बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*३४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री देवकीनन्दन विभव—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[सातवें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४२—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२४ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४-४५—श्री गुप्तारसिंह—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६-४८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९-५०—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले में कछला पुल की सुरक्षार्थ निर्मित बांधों की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*५१—श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिपरौल (बदायूं) के जो दो बांध ग्राम को गंगा से बचाने के लिये थे और जो १९५६ के सैलाब में टूट गये थे अब तक क्यों नहीं ठीक किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बांध कछला पुल की सुरक्षा के लिये बनाये गये थे जो कि एन०ई० रेलवे से संबंध रखते हैं। इस कारण इन बांधों की देख-रेख सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की जाती है, यद्यपि बांध बदायूं जिले में पड़ते हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में रेलवे विभाग और सरकार में काफी लिखा-पढ़ी हो चुकी है ? यदि हां, तो रेलवे विभाग ने क्या निश्चय किया है ?

श्री राममूर्ति—रेलवे विभाग से जो लिखा-पढ़ी हुई है, वह मेरे पास नहीं है, इसलिये सही तरीके से इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे विभाग अब उसको अपनी सम्पत्ति नहीं मानता और अब बांध पर उगने वाले पेड़ भी यहां के विभाग ने ले लिए हैं ?

श्री राममूर्ति---यह बात सही हो सकती है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई विभाग इसका मालिक बनने को तैयार नहीं है तो क्या वे इसको सिंचाई विभाग में लेकर गांवों की रक्षा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---जहां तक इसकी मिल्कियत का ताल्लुक है उसके लिये तो कोई एतराज नहीं हो सकता है लेकिन जहां तक काम करने का ताल्लुक है उसमें धन की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव है, इसलिये काम लेने में दिक्कत हो सकती है।

गोरखपुर जिले की डांडा नहर का सिंचाई क्षेत्र तथा निर्माण पर व्यय

*५२---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डांडा नहर जो गोरखपुर जिले में बनी है उस पर कितनी लागत लगी है और कितना उसका Command-area है ?

श्री राममूर्ति---डांडा नहर के निर्माण-कार्य में जनवरी के अन्त तक कुल व्यय ४,६७,७२२ रुपया हुआ है तथा उसका C. C. A (Culturable Commanded Area) १५५०५ एकड़ है।

*५३---श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)---[२४ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में गोधनी ताल पर रेगुलेटर बनवाने का अनुमानित व्यय

*५४---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला अन्तर्गत गोधनी ताल में मरदह-महाहर रोड पर रानी बांध नाम के रेगुलेटर पर कुल राजकीय धन व्यय करने की कितने की योजना है ?

श्री राममूर्ति---इस रेगुलेटर के निर्माण पर १५,००० रुपये के व्यय होने का अनुमान है।

*५५---श्री यमुनासिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रेगुलेटर का कितना कार्य हो गया है तथा कितना कार्य शेष रह गया तथा उसके शेष कार्य के बनने में क्या कठिनाई व देरी है ?

श्री राममूर्ति---पुल पर कांक्रीट स्लेब के निर्माण को छोड़कर रेगुलेटर का शेष कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह कार्य लोहे तथा सीमेंट की कमी के कारण अभी पूरा नहीं हो सका है। यह कार्य अक्तूबर, १९५७ से पुनः प्रारम्भ किया गया है।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रारम्भ में इस पर काम कब से लगा था ?

श्री राममूर्ति---शुरू में काम लगने की तारीख तो मेरे पास लिखी हुई नहीं है।

श्री यमुनासिंह---इस कार्य के समाप्त होने की कब तक संभावना है ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि अक्तूबर सन् १९५७ से यह काम शुरू हो गया है और रेगुलेटर पर स्लेब पड़ना बाकी रह गया है। मैं समझता हूं कि मार्च अप्रैल में यह काम खत्म हो जायगा।

*५६-५८---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

दोहरीघाट पंम्पिंग कैनाल में ली गई भूमि का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*५९--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि दोहरीघाट पंपिंग कैनाल के निर्माण के लिये जो भूमि किसानों से सरकार द्वारा ली गई थी, उसका मुआवजा अब तक कुछ किसानों को नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--जी हां। दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण के लिये जो भूमि ली गई है उसमें से कुछ का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। स्पेशल लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर की नियुक्ति में समय लगने के कारण मुआवजा देने में विलम्ब हुआ। मुआवजा अब शीघ्र ही वितरण किया जायगा।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि छोटे किसानों की सम्पूर्ण भूमि नहर में चली गयी है? यदि हां, तो सरकार उनकी गुजर-बसर के लिये क्या कर रही है?

श्री राममूर्ति--ऐसे किसान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त दें और तराई वगैरह में जहां नई आबादी बसाई जाती है मुमकिन है वहां उनके लिये जमीन का इंतजाम हो जाय।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि इन किसानों को उस भूमि की मालगुजारी देनी पड़ती है जो नहर निर्माण में चली गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य यह बात सही फरमा रहे हैं शुरू-शुरू में ऐसा हो गया था कि लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी होने से पहले ही जमीन ले ली गयी थी और उस पर काम भी चालू हो गया था और चूंकि नियमित रूप से विज्ञप्ति वगैरह नहीं हुई, तो उनसे लगान लिया जाता रहा सरकारी कर्मचारियों द्वारा और जमीन भी ले ली गयी थी। लेकिन हमारे विभाग द्वारा घोषणा कर दी गई है कि ऐसा जितना लगान ले लिया गया है, वह सब लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी हो जाने पर लौटा दिया जायगा।

श्री गौरीशंकरराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा देने का काम कब तक पूरा हो जायगा?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, इस योजना से संबंधित ४,३५० एकड़ जमीन लेने वाले थे लेकिन २,२८५ एकड़ भूमि ली गई है और ६५३ एकड़ भूमि का मुआवजा २,०८,०२६ रुपया दिसम्बर, १९५७ तक बांट दिया गया है। बाकी १६३२ एकड़ जमीन का मुआवजा ४०५,०७० रुपया लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी हो जाने पर शीघ्र ही बांट दिया जायगा।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने काश्तकारों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है? उनकी भूमि नहर निर्माण में कब ली गयी थी?

श्री राममूर्ति--नहर निर्माण के लिये भूमि तो वक्तन फवक्तन ली गयी थी। मैंने अर्ज किया कि कुल जो २,२८५ एकड़ भूमि ली गयी है उसमें से कुछ का मुआवजा दे दिया गया और बाकी का दिया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली जनवरी और दिसम्बर के महीनों में भी इसी प्रकार के सवालों के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा था कि शीघ्र ही मुआवजा दे दिया जायगा? यदि हां, तो उस 'शीघ्र' का क्या मतलब है, किस वक्त तक दे दिया जायगा?

श्री राममूर्ति---शीघ्र इस माने में, मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त हमारे सामने लैंड एक्वीजीशन अफसरों की नियुक्ति का सवाल था और हम उम्मीद करते थे कि उनकी नियुक्ति जल्दी हो जायगी। लेकिन चूंकि यह काम एक विभाग से संबंधित नहीं है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आता है, तो दो डिपार्टमेंट्स की बातचीत में कुछ देर हो जाया करती है। शीघ्र इसलिये कहा था कि कोशिश यह होती है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाय।

घाघरा के कटाव को रोकने के लिये योजना

*६०---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया और बलिया में जहां घाघरा गांवों को द्रुतगति से काट रही है, धार को नियंत्रित करके उसे एक निश्चित रास्ते से बहाया जाय? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की रूपरेखा कृपया सदन की मेज पर रखेगी?

श्री राममूर्ति---जी हां, १८० करोड़ रुपये की एक योजना अयोध्या घाट से देवरिया जिले तक १४५ मील लम्बाई में कटाव रोकने के लिये बनाई गई थी। इस कटाव का यह नियम है कि नदी का एक किनारा कटता है तो दूसरे किनारे पर भूमि छूटती जाती है। कटने वाली भूमि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुये इतनी बड़ी धनराशि की योजना कार्यान्वित करना उचित नहीं प्रतीत होता। अतएव यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिये नहीं रक्खी गई है क्योंकि धन की कमी है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि फ्लड बोर्ड, उत्तर प्रदेश ने इसकी उपयोगिता देखते हुये पुनः इस कार्य को दूसरे रूप में लेने के लिये सिफारिश की है?

श्री राममूर्ति---विभाग की तरफ से ऐसी सिफारिशें वक्तन फवक्तन आया करती हैं, लेकिन काम करने की बात धन के उपलब्ध होने के ऊपर रहती है।

श्री गौरीशंकरराय---क्या सरकार कटान के अतिरिक्त उसकी अन्य उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुये इस बात का प्रयास करेगी कि यह योजना चालू की जाय?

श्री राममूर्ति---जहां तक योजना की उपयोगिता का सवाल है उसमें दो रायें नहीं हैं। सवाल रुपये का है। १८० करोड़ रुपये की इतनी बड़ी धनराशि है जिसका प्रबन्ध होने की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आती। इसलिये खाली वादा करने से क्या लाभ?

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८० करोड़ रुपये की जो योजना बनी थी उस पर कुछ खर्च भी अबतक हो चुका है?

श्री राममूर्ति---सर्वे पर जो खर्च होता है वही खर्च हुआ। इसके अलावा और कोई नहीं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके वह रकम बतायेगी?

श्री राममूर्ति---हर डिवीजन में सर्वे का काम दिया जाता है और जैसा मैंने अर्ज किया, हर इंजीनियर अपनी जगह पर यह काम करता है। अब उसका हिस्सा निकालना कि कितनी धनराशि अकेले सर्वे पर खर्च की गयी यह जरा ऐसे डिटेल की चीज है कि उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। बाकी सब डिपार्टमेंट में जो तनख्वाह दी जा रही है उसी से यह भी काम हुआ।

श्री गौरीशंकरराय---क्या सरकार इस योजना की उपयोगिता को देखते हुये इसे रिवर टेमिंग स्कीम के अन्दर लेने के लिये सेंट्रल फ्लड बोर्ड से सिफारिश करेगी?

श्री राममूर्ति---अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इस १८० करोड़ रुपये की योजना की रूपरेखा बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---इसकी कोई विशेष रूपरेखा नहीं है। मैंने अर्ज कर दिया कि अयोध्या घाट से लेकर देवरिया जिले तक जो १४५ मील लम्बा फासला है, जिसमें दरिया घाघरा बह रहा है, उसमें कटान होता है। उसमें अगर कभी यह योजना कार्यान्वित हुई तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जायगा कि इस कटान को रोका जाय।

*६१---श्री मान पांडेय---[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में महुला-गड़वल बांध का निर्माण-कार्य

*६२---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाव के लिये जो महुला-गड़वल बांध बन रहा है क्या वह महुला से लेकर जोड़बाबर के पश्चिम तक पूर्णरूप से बनकर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो यह निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं। यह आशा की जाती है कि जून के अन्त तक यह निर्माण-कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जायगा।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बांध के निर्माण में कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी है और कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति---जो एस्टीमेट बना था वह ३० लाख रुपये का है और अब थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। कितना धन व्यय हुआ यह तो मैं सही नहीं बतला सकता, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि करीब-करीब सब रकम खत्म हो गयी होगी क्योंकि एक दो फर्लांग का ही काम बाकी रह गया है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बांध का निर्माण-कार्य ग्राम सभाओं द्वारा कराया गया है या अन्य ठेकेदारों द्वारा ?

श्री राममूर्ति---विभाग द्वारा कराया गया है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस बांध के रखरखाव की क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, यह तो जैसे हमारे विभाग की तरफ से अन्य बांधों के रख-रखाव का तरीका है, उसी तरह से होगा।

*६३-६४---श्री गनेशीलाल चौधरी---[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

रामगढ़ पम्प कैनाल का सिंचाई क्षेत्र तथा व्यय

*६५---श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर सिंचाई विभाग द्वारा जो रामगढ़ पम्प कैनाल महमूदाबाद तहसील में बनाई गई थी उस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति---गाजीपुर जिले में नवम्बर, ५७ तक रामगढ़ पम्प कैनाल पर २,०२,९६७ रु० व्यय हुये हैं।

*६६---श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस रामगढ़ पम्प कैनाल ने जब से यह बन कर तैयार हुई और सन् १९५७ तक रबी व खरीफ की फसलों में कितनी -कितनी सिंचाई की है और इसका कुल कैचमेंट एरिया सिंचाई का कितना था ?

श्री राममूर्ति---रामगढ़ पम्प कैनाल से जो रकबा सींचा गया है वह निम्नलिखित है---

रबी साल	सींचा हुआ रकबा एकड़ों में	खरीफ साल	सींचा हुआ रकबा एकड़ों में
१३६२	११०	१३६३	८३
१३६३	८३	१३६४	१७९
१३६४	५४	१३६५	४६९
१३६५	४५०	..	..

रामगढ़ पम्प कैनाल का कृषि योग अधिकृत क्षेत्र ७,९०० एकड़ है तथा इस योजना से १,८४४ एकड़ भूमि सालाना सींची जा सकेगी ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना के मूल में पहले कितनी रकम स्वीकृत थी और जो रकम खर्च हुई है उसमें उससे कितना फर्क है ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसके आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ५४ हजार रुपया और खर्च होगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें से कितना रुपया अर्थ वर्क पर खर्च हुआ है, कितना बिल्डिंग वर्क में खर्च हुआ है और कितना मशीनरी वर्क में खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति---इसके भी आंकड़े नहीं हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या सिंचाई विभाग ने मालगुजारी विभाग को कुछ इस बात की सूचना दी है कि सिंचाई विभाग के रेट को कम किया जाय ? सिंचाई विभाग की जो पानी की कीमत है चूंकि फसल वहां कम हुई है इसलिये उसको कम किया जाय, इस तरह की कोई सूचना सिंचाई विभाग ने माल विभाग को दी है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मुझे कुछ पहले और दूसरे प्रश्न में थोड़ा अन्तर सा नजर आता है । जहां तक किसी जगह फसल खराब हो जाने की बात है उसके बारे में तो हिदायत है कि उसकी जानकारी हासिल की जाय और उसके बाद उनमें छूट दी जाय । लेकिन जनरल तरीके से कोई ऐसा आदेश हमारा नहीं गया है कि तमाम प्रान्त में या किसी एक जिले में सबको छूट दे दी जाय ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब वह ५४ हजार रुपया और खर्च हो कर योजना पूरी हो जायगी तो कुल कितनी जमीन की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने मान्यवर, अर्ज किया कि इसका कुल जो कमांडेड एरिया है वह ७,९०० एकड़ है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग से नयी कितनी जमीन और सींची जा सकती है ?

श्री राममूर्ति—इसी पम्प कैनाल से ?

श्री जंगबहादुर वर्मा—जी हां ।

श्री राममूर्ति—इसका तो मैंने अर्ज किया कि जो कमांडेड एरिया कुल है वह ७,९०० एकड़ है ।

*६७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

अलीगढ़ जिले में पानी के निकास के लिये नालों का निर्माण

*६८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के जिन क्षेत्रों में पानी भर गया था अथवा जिन क्षेत्रों में होकर वर्षा के पानी ने बहकर नाले का स्वरूप ले लिया था उन स्थानों के पानी के निकास के लिये कहां-कहां होकर और कितने मील लम्बे नाले बनाना निश्चय किया गया है ?

श्री राममूर्ति—अलीगढ़ जिले में जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण पानी भर गया था उन स्थानों के पानी निकालने के हेतु ४०,८८,००४ रुपये के अनुमानित लागत पर ३८२ मील ड्रेन (नाली) के बनाने की योजना प्रस्तावित की गई, जो कि १,८१,०८२ एकड़ भूमि जिसका विवरण †संलग्न है । को लाभान्वित करेगी ।

*६९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन नालों के बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायगा और इन पर अनुमान से कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—उपयुक्त ड्रेन नाली में से २०७ मील की ड्रेन्स पर १५,००,०००रु० की लागत का निर्माण-कार्य जारी है, जो कि ६६,६०० एकड़ भूमि को लाभान्वित करेगी । बाकी बची हुई ड्रेन्स पर कार्य जभी प्रारम्भ होगा जब कि उनके निर्माण की स्वीकृति और धन प्राप्त हो सकेगा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूची के पृष्ठ ३ क्रम संख्या ६४ से ६६ तक में दिये हुए इगलास, हाथरस और जलेसर इन तीनों का एक ही नाला है और यह इन तीनों तहसीलों को पार करता हुआ चला जाता है ? क्या इस को पूरा नाला बनाने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है ?

श्री राममूर्ति—मैंने तो सदन के सामने पूरी सूची रख दी है और इतना मैटीरियल यहां नहीं है कि किसी आइटम के सम्बन्ध में मैं अलग से कुछ कह सकूं । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो किसी एक सम्बन्ध में प्रश्न पूछ लें, मैं उसके उत्तर में डिटेल इनफार्मेशन दे दूंगा ।

---

†विवरण छापा नहीं गया ।

बस्ती जिले में बखिरा झील से निकलने वाली नहरों का सिंचाई क्षेत्र तथा निर्माण व्यय

*७०—श्री गौरीशंकरराय—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले की बखिरा झील से निकलने वाली दोनों नहरों के लिये सरकार ने कितनी जमीन और कितने समय से ले रखी है ?

श्री राममूर्ति—इन दोनों नहरों के बनाने के लिये कुल १७३ : ६७२ एकड़ भूमि ली जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है—

(१) सन् १९५३–५४ में १०३ : २८१ एकड़ भूमि ली गई ।

(२) सन् १९५५ में २९ : ३२९ एकड़ भूमि ली गई ।

(३) सन् १९५६ में २४ : ६३८ एकड़ भूमि ली गई ।

(४) सन् १९५७ में १६ : ४२४ एकड़ भूमि ली गई ।

योगः .. १७३ : ६७२ एकड़

*७१—श्री गौरीशंकरराय—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन नहरों पर अब तक सरकार ने कितना रुपया व्यय किया है ?

श्री राममूर्ति—इन नहरों के निर्माण-कार्य पर जनवरी सन् १९५८ के अन्त तक ९,३५,६३० रुपया व्यय हो चुका है ।

*७२—श्री गौरीशंकरराय—इन नहरों से अब तक कुल कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है ?

श्री राममूर्ति—बखिरा नहर नं० १, दिनांक २८–११–५७ को सिंचाई के लिये चालित कर दी गई है और इससे जनवरी, १९५८ के अन्त तक ७०० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है । बखिरा नहर नं० २ से अभी सिंचाई नहीं की जा सकी है ।

श्री गौरीशंकरराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बखिरा नहर नम्बर २ जिसके लिये जमीन सन् १९५३ में ली गयी थी उसमें सन् १९५८ तक पानी क्यों नहीं दिया जा सका ?

श्री राममूर्ति—इसमें बिजली न मिलने के कारण पम्प नहीं लगाया जा सका । महकमे सिंचाई की तरफ से ५० हजार रुपये का बन्दोबस्त करके पम्पिंग का इन्तजाम किया जा रहा था । इसी दौरान में बिजली विभाग की ओर से यह खबर आयी कि वह बिजली दे सकेंगे तो मैं समझता हूं कि वह नहर शीघ्र ही सन् ५८ में ही चलायी जा सकेगी ।

श्री गौरीशंकरराय—बखिरा नम्बर १ से अभी तक केवल ७०० एकड़ जमीन की सिंचाई है, इससे अधिक की क्यों नहीं हो सकी ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि २८ नवम्बर, सन् १९५७ को यह नहर चलायी गयी । कोई ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा है । इसलिये उसके लिहाज से तो सिंचाई ठीक है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि सन् १९५३–५४ में जो भूमि किसानों से ली गयी उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—लैंड एक्वीजिशन अफसर की नियुक्ति में देर हुई । इसलिये उसके देने में विलम्ब हुआ ।

श्री गौरीशंकरराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कार्य के लिये लैंड एक्वीजिशन अफसरों की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने दिनों में हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—अब तक जितने लैंड एक्वीजिशन अफसरों की नियुक्ति होनी थी वह सब हो चुकी है । उनके कागजात भी डिपार्टमेंट की तरफ से सब के पास जा रहे हैं । यह उम्मीद है कि शनैः शनैः सब का पेमेन्ट हो जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो जमीन एक्वायर की गयी है उसका मुआवजा देने का जहां तक सवाल है उसके लिये सरकार ने कोई प्रेस्क्राइब्ड शिड्यूल बनाया है या किसी सर्किल रेट के आधार पर उसका मुआवजा दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—माल विभाग में उसके नियम बने हुये हैं । उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाता है ।

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील से तरिहा रजबहे से माइनर निकालने के लिये प्रार्थना पत्र

*७३—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को सरायकायम, परोर, कबीरपुर, रसूलपुर, वगैरह ग्राम सभायें (तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद) के ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र तरिहा रजबहा से माइनर निकालने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, मैनपुरी डिवीजन, लोअर गंग नहर मैनपुरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है । उचित जांच के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि प्रश्न में उल्लिखित ग्राम तरिहा रजबहे के मील ५ से ९ तक दोनों पटरियों पर स्थित हैं । इन ग्रामों का नहर द्वारा सींचे जाने की आयोजित क्षेत्र अधिकतर तरिहा रजबहे से सींचा जा रहा है । इसलिए किसी नई माइनर के बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गांव दरख्वास्त में कहे गये हैं उनका लेविल नहर के रजबहे से बहुत ऊंचा है और सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती है ?

श्री राममूर्ति—मैं यह तो नहीं कह सकता कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह गलत है लेकिन जिन गांवों का जिक्र किया गया है उनकी मेरे पास रबी और खरीफ की दोनों फसलों की सिंचाई के आंकड़े मौजूद हैं उनसे मालूम होता है कि वहां आबपाशी हो रही है और मुनासिब हो रही है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि रजबहों के पूरे उठाने पर भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास उत्तर में इन गांवों का क्षेत्र जिसमें पानी दिया जाना है ८४३ एकड़ है और इसमें से ७२८ एकड़ के लिए पानी का प्रबन्ध किया जाता है और सिंचाई होती है । इस माने में सिंचाई मुनासिब हो रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तरिहा रजबहे से इस समय तक कितने माइनर जारी किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—८४३ एकड़ में से ७२८ एकड़ को छोड़कर बाकी जमीन की सिंचाई क्यों नहीं हो रही है ?

श्री राममूर्ति—बाकी तो बहुत थोड़ी जमीन हुई। जितना पानी मिल रहा है उसके मुताबिक बड़ी अच्छी आबपाशी हो रही है।

*७४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

*७५–७७—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।)

*७८—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में सिंचाई के साधनों की कमी

*७९—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला फतेहपुर के असिंचित भाग (जी० टी० रोड के उत्तर) की सिंचाई के लिये क्या योजना है ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर जिले के असिंचित भाग जी० टी० रोड के उत्तर की सिंचाई के लिए इलाहाबाद ब्रान्च की योजना सरकार द्वारा विचाराधीन है।

*८०—श्री वासुदेव दीक्षित—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में फतेहपुर जिले में कितने नलकूप लगाने की योजना है और वे कब से चालू होंगे ?

श्री राममूर्ति—१९५७–५८ में फतेहपुर जिले में कोई भी नलकूप लगाने की योजना नहीं है।

श्री वासुदेव दीक्षित—क्या मंत्री जी को मालूम है कि ठीक समय पर वर्षा न होने के कारण वर्षा से उस असिंचित भूखन्ड में ठीक समय पर पानी न मिलने से वहां के किसानों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी है और क्या वे वहां निकट भविष्य में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—जब बारिश नहीं होती है तो अवश्य हानि होती है। वहां की सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये हमारे पास प्रस्ताव है मगर रुपये की कठिनाई है। इसका सम्बन्ध रामगंगा रिजर्वायर से है और ज्योंही रुपया मिल जायगा उस काम में बढ़ोत्तरी होती जायगी। इस दरमियान में भी हमने धान की आबपाशी के लिए पानी का इन्टेरिम अरेंजमेंट किया है।

श्री वासुदेव दीक्षित—कब तक यह योजना कार्यान्वित होने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—यह तो धन के मिलने पर निर्भर है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—इसी जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम उमरौड़ी, कल्यानपुर व उतरैहना, फरीदपुर में सर्वेक्षण किया गया, उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवेल के लिये सर्वेक्षण कराया गया था परन्तु उनमें पानी न आने के कारण सारे जिले की रिपोर्ट यही है कि वहां ट्यूबवेल लगाना सम्भव नहीं है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में ग्राम मोलनापुर देवारे की पटाई का ठेका

*८१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के मोलनापुर देवारे के घरों की पटाई का ठेका किन-किन व्यक्तियों को कब-कब कितनी-कितनी मिट्टी का दिया गया था तथा भुगतान कब-कब किया गया है और कितना-कितना शेष है ?

श्री राममूर्ति—ग्राम मोलनापुर तहसील घोसी जिला आजमगढ़ में गांव पटाई हेतु किये गए कार्यों तथा भुगतान का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२–७३ पर)

*८२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त ऊंचे किये गये कुछ स्थान घाघरा नदी के कटाव में चले गये हैं ?

श्री राममूर्ति—ऐसा कोई स्थान नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है, यह हमें नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—८१ के उत्तर की तालिका मेरे कार्यालय में भी नहीं आयी है ।

श्री राममूर्ति—मुझे इस बात का अत्यन्त दुख है । मैं इसे देखूंगा और आयन्दा ऐसी गलती नहीं होगी । मैं उसे पढ़े देता हूं और भिजवा दूंगा ।

(सिंचाई राज्य मंत्री ने नत्थी 'क' को पढ़ा)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव की पटाई का ठेका इस गांव सभा को क्यों नहीं दिया गया और क्या यह भी सही है कि गांव सभा के प्रधान ने इस प्रकार का प्रार्थना पत्र इंजीनियर के यहां दिया था कि गांव की पटाई का ठेका सभा की ओर से काम कराने के लिये प्रधान को मिलना चाहिये ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसका कोई ब्योरा नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जानकारी हासिल करेगी कि इस गांव की पटाई के ठेके के लिये गांव सभा के प्रधान ने सभा की ओर से काम कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था जिसकी स्वीकृति नहीं मिली और साथ ही सरकार यह भी बतलावेगी कि क्या यह सही है कि जो गांव पाटे गये उसमें कुछ गिरे भी हैं ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य अगर सब चीजों का मुझे ब्योरा लिख कर भेज दें तो मैं सब मालूमात हासिल कर लूंगा लेकिन यह तालिका जो मैंने अभी पढ़ी है, उसमें है कि कुछ काम गांव सभा द्वारा भी हुआ है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को उस सरकारी घोषणा की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि यदि गांव सभा काम करने के लिये उद्यत हो तो दूसरे को ठेका नहीं दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जानकारी करेगी कि जब गांव सभा ने प्रार्थना पत्र दिया तो उसको ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—वह घोषणा आज भी है और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को ठेका न दिया जाय जब तक कि गांव सभा उस काम को करने के लिये तैयार हो । जैसा मैंने अर्ज किया कि इस तालिका में है कि कुछ गांव सभाओं द्वारा कुछ काम हुआ भी है लेकिन मेरे पास पूरा ब्योरा नहीं है, इसलिये मैं सही-सही नहीं बतला सकता ।

श्री गौरीशंकरराय—क्या सरकार को यह मालूम है कि ग्राम सेवा संचालक मंडल या कोई संस्था है जिसके नाम पर ठेका लिया जाता है ? वह कैसी संस्था है और क्या इसके बारे में सरकार निश्चित है कि उसको मिली हुई आमदनी का व्यय सार्वजनिक कार्यों में होता है ?

श्री राममूर्ति—मुझे इस सम्बन्ध में कोई मालूमात नहीं हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ने कभी इस बात की जानकारी हासिल करने का कष्ट किया कि गांव सभा ने कितना काम किया और दूसरे लोगों ने कितना काम किया ?

श्री राममूर्ति—काम तो दोनों एजेन्सियों द्वारा हो रहा है लेकिन इस समय मेरे पास डिटेल में कोई चीज नहीं है जिससे मैं पूरी तरह से बतला सकूं कि कितना गांव सभा ने काम किया है और कितना व्यक्तिगत रूप से हुआ है ।

श्री गेंदासिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी उस घोषणा के मुताबिक जिसमें यह कहा था कि गांव सभाओं से काम लिया जायगा, उसने कभी इसकी जानकारी हासिल करने की कृपा की कि कितना काम गांव सभा ने किया है ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मुझे अफसोस है कि ऐसी कोई इनक्वायरी मैंने अभी तक नहीं की ।

श्री गौरीशंकरराय—जो ग्राम सेवा संचालक मंडल कृते मंगल देव के नाम पर ठेका दिया गया है, क्या उसके सम्बन्ध में मेरे इसी प्रश्न को सूचना समझकर सरकार जांच करावेगी कि उस संस्था को मिली हुई रकम का व्यय सार्वजनिक कामों में होता है ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, ज्यादा अच्छा तो यह है कि माननीय सदस्य पूरा डिटेल लिख कर मेरे पास भेज दें तो मैं स्पेसिफिक जवाब मंगा लूंगा जिससे उनको और इस सदन को सन्तोष हो सके ।

नारायणी नहर के निर्माण में अनुमान से अधिक व्यय

*८३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री नारायणी नहर के निर्माण सम्बन्धी विषय से सम्बन्धित २६-८-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि तखमीना से लगभग १४ लाख रुपया अधिक व्यय होने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—नारायणी नहर का निर्माण करते समय कई ऐसी समस्यायें सम्मुख आईं जो तखमीना बनाते समय अनुभव न हो सकीं । उनमें मुख्य इस प्रकार हैं :—

(१) नहर के, प्रारम्भिक २३ मील में कई ऐसे स्थान थे जिनमें २० फीट से अधिक खुदाई थी । उनमें कई स्थानों में पानी के सोत निकल आए और खुदान पानी में या पम्प लगा कर गीले में खोदना पड़ा और तखमीना से कहीं अधिक धनराशि व्यय हुई ।

(२) यह भी एक आशा थी कि बिहार प्रान्त वाली गंडक नहर की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायगी और इस आशा पर कई पुलों की व्यवस्था कच्चे अथवा लकड़ी के बनाने का निर्णय किया गया । परन्तु जब गंडक नहर के जल्दी बनने की सम्भावना न रही तो सब ही पुलों को पक्का बनाना पड़ा जिससे तखमीने से कहीं अधिक धन व्यय हुआ ।

(३) तखमीने में जितने पुलों का अनुमान रखा गया था उससे अधिक कई पक्के पुल बनाने पड़े क्योंकि किसानों को कम पुलों से संतोष न हुआ, उन्होंने अपने खेती के काम में दूर-दूर के पुलों से विलम्ब और बाधा पड़ना प्रकट किया । यह भी व्यय बढ़ने का एक मुख्य कारण है ।

(४) नारायणी नहर जहां छोटी गंडक नदी को पार करती है वहां पर काम करने में बड़ी कठिनाइयां सम्मुख आईं। पुल व फाटक के काम की नींव डालने में अधिक पानी निकालना पड़ा जिससे काम में विलम्ब हुआ और व्यय भी बढ़ा।

(५) लोहा, सीमेंट अथवा अन्य निर्माण की सामग्रियों के मूल्य में तखमीना बनाते समय से कहीं अधिक वृद्धि हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर के निर्माण का तखमीना कब बनाया गया था और उसका निर्माण कब समाप्त हुआ ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास काम शुरू होने की तारीख तो नहीं है लेकिन उसके समाप्त होने का जहां तक सम्बन्ध है अभी पिछले दिनों तक उसका काम होता रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब तखमीना बनाया गया था उस वक्त के और इस वक्त के लोहा, सीमेंट आदि के भाव में कितना अन्तर आया और उस वक्त कितना तखमीना था और कितना खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति—१४ लाख का खर्च बढ़ गया और ब्योरेवार जो मैंने ५ आइटम बताये उन्हीं में खर्च ज्यादा बढ़ गया। सीमेंट की दरें समय-समय पर बढ़ती रही हैं, और वही लोहे की भी हालत रही है और इसी दृष्टिकोण से यह खर्च बढ़ा है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर पर बने हुए कई पुल उसके बनने से पहले ही बह गये और इस कारण से भी व्यय अधिक हुआ है ?

श्री राममूर्ति—एक के बारे में तो मुझे मालूम है कि जहां पर छोटी गंडक पार करती है वहां पर उसकी फाउन्डेशन बह गयी थी और उसको फिर से बनाने से खर्च बढ़ा।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी इसी एक उदाहरण से इस परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि अनुभवहीनता के कारण इस में बहुत गड़बड़ी हुई है और क्या मंत्री जी इस बढ़े हुए व्यय की जांच के लिए एक एन्क्वायरी कमेटी बिठाएंगे ?

श्री राममूर्ति—नये काम के करने में गलतियां तो होती रहती हैं बाकी यह इतनी बड़ी धनराशि नहीं है जिस के लिए कोई कमेटी बिठाई जाय। ऐसी बातों का पहले से अनुमान नहीं होता जिनकी वजह से खर्च बढ़ जाता है।

श्री गेंदासिंह—मूल तखमीना कितने का था ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इस वक्त इसके आंकड़े नहीं हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि, जैसा कि उन्होंने अभी बताया, उन्हें एक पुल की फाउन्डेशन बह जाने की सूचना है। तो पुल कितने बहे हैं इसके लिये वह और पुलों की भी जांच करवायेंगे ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य को, ऐसा प्रतीत होता है कि, मेरी बात से भ्रम हो गया है।

मेरी मंशा यह थी कि १४ लाख रुपये की जो रकम है यह एक आइटम की नहीं है। अगर एक आइटम की होती तो जरूर एन्क्वायरी कराई जाती। यह रकम, जो मैंने आइटमवाइज पढ़ा, उन सब से सम्बन्धित है। कितने ही ऐसे खर्चे हैं जिनका पहले से अनुमान नहीं हो सकता था। मसलन् यह कि बिहार में जाने वाली नहर का निर्माण जो अभी नहीं हुआ उसकी वजह से कई नये पुल बनाने पड़े। दूसरे, जहां पर खोदाई हो रही थी वहां पर कुछ सोते निकल आये जिसके कारण पम्प से बाहर पानी निकालना पड़ा और गहरी खोदाई करनी पड़ी। इस प्रकार के

[श्री राममूर्ति]

खर्चे हैं, जिनका अनुमान इंजीनियर नहीं कर सकते थे। इनमें एन्क्वायरी का सवाल नहीं पैदा होता। अगर सीमेंट या लोहे की इतनी बड़ी रकम होती तो जरूर एन्क्वायरी करवायी जाती।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मैंने प्रश्न किया था कि जैसा मंत्री जी ने बताया एक पुल की फाउंडेशन बहने की सूचना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर जितने और पुल बहे हैं क्या उसकी जांच करवा कर सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---एक ही फाउंडेशन बही है। बाकी ऐसी कोई फाउंडेशन बही ही नहीं है जिस पर सूचना की जरूरत हो क्योंकि मैंने उस नहर को देखा है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी चन्दा गुलरभार पुल, जो एक बार बह जाने के बाद फिर बना है, और फिर क्रैक हो गया है, की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, पिछले दिनों माननीय सदस्य ने इस नहर के कामों की तरफ तवज्जह दिलायी थी। उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था वरना इसकी भी जांच करवा लेते। लेकिन जब माननीय सदस्य इंजीनियर के साथ गये थे तो उनको काफी संतुष्टि हुई थी और इस बात की खुशी हुई थी कि सब काम बाद में ठीक कर दिया गया।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म की शिकायत आयी है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नारायणी कैनाल डिवीजन, की लापरवाही की वजह से ज्यादा खर्चा बढ़ गया ?

श्री राममूर्ति---ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री, जो उन्होंने उत्तर में पांच कारण बताये हैं उनमें से पांचों का अलग-अलग तखमीना बताने की कृपा करेंगे कि किस कारण से कितना ज्यादा खर्चा हुआ ?

श्री राममूर्ति---अलग-अलग नहीं है। अगर दोबारा माननीय सदस्य रिपीट कर दें तो फिर मैं मंगवा दूंगा।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस नहर के बनाते समय सीमेंट की एक बड़ी भारी चोरी हुई जिसकी जांच वगैरह भी हुई ?

श्री राममूर्ति---मुझे इस वक्त कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुल की नींव बहने को उन्होंने स्वीकार किया है उस पुल की नींव पर कितना व्यय हुआ था ? वह व्यय ठेकेदार से लिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति---पुल नहीं था बल्कि जहां पर छोटी गंडक को नहर क्रास करती थी वहां पर सायफन बनाया गया था, उसके सम्बन्ध में है। मेरे पास डिटेल नहीं है कि कितना खर्चा उस जगह पर हुआ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नारायणी नहर पर मिट्टी का तखमीना कितना था और उस मिट्टी के तखमीने से कितना ज्यादा खर्चा हुआ है ?

श्री राममूर्ति---जो ज्यादा खर्च हुआ वह कुल १४ लाख रुपये है। ओरिजनल एस्टीमेट सारी नहर का ५० लाख रुपया है। मिट्टी का अलग एस्टीमेट इस वक्त नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[१७ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले के ग्राम मेंहा के श्री अलीहसन तथा अन्य किसानों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री अलीहसन तथा ग्राम मेंहा जिला देवरिया के अन्य किसानों को पिछले वर्ष के मुल्तवी लगान तथा खरीफ के लगान की वसूली के सम्बन्ध में दिनांक ७ फरवरी, ५८ से गैरकानूनी ढंग पर गिरफ्तार करके देवरिया तहसील के हवालात में रखा गया है । इनकी गिरफ्तारी को सदन के सम्मानित सदस्य श्री ब्रजनारायण तिवारी ने स्वयं देखा तथा देवरिया तहसील की हवालात में स्वयं उनसे बात भी किया, उनकी अवैध गिरफ्तारी से किसान क्षुब्ध हो उठे हैं ।

अतः सार्वजनिक महत्व के इस निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है ।"

सरकार से इसका क्या सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट नहीं है । यह मालगुजारी वसूल करने का मामला जो बिल्कुल वैयक्तिक तथा स्थानीय है । मैं समझता हूं कि इसके कारण कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता और न उस पर विचार ही हो सकता है । मैं समझता हूं कि सब से उचित कार्य इसके बारे में यही हो सकता है कि प्रश्न पूछ कर पहले इसका सार्वजनिक रूप मालूम हो जाय । किसी वैयक्तिक प्रश्न को सार्वजनिक रूप नहीं दिया जा सकता ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--एक आदमी के साथ-साथ और भी आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--पहले प्रश्न पूछकर आप को इसे निश्चित बनाना चाहिए ।

श्री रामायणराय--जो प्रश्न आप की सेवा में उपस्थित है वह तो....

श्री अध्यक्ष--आप के पास एक तार आया और उसी आधार पर आपने उसे निश्चित कर दिया ।

श्री रामायणराय--तार में एक आदमी की गिरफ्तारी की बात नहीं है...

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठें ।

श्री रामायणराय--आप के बैठने की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है । इसी सदन के बने हुए कानून का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--आप बैठिये । यह बिल्कुल वैयक्तिक प्रश्न है । आप किसी के वकील हो कर बातचीत नहीं कर सकते । कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो उसके प्रश्न को आप सार्वजनिक महत्व नहीं दे सकते ।

श्री रामायणराय--कानून का जो उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--तो कानूनी कार्यवाही उन्हें करनी चाहिए ।

इलाहाबाद में चोरी, डकैती की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री कल्याणचन्द मोहिले का है :---

"इलाहाबाद नगर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई संख्या के फलस्वरूप तथा एक एक लाख रुपये की चोरी एक-एक रात में हो रही है जिसके कारण ४ लाख जनता सशंकित है तथा रातभर जागकर, अपने बाल-बच्चों की जान माल नहीं बचा पा रही है। अधिकारियों तथा पुलिस के कुप्रबन्ध के कारण किसी चोरी का पता नहीं लग पा रहा है। इससे पूरे नगर में लाखों आदमियों के जान माल का खतरा पैदा हो गया है और भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस भीषण स्थिति को बचाने के हेतु तथा उस पर विचार करने हेतु सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह बिल्कुल अनिश्चित है, गोलमोल है। लाखों आदमी इलाहाबाद में बसते हैं और अगर लाखों आदमियों के यहां चोरी हो सकती है तो बड़े भाग्यवान हैं कि वे इतने पैसे वाले हो गये हैं। वे बड़े बधाई के पात्र हैं कि इतने पैसे वाले हो गये हैं। मैं प्रस्ताव की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन पर वैधानिक आपत्ति

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैं आप की आज्ञा से आज के अरेंजमेंट आफ बिजनेस के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मुझे यह बहुत मातबर जरिये से इत्तला मिली है कि असेम्बली की पिछली सिटिंग पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल पर विचार हो रहा था और जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न उपस्थित कर रहे थे उसी समय साढ़े पांच बजे का समय बीत जाने के कारण कार्यवाही स्थगित हो गयी थी। साधारणतया और पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार आज पहला आइटम आन एजेन्डा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेन्डमेंट) बिल होना चाहिये।

जब तक कि प्रीवियस क्वेश्चन का प्रस्ताव हाउस ऐडाप्ट न करे। मान्यवर को मालूम होगा कि यह पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है कि अगर किसी प्रश्न पर वाद-विवाद हो रहा है और अध्यक्ष की तरफ से यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि अब इस पर निर्णय दिया जाय और अगर हाउस चाहता है कि उस पर निर्णय न हो तो एक प्रस्ताव लाया जाता है "दैट दि क्वेश्चन बी नाट नाऊ पुट" (that the question be not now put)। उसी दशा में मान्यवर, हाउस किसी दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिये आगे बढ़ता है। यहां वाद-विवाद हो गया। इस सदन का स्वयं यह फैसला था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर ७ फरवरी को सदन के उठने के समय तक विचार होगा। यह एक इत्तफाक था कि समय के दो चार मिनट का लिहाज नहीं रहा, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आज वह प्रश्न उपस्थित होना चाहिए। मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट के बिजनेस के सम्बन्ध में जो इस सदन के नियम चैप्टर ६ में है, उसमें सरकार के बिजनेस को नियत करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन साथ ही साथ जब सरकार ने हाउस में एक बिजनेस पेश कर दिया और उस सम्बन्ध में प्रस्ताव हो गया, महज सदन ने राय नहीं दी, तो उसको सबसीक्वेंट डेट के लिए मुल्तवी कर दिया जाना, यह सही नहीं है। मान्यवर का ध्यान मैं रूल २० की तरफ दिलाऊंगा। प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस के सम्बन्ध में प्रोवाइजो में लिखा है---

"Provided that any business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class and shall have precedence over all other business set down for that day."

तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार बिना किसी प्रीवियस क्वेश्चन के ऐडाप्ट किये हुए आज इस आदरणीय सदन में सर्वप्रथम आइटम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल पर राय क्यों न ली जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय त्रिलोकीसिंह, नेता विरोधी दल ने प्रश्न प्रस्तुत किया, हमने भी सुबह इस सम्बन्ध में बड़ी कोशिश की और संबंधित मंत्री जी, श्री विचित्रनारायण शर्मा, से भी हमारी बात-चीत हुई। श्रीमन्, हमने आप से भी संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। हमारा यही निश्चित मत है कि जब उस समय उस पर वोट हो रहा था उसके अमेंडमेंट्स पर मत लिया जा रहा था और वह चीज पूरी नहीं हुई तो आज जब सदन बैठा है तो पहले उसी पर विचार होना चाहिए। यहां आने पर इस सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी के जो चीफ ह्विप हैं, श्री शान्ति प्रपन्न जी, उनसे भी कई बार मिलने की कोशिश की और इस पर बात भी हुई और कहा कि आज इस पर अवश्य विचार हो जाय। कल हमने उपनेता सदन, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, से भी निवेदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री आ गये हैं, उनसे बात कर लो। हमने मुख्य मंत्री से भी बात करने की कोशिश की, मगर मालूम हुआ कि वह बनारस चले गये हैं। तो किसी भी माने में यह उचित नहीं है कि आज उस प्रश्न पर जिस पर कल मतदान हो रहा था, हम विचार न करें। नियम के मुताबिक, संसदीय परम्परा के मुताबिक, हर दृष्टिकोण से और अर्जेंसी को देखते हुए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, उसका चुनाव जल्दी होना चाहिए। हमने कहा कि मार्च में भी हो जाय तो अच्छा ही है। यह प्रश्न टाला न जाय। अब एक अमेंडमेंट पर तो विचार हो चुका है, उसी से मिलते-जुलते दो तीन अमेंडमेंट और हैं, ५–७–१० मिनट में बातें हो सकती हैं और यदि शान्ति प्रपन्न जी चाहेंगे तो एक मिनट में भी बात हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसी पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—तो यह वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक रूल्स का ताल्लुक है वह इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं और जिन रूल्स का हवाला माननीय नेता विरोधी दल ने दिया है, उनमें कुछ तरमीम हो गयी है। उसके बाद एक नया चैप्टर ७ उसमें शामिल हो गया है जिसमें बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का हवाला दिया गया है।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर..

श्री अध्यक्ष—वह प्वाइंट आफ आर्डर का ही जबाव दे रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न यह है कि क्या यह अभी पास नहीं हुये? श्रीमन्, मैं अर्ज करूंगा कि बावजूद इसके कि यह पास नहीं हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बन गयी है और काम कर रही है, इसका कोई प्राविजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—बिजनेस एडवायजरी कमेटी का प्राविजन है। यह अगस्त से बनी है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, पहले से बनी है। मेरे कहने का मंशा यह है कि जब कमेटी ने एक चीज तय कर दी और हाउस ने उनको मंजूर कर लिया तो उसके बाद डेसीजन हाउस का हो गया। कमेटी ने यह तय किया था कि इस पर तीन दिन डिस्कशन रहेगा और उस वक्त तक हाउस बैठेगा जब तक वह पास न हो जाय। आज से यानी १०,११,१२ को दूसरा काम लिया जायगा और १३ तारीख को यह बिल फिर हाउस के सामने आयेगा और उनका यह प्रोपोजल ऐप्रूव हो चुका है इसलिये अब यह आर्डर हाउस का हो गया है, लिहाजा उसी हिसाब से बिजनेस चलेगा।

[श्री सैयद अली जहीर—]

दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि जहां तक गवर्नमेंट के बिजनेस का ताल्लुक है उसके लिये एक डिसटिंक्शन रखा गया है। प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई बिजनेस रह जायगा तो दूसरे रोज एजेंडे में सबसे पहले लिया जायगा और उसके बाद एनाउंसमेंट होगा। यह नियम १९ है। वह इस तरह है कि :—

"On days other than those allotted for private members' business no business except Government business shall be transacted without the consent of the Speaker. The Government may arrange the order of business in such manner as it thinks fit."

इसको आप देखिये उस कंट्राडिक्शन के साथ जो प्राइवेट मेम्बर्स के लिया रखा गया है तो गवर्नमेंट के लिए आब्लीगेटरी नहीं है कि लाजमी तौर पर वह दूसरे रोज रखे। उसके बाद यह डेलीजन हो गया है और १३ तारीख मुकर्रर है। इसलिये जो आब्जेक्शन रेज किया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष—मैं अधिक भाषण की इजाजत नहीं दे सकता हूं। अब जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से हर एक बोलना शुरू करे तो ठीक नहीं होगा।

वाकयात इस विषय में, प्रीवियस कंवेंशन के बारे में है जैसा कि माननीय विरोधी दल ने कहा, फैक्ट बिल्कुल ठीक है। सदन में कोई कार्यवाही हो रही हो और अगर सरकार को उसे नहीं करना है या उसका विचार स्थगित करना है तो एक मोशन इस बारे में लाना चाहिए। हमारे यहां पर तो १७५ नियम बना हुआ है कि :—

"(1) A motion that consideration of a Bill, other than an Appropriation Bill under Article 204 of the Constitution, which has been introduced or of a motion other than a motion for adjournment, or of a resolution, be adjourned to any future day in the same session available for such business or to any future session *sine die*, may be made by any member at any time, and such motion shall take precedence of any other motion then before the Assembly. The Speaker after permitting a brief explanatory statement from the mover and from the member opposing, if the motion is opposed, may, without further debate, put the question thereon."

यह तरीका है कि अगर सरकार चालू काम को अगले दिन न लेना चाहे और दूसरा बिजनेस लेना चाहे तो ऐसा मोशन वह ला सकती हैं। लेकिन कार्यक्रम का कोई स्पेसिफिक प्राविजन जब हो जाय नियम के अनुसार और उसमें सदन की राय हो जाय तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। सदन की एक बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी बनी है और उसने आर्डर आफ बिजनेस फिक्स कर दिया जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया तब तो वह उस वक्त गवर्नमेंट के हाथ में कोई चीज नहीं रही। जब इस सदन ने निर्णय कर दिया तो उसके अनुसार काम चलेगा। अब यह देखना है कि जो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने सलाह दी थी और जिसको सदन ने स्वीकार किया था वह क्या थी। वह यह थी कि 'उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ सामान्य विवाद के लिए आज दिनांक ५ फरवरी, १९५८ का शेष समय है, ६ फरवरी, १९५८ तथा ७ फरवरी, १९५८ को सदन के उठने तक।' यह सामान्य विवाद के लिये था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवस्था संस्था विधेयक, १९५८ तीनों पठनों के लिए सोमवार, १० फरवरी, १९५८ को रहे। तो सामान्य विवाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक पर ७ तारीख को खत्म हो गया। जहां तक मैं समझता हूं साधारणतया यह बात होनी चाहिये थी कि जब तक विचार करने के प्रस्ताव पर वोटिंग न होती तब तक सदन उस निश्चय के अनुसार बैठता क्योंकि सदन के उठने तक सामान्य विवाद इसी लिये रखा गया था कि सदन चाहे तो समय बढ़ा कर काम भी ले ले। लेकिन जो हो गया वह

हो गया। अब अगर एक बात गलत हो गई तो यह नहीं है कि उसकी वजह से दूसरे रोज का जो कार्यक्रम निश्चित है उसको हम हटा दें। हां, सदन की राय से, अगर सदन एकमत हो जाय तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि नियम में दिया हुआ है कि :—

"No variation in the time table as decided by the House shall be made except on the request of the Leader of the House, who shall notify orally to the House that there was general agreement for such variation which shall be enforced by the Speaker after taking the sense of the House."

तो लीडर आफ दि हाउस को यह बात पेश करनी चाहिए कि सर्व सम्मति से परिवर्तन करना तय हो गया है। अगर लीडर आफ दि हाउस मौजूद नहीं है तो दूसरे मिनिस्टर इसको कह दें, मैं मान लूंगा और इस कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। एजेंडे के ऊपर क्या चीज रखी जाय यह मुझसे पूछा गया था तो मैंने पहले यही कहा था कि जारी कार्यक्रम कंटीन्यू करना चाहिए। फिर मेरे सामने उस कमेटी का निश्चय रखा गया तो मैंने देखा कि वह तो सामान्य विवाद के लिए ७ तारीख तक का समय था जो खत्म हो गया। तो ऐसी हालत में उसको १० तारीख को जारी रख नहीं सकता था। इसलिए जो आज प्वाइंट आफ आर्डर उपस्थित किया गया है मैं समझता हूं कि वह एतराज खड़ा नहीं कर सकता। कार्यक्रम तो जो इसमें लिखा है उसी हिसाब से चलेगा लेकिन अगर इस विषय में सदन एकमत हो जाय तो डिस्ट्रिट बोर्ड विधेयक लिया जा सकता है। एक और तरीका मैं बता सकता हूं। अभी तो इस कार्यक्रम के अनुसार कार्य चलेगा और ५ बजे के बाद समय बढ़ाया जा सकता है। जबकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक के ऊपर विचार करने के प्रस्ताव को लिया जा सकता है क्योंकि उसमें तो सिर्फ वोट लेना बाकी रह गया है। अगर तीन रोज के लिए यह प्रवर समिति को भेजना है तो वह १२ तारीख की शाम को सदन में फिर प्रवर समिति के प्रतिवेदन सहित आ सकता है और १३ तारीख को क्लाज बाइ क्लाज विवाद हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—एक दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर मेरा है। उस दिन ७ तारीख को साढ़े पांच बजे राजनारायण जी एक प्वाइंट आफ आर्डर पर भाषण कर रहे थे और उस पर चेयर की रूलिंग नहीं हुई थी। उसी समय सदन उठ गया। तो क्या दूसरे दिन इस कार्यवाही को इंटरेप्ट करके दूसरी कार्यवाही चलेगी अथवा वह प्वाइंट आफ आर्डर पर बोलते रहेंगे और उसके बाद चेयर की रूलिंग होगी।

श्री अध्यक्ष—प्वाइंट आफ आर्डर यह था कि समय बढ़ना चाहिये या नहीं। आधे घंटे का जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव था उसका राजनारायण जी विरोध कर रहे थे कि यह प्रस्ताव नहीं आ सकता। मतलब यह कि वह इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे और उपाध्यक्ष ने उनका कहना पूरा कर दिया। उपाध्यक्ष ने फैसला दिया कि साढ़े पांच बज गये हैं और अब कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता। तो उनका प्वाइंट आफ आर्डर सक्सेसफुल हो गया।

श्री राजनारायण—मेरा एक निवेदन है। कार्य-परामर्शदात्री समिति ने यह प्रस्ताव किया था कि उस दिन विवाद उस बिल पर समाप्त होगा। यह प्रस्ताव नहीं किया था कि मत विभाजन भी हो जायगा। तो उस दिन सामान्य विवाद समाप्त हो गया और संशोधनों पर मत लेने का प्रोसेस शुरू हो गया। आप इसको देखें। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने यह कभी नहीं कहा कि अमेंडमेंट भी हो जायं।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से आप हर बात की बाल की खाल निकाल सकते हैं। आप बैठिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं एक निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—अब आगे का कार्यक्रम चलने दीजिये और आप कृपा कर बैठिये।

*उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५७

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माल (अ) विभाग की विज्ञाप्ति संख्या २ (ए) जेड/१ (अ)-२०९९-५७, दिनांक २ जनवरी, १९५८ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५७ को, उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९० ए० जेड/१(अ)-२०९९-५७, दिनांक १४ जनवरी, १९५८ के अधीन प्रख्यापित शुद्धि-पत्र सहित, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह तो मेज पर है नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, यह मेरी मेज पर भी नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यह पिजन होल्स में है, मेज पर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यह तरीका नया है । यह हो गया है कि सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में यह भेज दी जायगी और बाकी लोगों के पिजन होल्स में रख दी जाया करेंगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या लाबी के पिजन होल्स को हम सदन की मेज मान सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो यहां सचिव की मेज पर रखी हुई है । क्योंकि हर एक सदस्य को मिलना चाहिये । इस कारण हम समझते हैं कि उसको पिजन होल्स में मिल गई होगी ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---जब यह तरीका बदला है तो बजाय मेज पर रख दी गई है ऐसा कहने के यह कहना चाहिये कि पिजन होल्स में रख दी गई है ।

श्री अध्यक्ष---लोगों को यह शिकायत थी कि लोग उनकी टेबुल से उठा ले जाते हैं और उन्हें मिलती नहीं, इसलिये वहां उनके नाम से रख दी गई है ।

नियम १९ के अन्तर्गत साप्ताहिक कार्य क्रम की सूचना न मिलने पर आपत्ति

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न अरेंजमेंट आफ बिजनेस के संबंध में आपकी आज्ञा से उठाना चाहता हूं । वह यह है कि इस हाउस के जो रूल्स हैं, जो मुझे दफ्तर से मिले हैं, उसके चैप्टर ६ नियम १९ के उपनियम २ में यह लिखा हुआ है कि :

"On the first working day of every week when the House meets, the Leader of the House or any member authorized by him will, after questions, inform the House of the business to be performed during the week and the order in which it will be taken."

तो इस हाउस में लीडर आफ दि हाउस की तरफ से किसी मन्त्री को यह बताना चाहिये कि किस क्रम से इस हाउस के बिजनेस को लिया जायगा । यह नहीं बताया गया । मैंने व्यवस्था का प्रश्न इसलिये भी उठाया कि मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री

*छापी नहीं गई ।

यह बतला दें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) बिल को कब लिया जायगा। कायदे से तो पूरे सप्ताह का कार्यक्रम ही बतलाना चाहिये। अगर आप इस तरह के प्वाइंट आफ आर्डर को जाब्ते का समझें तो कृपया इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बिल्कुल जाब्ते का है। सोमवार के रोज यदि कोई माननीय सदस्य पूछता है तो मैं और काम को रोक कर नेता सदन से यह कहता हूं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम क्या होगा वह बता दें। वह बतला देते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य भूल जाते हों और न पूछें तो बात दूसरी है। नेता सदन भी बताना भूल जाते हैं। मैं समझता हूं नेता सदन का यह कर्त्तव्य है कि हर सोमवार को बिना पूछे खुद यह बतला दिया करें तो अच्छा है। माननीय न्याय मन्त्री को अगर अगले सप्ताह का कार्यक्रम मालूम हो तो बतला दें।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां, मैं बतलाये देता हूं। पहले तो गवर्नमेंट एलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स बिल है। उसके बाद स्टोरेज रिक्वीजिशन बिल है। फिर दो दिन ११, १२ तारीख के लिये सेल्स टैक्स बिल है। फिर १३ तारीख को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल है। १४ तारीख को सप्लीमेंटरी बजट है। बस यही प्रोग्राम है।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या १३ तारीख को पूरे दिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल रहेगा? उस पर तो सिर्फ वोटिंग ही होना है।

श्री अध्यक्ष---यह बात वह नहीं बता सकेंगे। बिजनेस कमेटी ने उसको सामान्य विवाद के लिये उस रोज तक के लिये रखा था। बाकी सदन के ऊपर छोड़ दिया था। अब फिर दूसरी बैठक बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की १२ तारीख को होने वाली है। वह इसी खयाल से कि उसके बाद क्या काम होना है वह इस पर निर्णय करेगी। इसलिये इसके ऊपर वहां बहस हो जायगी और १३ तारीख को और क्या बिजनेस होगा यह भी निश्चित हो जायगा। तब तक आप बातचीत करके कोई निष्कर्ष पर पहुंच जायं तो अच्छा है।

विनियोग लेखे १९५३-५४ तथा लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५५ एवं वित्त लेखे १९५३-५४ और लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९५४†

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---मैं उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९५३-५४ तथा लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५५ एवं वित्त लेखे १९५३-५४ और लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५४ ई०, जिसकी अंगरेजी प्रतिलिपि २५ मार्च, १९५७ को सदन की मेज पर रखी गयी थी, के हिन्दी अनुवाद को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि जो यह सदन की मेज पर रखी हुई १९५३-५४ की आडिट रिपोर्ट है। उसकी हिन्दी अनुवाद की कापी आज सदन की मेज पर रखी गयी है वह २५ मार्च, सन् १९५७ को रखी मानी जायगी जब कि अंग्रेजी की प्रतिलिपि रखी गयी थी या १० फरवरी, सन् १९५८ को रखी हुई मानी जायगी जब कि हिन्दी अनुवाद की कापी रखी गयी? दोनों तारीखों में कौन सी तारीख समझी जायगी?

श्री अध्यक्ष---यह अंग्रेजी की कापी पुरानी असेम्बली के सामने रखी गई थी। वह नये सदन की इस असेम्बली के सामने नहीं रखी गई। जो इस वक्त सदन के सामने रखी गयी है वही मानी जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अंग्रेजी की प्रतिलिपि पहले वाली नहीं मानी जायगी?

---

†छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष---अंग्रेजी की प्रतिलिपि तो २१ मार्च, १९५७ को रखी गयी थी। वह जिस असेम्बली के सामने रखी गयी वह असेम्बली आज नहीं है तो जो आज रखी गयी है वही इस सदन में मानी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने तभी रिपोर्ट जाती है जब कि वह सदन की मेज पर रख दी जाय। अगर यह आज सदन की मेज पर रखी हुई मानी जाती है तो आज तक जितनी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स हुई हैं या डिपार्टमेन्ट ऐक्शन वगैरह हुए हैं, मैं समझता हूं कि वे सब गलत माने जायेंगे। तो इस सम्बन्ध में अगर आप उचित व्यवस्था फिर से देने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---एक रूलिंग पहले हो चुकी है कि यह कमेटी रिपोर्ट को वह उसको एक्जामिन कर सकती है। सिर्फ रिपोर्ट तब तक सबमिट नहीं कर सकती है जब तक कि सदन के सामने एकाउन्ट न आ जाय। बस यही बात है।

*उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८, [U. P. Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1958] पर विचार किया जाय।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है वह बहुत छोटा है यदि इसके उद्देश्य और कारणों को देखें तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल इसी आशय से इसको पेश किया है कि हमारे यहां की अंडरटेकिंग्स जो चली आती हैं, बिजली कम्पनीज जो चली आती हैं, विशेष रूप से कानपुर की, उसका जो कुछ भी धन है वह पूरी तरह से सुरक्षित हो और जिस समय भी उसको वसूल होना चाहिये था उस समय वसूल हो। पिछले ५,७ वर्षों से सरकार ने यह महसूस किया कि हमने बिजली का प्रोडक्शन किया और बिजली पैदा करने के बाद उसे किसी भी अंडरटेकिंग को दिया जो उससे सम्बन्धित हैं, उन बिजली कम्पनीज से जो धन वसूल होना चाहिये वह वसूल नहीं होता है। बहुत कोशिश करने के बाद इस विधेयक को लाया गया है। यों तो अबतक जो भी अंडरटेकिंग्ज हैं चाहे वे कानपुर की हों या अन्य हों, उसके लिये साफ-साफ इस तरह का नियम है कि यदि कोई उपभोक्ता, जिसको बिजली दी जाती है समय के अनुसार अपनी बिजली का भुगतान नहीं देता है तथा जो उसकी तरफ से बिल आता है उसको देने में असमर्थ होता है तो उसका कनेक्शन काटा जा सकता है। केसा के सम्बन्ध में खासतौर से यह दिक्कत आयी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के ऊपर ड्यूज पड़े हुए थे। तो सरकार के सामने यही तरीका था कि जो लोग बिजली लेते हैं उनके ऊपर जो कुछ भी ड्यूज हैं उनके लिये उनका कनेक्शन काट दिया जाय। यदि कनेक्शन काट दिया जायगा तो सरकार के सामने तीन चार बातें दिक्कत की थीं।

एक दिक्कत तो उसमें यह थी कि मान लीजिये कि बल्ब सप्लाई करने की ही बात है। अगर हम किसी अंडरटेकिंग को या मिल को बिजली नहीं देते हैं जिसको बहुत बड़ी तादाद में पहले बिजली देते थे और वहां पर बिजली कनेक्शन के कटने की नौबत आ जाती है तो उसके दो तीन असर पड़ेंगे। एक तो यह कि लेबर ट्रबल क्रिएट हो सकता है और थोड़े समय के लिये वहां पर बेरोजगारी पैदा हो सकती है और जो हमारा मंशा है कि बिजली के उत्पादन से हम प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, उसमें रुकावट हो सकती है।

---

*३ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छापा गया।

साथ ही साथ हमारा जो मंशा है कि लोगों को बिजली दें, उसकी भी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अगर किसी के ऊपर ड्यूज हैं और बार-बार नोटिस देने पर भी वह उसका भुगतान नहीं करता तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, सरकार बिजली काट सकती है लेकिन उससे अनएम्पलायमेंट बढ़ेगा और उससे इस तरह के प्राबलम्स क्रिएट हो सकते हैं जिससे न जनता का कोई लाभ होगा और न मिल मालिकों का या बिजली उपभोक्ताओं का लाभ हो सकता है। इससे बहुत सी परेशानियां सामने आयेंगी। तो इन चीजों के लिये जैसा कि मैंने अर्ज किया हमारे यहां नियम है कि कोई आदमी अगर समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं करता है तो हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं था, सरकार के पास उसका दूसरा कोई तरीका नहीं था सिवा इसके कि उसका कनेक्शन काट दिया जाय। कनेक्शन काट देने से जैसा कि मैंने अर्ज किया, इससे दो तीन बातें आयद हो सकती हैं।

अब तक विशेष रूप से इस प्रकार का नियम है कि जो लोग भी बिजली का भुगतान नहीं करते हैं उनके साथ यह बात होगी कि कनेक्शन काट दिया जायगा। लेकिन अब खास तौर से यह इंतजाम किया गया है कि यदि कोई संस्था या उपभोक्ता बिजली के ड्यूज का नोटिस मिलने पर भी समय से भुगतान नहीं करता है तो वह रुपया जिलाधीश को इत्तला देकर लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल किया जा सकता है।

तो जहां तक इसके प्राविजन्स का सम्बन्ध है, जिस दिन से भी बकाया होगा किसी कम्पनी पर या किसी उपभोक्ता पर उसको ३० दिन का नोटिस दिया जायगा। उसके अनुसार वह बकाया जमा कर दे और यदि नहीं करता है और कहता है कि मेरी तरफ इतना पैसा बकाया नहीं है, जो मेरे पास बिल भेजा गया है वह बहुत ज्यादा है तो उसको पहले वह बिल का धन जमा करना होगा और उसके बाद वह यह रेप्रेजेन्टेशन कर सकता है कि मेरे जिम्मे इतना धन नहीं होना चाहिये और केवल इतना धन मेरी तरफ निकलता है।

साथ ही माननीय सदस्य देखेंगे कि इसके अन्दर यह भी रखा गया है कि अगर किसी को एतराज है कि उसके जिम्मे इतना रुपया नहीं निकलता तो पहले वह रुपया जमा कर दे और उसको ठीक कराने के लिये ६ मास के भीतर किसी भी कोर्ट में जा सकता है।

इसी के साथ-साथ जैसा कि मैंने अर्ज किया इसमें जो भी सरकार का पैसा है जिसका प्रयोग जनता के हित में होता है, उसकी सुरक्षा के लिये कि वह ठीक समय से वसूल हो जाय, केवल इसी आशय से यह विधेयक लाया गया है। इस तरह से जो थोड़ी सी बकाया बहुत से लोगों की तरफ पड़ी हुई है उसे हम लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कराना चाहते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको पास करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--श्री भगवतीसिंह विशारद का पहला संशोधन छपा है। क्या वह अपना संशोधन पेश नहीं करेंगे? आप खड़े नहीं हुये--अगर पेश करना चाहें तो करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करे।

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारणों से मैं अपने को असहमत पाता हूं। यदि माननीय मंत्री जी ने जो अपना व्याख्यान दिया और जो कारण बताये उसमें यदि वह यह भी बता देते कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कितना रुपया इस तरह का बाकी है जो कन्ज्यूमर्स से वसूल होना है और उसमें से कितना धन उद्योगपतियों से वसूल होना है तो हमें अपने निश्चय करने में ज्यादा सहूलियत होती। जो उद्देश्य और कारण बताये गये हैं उसमें उन्होंने यह तो बता दिया कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी बिजली कम्पनियों का बहुत सा धन कन्ज्यूमर्स पर बकाया है और वह यथासमय

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

वसूल नहीं हो रहा है और उसकी वसूली के हेतु विवश होकर यह विधेयक लाना पड़ा है। परन्तु इससे पूर्व कि हम इस पर विचार करें कि इस तरह का जो रुपया कन्ज्यूमर्स पर बाकी है उसे लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर लिया जाय, हमें यह देखना चाहिये कि क्या इस आदरणीय सदन के द्वारा हमने कोई ऐसा अधिकार अब तक सरकार को दे रखा था या नहीं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स, १९५२ और यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट, १९५२ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट, १९५२ में सदन ने यह व्यवस्था की थी कि जिसके ऊपर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बाकी हो उसको सरकार लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर सकती थी।

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन का अधिकांश रुपया जो लाखों में होगा, कानपुर के उन उद्योगपतियों पर बाकी है जिनका यह काम है कि वह सरकार से किसी न किसी तरह से रुपया लेते हैं और जिनकी आदत उस रुपये से अपना बिजनेस चलाने की पड़ गयी है। ऐसे उद्योगपतियों के ऊपर एलेक्ट्रिसिटी का रुपया बाकी है, जिसमें एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी शामिल है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर ले तो इस प्रदेश में उन स्थानों पर जहां पर सरकार के द्वारा कम्पनियां चल रही हैं कितनी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल हुई? मैं जानता हूं कि इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ और वह इसलिए नहीं हुआ कि उद्योगपतियों से इस तरह से वसूल करने में माननीय मंत्री जी को कठिनाई थी। अगर वह एलेक्ट्रिसिटी का पूरा पैसा वसूल नहीं कर सकते थे तो इस तरह का विधेयक यहां पर प्रस्तुत करने के पहले वह लैंड रेवेन्यू की तरह एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल करते और हम सब को बताते कि उद्योगपतियों पर इतना रुपया बाकी था। जो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में बाकी थी उसका चौथाई रुपया हमने वसूल किया और इसीलिए हम यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है कि जिस तरह का अधिकार मंत्री जी को प्राप्त है वह चूंकि साधारण नागरिकों के ऊपर कम प्रयोग होता है, उद्योगपतियों के ऊपर ज्यादा प्रयोग होता है इसलिए उसे प्रयोग करना नहीं चाहते, बल्कि वह ऐसा अधिकार अपने हाथ में लेकर साधारण नागरिकों के ऊपर, मध्यम श्रेणी के लोगों पर इस प्रयोग को करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोधी हूं। मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं था सिवा इसके कि मैं प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता और वहां पर ठंढे दिल से मंत्री जी को समझाता कि इसमें क्या कठिनाई है जिसके कारण उनको ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिये था।

मान्यवर, इस प्रदेश में पचासों सालों से बिजली कम्पनियां हैं जो अपने उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान कर रही हैं। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन इसके पहले कुछ उद्योगपतियों के ही हाथ में था। कभी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि इस तरह का कोई अधिकार किसी कम्पनी को या सरकार को अपने हाथ में लेना पड़े। बड़े व्यवस्थित ढंग से काम चला और जितना पैसा होता था वह पैसा भी वसूल हो जाता था। उपभोक्ताओं को भी कोई तकलीफ नहीं थी। मैं यह भी कह सकता हूं कि आज कल बिजली इस्तेमाल करने के लिए जितना अधिक रुपया चार्ज किया जाता है इससे बहुत कम चार्ज पर बिजली कम्पनी उस समय अपने कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करती थी। एक समय आया जब इस बिजली कम्पनी का नेशनलाइजेशन किया गया। मैं तो कहता हूं नेशनलाइजेशन टर्म्स के रूप में तो हो गया, लेकिन मैनेजीरियल ढंग की कम्पनी बना दी गयी है जहां पर सरकारी मैनेजर का बड़ा बोलबाला है। वहां का जो कमर्शियल मैनेजर है उसका बोलबाला है। वहां के जो दूसरे अधिकारी हैं उनका बोलबाला है। वे जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से काम करते हैं और उसका नतीजा है कि आज लाखों रुपया कम्पनी का कंज्यूमर्स के ऊपर बाकी है। खासतौर से उन कंज्यूमर्स पर बाकी है, जो उद्योगपति हैं। जो अधिकार सदन द्वारा दिये गये हैं उनके द्वारा वे न एलेक्ट्रिसिटी ड्यूज वसूल करते हैं और न ड्यूटी।

मान्यवर, १९१० में इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट पास हुआ। उस ऐक्ट के अनुसार सभी बिजली कम्पनियों को यह अधिकार है कि वह किस तरह से अपने कंज्यूमर्स को बिजली दें और किस तरह से उनसे पैसा वसूल करें। अगर वह पैसा नहीं देते हैं तो उसके लिये उन कम्पनियों के पास क्या चारा है। मान्यवर, मैं आपको और सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज कल यह नियम बना हुआ है यदि कोई व्यक्ति बिजली इस्तेमाल करने के लिये लेना चाहता है तो वह बिजली कम्पनी, जो लाइसेंसी के रूप में काम करती है, उसके यहां एक फार्म होता है, हर आदमी उसको भरता है। उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि हम इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के मातहत बिजली लेना चाहते हैं। उसमें यह भी लिखना होता है कि हमने अपने यहां अथराइज्ड बिजली के लाइसेंसी से काम कराया है और हम अपने यहां महीने में या रोज इतनी बिजली जलायेंगे, इतने पंखे चलायेंगे, इतने बल्ब जलायेंगे और उस हिसाब से बिजली कम्पनी हिसाब लगाती है कि इस कंज्यूमर के यहां महीने में कितनी बिजली खर्च होगी। उस हिसाब से ६ गुना, ७ गुना, या ८ गुना के लगभग बिजली कम्पनी अपने यहां सिक्योरिटी के रूप में कुछ रुपया जमा कराती है तब बिजली उपयोग के लिए मिलती है। महीने के अन्त में कम्पनी की तरफ से बिल चला जाता है। हर आदमी रिबेट के डर से वक्त से अपना बिल अदा कर देता है। अगर वक्त से अदा नहीं करता तो फिर उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। यह कार्य बराबर चलता रहता है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर अपना बिल नहीं जमा करता तो बिजली कम्पनी के पास उसका करीब ४, ६, ८ महीने तक का पैसा सिक्योरिटी के रूप में जमा रहता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कानपुर सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में कंज्यूमर्स का सिक्योरिटी के रूप में रुपया जमा रहता था या नहीं रहता था ? अगर जमा रहता था तो उनके बिल ६, ७, ८ महीने के बाद उस सिक्योरिटी के ऊपर क्यों जाने दिये गये ? कम्पनी को उससे पहले ही बिजली का कनेक्शन काट देना चाहिये था। एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में यह बात मौजूद है। अगर कोई उपभोक्ता बिजली का दाम नियत समय पर नहीं अदा करता तो उसका कनेक्शन काट दिया जायगा। बिजली का कनेक्शन काट देना चाहिये था। अगर नहीं काटा तो जो सिक्योरिटी का रुपया जमा था उस रुपये तक सरकार को चाहिये था उसको बिजली सप्लाई करते और उसके बाद जैसे ही उससे ऊपर होने लगता तो उस रुपये को सरकार अपने हाथ में ले लेती। लेकिन सरकार यह करना नहीं चाहती। जिस बिजली कम्पनी का हवाला इस विधेयक में दिया गया है वहां तो इस तरह की कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती क्योंकि वहां पर इस समय एक ऐसा अंधेर है जिसके लिए क्या कहा जाय ? जब तक उसको दूर नहीं किया जायगा तब तक इस तरह का विधेयक नहीं चाहे मैनेजर को भी अधिकार दे दिये जायं, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। जब तक यह बिजली कम्पनी उद्योगपतियों के हाथ में थी उस समय तक कायदा था कि हर आदमी का बिल कायदे से कंज्यूमर के पास जाता था और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते थे। लेकिन अब साधारण तरीके से वह बिल बांट दिये जाते हैं कन्ज्यूमर्स को मिलें या न मिलें, इसकी जिम्मेदारी लेने को बिजली कम्पनी तैयार नहीं है। इसका परिणाम होता यह है कि रिबेट का पैसा जो मिलना चाहिए जिस तारीख तक उस तारीख के बाद तो कन्ज्यूमर के पास बिल जाता है इसलिये कन्ज्यूमर्स को रिबेट का पैसा नहीं मिल पाता। उनको ज्यादा पैसा देना होता है। इसका नतीजा यह होता है कि जब वह देखता है कि उसको रिबेट का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वह दूसरे महीने का भी इन्तजार करता है कि दूसरे महीने का भी बिल आ जाय तो जमा करें। इस तरह से बराबर उनका रिबेट का पैसा मारा जाता है और फिर वह रुपया जमा नहीं कर पाते। इस तरह कन्ज्यूमर्स के ऊपर काफी रुपया बाकी होने लगता है।

श्रीमन्, यह जो प्रस्तुत विधेयक है इसके कुछ अंश तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें यह भी दिया हुआ है कि किसी आदमी को अगर देय-पत्र भेजा जायगा तो यह जरूरी नहीं है कि उसके पास वह पहुंच जाय। अगर रजिस्ट्री डाक के जरिये भेज दिया जाय और क्लर्क गलती से बजाय कानपुर के लखनऊ लिख जाय, फिर चाहे वह लखनऊ से लौटकर वापस जाय और उसको चाहे जब मिले, लेकिन उस कन्ज्यूमर के

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

ऊपर उसका नोटिस सर्व्ड माना जायगा। दुनिया में जितनी भी जगह नोटिस सर्व्ड माना गया है, उसकी जो व्याख्या मानी गई है वह यही है कि आया उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से सर्व हुआ हो या उसके हस्ताक्षर हों या उसके किसी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर हो। चूंकि कोई प्रतिनिधि तो उनका वहां रहता नहीं, इसलिए नोटिस सर्व तो तभी माना जायगा जब कि व्यक्तिगत रूप से सर्व हो या उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये जायं। लेकिन इस विधेयक में यह मान लिया गया है कि अगर रजिस्ट्री के द्वारा किसी आदमी के पास देय-पत्र भेज दिया जाय तो मान लिया जायगा कि उसके ऊपर नोटिस तामील हो गयी है। मैं समझता हूं कि इस तरह से कन्ज्यूमर्स के बहुत बड़े अधिकार की हत्या की जायगी कि केवल कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री से एक नोटिस भेज दिया जाय और वह उसके ऊपर तामील माना जाय।

उसके साथ-साथ मंत्री जी ने यह भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर रुपया बाकी है और उसके संबंध में वह उससे सहमत नहीं है तो भी उसके लिये यह जरूरी है कि वह सबसे पहले जाकर रुपया जमा करे और रुपया जमा करने के बाद उस अधिकारी के पास इस बात का वाद प्रस्तुत कर सकता है जिस अधिकारी को प्रांतीय सरकार ने नियुक्त किया हो।

मान्यवर, इस संबंध में एक बात और मैं निवेदन कर दूं कि यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि उसमें भी इस बात का हवाला है कि अगर किसी लाइसेंसी के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, किसी बिजली कम्पनी और किसी उपभोक्ता के बीच में मतभेद है तो उसको कैसे ठीक किया जायगा। तो ड्यूटी एक टैक्स है जिसके सिलसिले में मतभेद की कम गुंजाइश हो सकती है। उसके सिलसिले में यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स, १९५२ की १३ वीं धारा में यह दिया हुआ है--

Disputes between the licensee and the consumers:— In the case of a dispute between a licensee and a consumer, regarding the liability of the consumer for the payment of the duty or exemption therefrom, the Electric Inspector shall decide the matter. An appeal against the order of the Electric Inspector shall lie within 3 months from the date of order to an authority constituted by the State Government by a notified order."

इसका भावार्थ यह है कि अगर किसी बिजली कम्पनी लाइसेंसी और उपभोक्ता कंज्यूमर के बीच में कोई मतभेद है तो वह एलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर के पास निर्णय के लिये भेजा जा सकता है और उसका निर्णय हो जाने के बाद फिर तीन महीने में उसकी अपील हो सकती है।

ड्यूटी के सिलसिले में तो सरकार की यह नीति है और जो कंजम्पशन का बिल है उसकी अदायगी के सिलसिले में टैक्स से भी ज्यादा सख्ती सरकार बरतना चाहती है। सरकार का यह खयाल है कि किसी शख्स पर अगर बिजली कम्पनी का रजिस्टर्ड नोटिस बकाया के सिलसिले में भेज दिया जाय तो उस नोटिस को तामील मान लिया जाय और उस शख्स को पहले सारा बकाया रूपया बिजली कम्पनी में जमा कर देना चाहिये उसके बाद वह उस अधिकारी के पास अपील कर सकता है जिसे सरकार समय-समय पर नियुक्त करती है। यह मिडिल क्लास लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। अगर इस तरह की व्यवस्था रखी गई तो और जगह तो मैं जानता नहीं लेकिन कानपुर जो मध्यम श्रेणी और मजदूरों का शहर है, वहां के नागरिकों की जान बिजली कम्पनी के अधिकारियों के हाथ में होगी जिस दिन चाहेंगे अंधेरा होगा और जिस दिन चाहेंगे दीवाली होगी। जिससे नाराज हुये नोटिस भेज दिया कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा बाकी है। वहां सैकड़ों झगड़े बिजली कम्पनी की तरफ से गलत रीडिंग के सिलसिले में चल रहे हैं। अगर उनकी बिना पर बिजली कम्पनी ने बकाया पेमेंट के लिये नोटिस दे दिया तो पहले उनको रुपया जमा करना होगा और पैसा जमा करने के बाद ही वे अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी विभाग में कोई उस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, सबसे पहले, हमको यह देखना है कि बिजली कम्पनी और कंज्यूमर में आपस में संबंध क्या है? बिजली कम्पनी एक रोजगार की कम्पनी है जो बिजली सबको सप्लाई करती है और कंज्यूमर्स उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर बिजली कम्पनी सही ढंग से बिजली बेंचती है, ठीक से बिजली सप्लाई करती है तो हमारे ऊपर नैतिकता का तकाजा है कि हम सही ढंग से उसे पैसा अदा कर दें, लेकिन नहीं अदा करते तो और चीजों की तरह उसके लिये रास्ता खुला हुआ है। कोर्ट में जाइये, मुकदमा दायर कीजिये। आखिर यह भी तो देखना है कि बिजली ठीक से सप्लाई हुई या नहीं, बिजली का बिल ठीक भी है या नहीं और उसके लिये नोटिस ठीक से तामील हुआ या नहीं, तब फिर सरकार के हाथ में फैसला होगा। लेकिन मंत्री जी उससे पहले ही इन तमाम बातों को अलग रख कर इस बात का अधिकार लेना चाहते हैं कि कंज्यूमर्स से बिजली के बिलों का भुगतान लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल किया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात है। इस तरह का विधेयक उपस्थित नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें सुनने के बाद माननीय मंत्री जी अपने विधेयक को वापस ले लेंगे। अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो मेरे सामने यही एक चारा था कि मैं इस तरह का प्रस्ताव करता कि यह मामला किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और प्रवर समिति इस पर ठंडे दिल से विचार करती। माननीय मंत्री जी भी इस पर ठंडे दिल से विचार करते।

मैंने एक मास का जिक्र अपने प्रस्ताव में जिक्र इसलिये किया कि माननीय विद्युत् मंत्री को बजट पेश करना है जो कि वित्त मंत्री भी हैं। बजट के समय आम वादविवाद होगा, उसका जवाब देना होगा। इस बीच में उन पर बड़ा बोझ होगा। उसे मैं हलका करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस महीने के भीतर किसी समय हम लोग बैठ जायं और उस पर विचार कर लें और या तो वे इस विधेयक को वापस ले लेंगे या जो आवश्यक संशोधन उसमें होंगे उन्हें स्वीकार कर लेंगे। मेरे कुछ मित्र मेरे इस संशोधन के समर्थन में हैं। मेरी बातें सुनने के बाद मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह गई है। यदि मंत्री जी इन सब को स्वीकार करते हैं तो इस बिल को वापस ले लेंगे। अगर नहीं करते तो फिर प्रवर समिति में जाकर इस पर विचार हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष--श्री भगवतीसिंह का संशोधन एक मास का है। श्री राजेंद्रसिंह का संशोधन १ मास के स्थान पर ५ दिन का है और श्री प्रतापसिंह का भी संशोधन इसी प्रकार है। श्री ब्रजनारायण तिवारी का संशोधन जो है वह जनमत संग्रह के लिये है। वे चाहें तो उपस्थित कर सकते हैं। क्योंकि इसे आज ही समाप्त कर देना है अतएव मैं समय भी निश्चित किये देता हूं कि प्रत्येक सदस्य ५ मिनट ही बोलेंगे।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ जनमत संग्रह के लिये प्रत्येक लोकल संस्थाओं के पास ३० मार्च तक घुमाया जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस बिल को उपस्थित करते हुए यह कहा है कि उपभोक्ताओं के जिम्मे किसी कम्पनी की रकम हो, तो यह लागू होगा। श्रीमन, कम्पनी का नाम इस ऐक्ट में कहीं नहीं आया क्योंकि यह मिल उपभोक्ताओं से संबंधित है, जो लोग बिजली खर्च करते हैं। तो सरकार के पास सिवा इसके कि लगान की वसूली जिस ढंग से की जाती है उसी ढंग से यह बकाया वसूल की जाय इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहां प्वाइंट यह उपस्थित किया गया कि जब यह बकाया की रकम नहीं वसूल होती है तो

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

फिर उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, अन्धेरा छा जाता है और उससे तरह-तरह की कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। इसलिये आवश्यक है कि ऐसे नियम बनें जिससे वसूली में सुविधा हो ।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि नेशनलाइजेशन के बाद अब भी बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां हैं, उनके यहां बड़ी विभिन्नता है, अन्तर है। सरकार के हाथ में जो कम्पनियां हैं उनके रेट में और जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके रेट में फर्क है, अधिकार और कायदे कानून में फर्क है। जो लोकल संस्थायें हैं उनके कर्मचारी शहर के नागरिक हैं और उनसे और इन कम्पनियों से सीधा संबंध है। यदि यह बिल उन संस्थाओं के पास भेजा जाय तो जो उसके भुक्तभोगी हैं और वे अपने सुझाव ३० मार्च तक दे सकें तो इससे काफी प्रकाश इस संबंध में पड़ सकता है।

तो मैं नोटिस के संबंध में कह रहा था। वह केवल पोस्ट द्वारा भेज दिया जाय, चाहे जिसके नाम से भेज दिया जाय वह उस पर तामील माना जायगा और वह रकम बकाया समझी जायगी। उसके बाद खंड ४ में लिखा है कि . . . . "कोई मांग का नोटिस तामील हो जाय और यदि वह बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश के दायित्व से इनकार करता हो . . . . ." यानी वह यह समझता है कि यह रकम अधिक है या गलत ढंग से लगायी गयी है तो उसे एतराज दाखिल करने के साथ-साथ रकम जमा करनी होगी। अगर रकम जमा करने के साथ लिखित विरोध नहीं दाखिल करता है तो उसे वह पूरी रकम ज्यों की त्यों देनी होगी और अधिक रकम की वसूली के विरुद्ध कोई नाराजोई नहीं कर सकता। श्रीमन्, आप इसको गौर से पढ़ियेगा।

श्रीमन्, एक चीज और है। लगान की बकाया के सिलसिले में या मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में अगर कुछ रकम जमा कर दी जाय तो उसके लिये १०–१५ रोज की मोहलत भी मिल सकती है। इसमें अवधि का भी कोई जिक्र नहीं है कि कुछ भी रकम जमा करने के बाद या पूरी रकम जमा करने के बाद कोई गुंजाइश हो एक दिन या दो दिन की ताकि वह सहूलियत से और सुविधा के मुताबिक उसे समय से जमा कर सके। साथ ही जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके सिलसिले में जौनपुर का जिक्र आपके सामने कर दूं। जौनपुर में एक पहले की कम्पनी थी जिसका नाम कैवेंडर्स था। कुछ दिन तक उसने अपने मालिकाने में बिजली सप्लाई की, उसके बाद बनारस की जो कम्पनी है 'मार्टिन ऐंड बर्नस" उसको मैनेजिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया और वहां से वह बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। जौनपुर से कुल नागरिकों को बिजली न देकर वह बनारस से दी जाती है और उसमें लगभग डेढ़ आना पर यूनिट खर्चा पड़ता है, लेकिन ८ आना वसूल होता है।

श्री अध्यक्ष—उससे कोई संबंध नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं इसलिये कह रहा था कि उससे इसका ताल्लुक है। मैं निवेदन कर रहा था कि यह लोकल संस्थाओं के पास भेजा जाय कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर हों तो सब पर एक समान रेट होना चाहिये। आप प्राइवेट कम्पनियों की रकम जिनके ऊपर है उन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कैसे छोड़ देंगे? तो मैं यह कह रहा था कि वह तीन-तीन तरह से वसूल कर रहे हैं एक तो सप्लाई करते हैं . . . .।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहां रखा है उससे मुझे ऐसा लगा कि रात को मंत्री जी सोये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरे रोज मंत्री जी का सपना बिल के रूप में उपस्थित हो गया। बिजली का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और आज तक कोई भी शिकायत ऐसी नहीं आयी कि बिजली का पैसा वसूल न हुआ हो। माननीय मंत्री जी ने सोचा था कि ऐसा सवाल पूंछा जायगा इसलिये उन्होंने कानपुर का उदाहरण दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर का उदाहरण तो आपकी सुस्ती की वजह से है। क्या और कोई उद्योगपति नहीं है जो बिजली न जलाना चाहते हों? कौन बिजली जलाना नहीं चाहता है। कितनी शिकायतें मंत्री जी ने बताई कि पैसा बाकी रहा जिसकी वजह से यह बिल लाया जा रहा है? मैं कहता हूं कि यह यूजलेस लेजिस्लेशन है। इसमें पैसा और समय की बरबादी है, इसलिये मैं इसे यूजलेस बताता हूं। श्रीमन्, इसमें रिबेट मिलता है और जो पैसा नहीं देता है उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इस बिल को लाकर आप एक ऐसा हथियार अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिसका कभी भी प्रयोग नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन उपस्थित कर रहे हैं?

श्री प्रतापसिंह—आपने मुझे इजाजत नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो यह कहा था कि आपका पृथक् संशोधन नहीं है। आपका संशोधन में संशोधन है। इसलिये मैंने आपको मौका दिया कि आप अपना संशोधन उपस्थित करना चाहें तो अब कर सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन, मैं भगवतीसिंह जी विशारद के संशोधन में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि शब्द "मास" के स्थान पर शब्द "दिन" रख दिया जाय। मैं इस विधेयक को यूजलेस कहता हूं लेकिन सिलेक्ट कमेटी में इसलिये भेजना चाहता हूं कि वह देखे कि आइंदा ऐसे बिल न आयें।

हमारे प्रदेश में टयूबवैल्स का इतिहास २५ साल पुराना है और पैसा बकाया रहने की कोई भी शिकायत नहीं आई। म्युनिसिपैलिटीज में भी रिबेट दिया जाता है। दूसरे कंज्यूमर्स को भी रिबेट दिया जाता है अगर वह किसी निश्चित तारीख तक बिजली का पैसा जमा कर दें। इसके अलावा अगर कोई पैसा नहीं देता है तो आप उसका कनेक्शन काट देते हैं। जो व्यक्ति कनेक्शन वापस लेता है तो उसको चार्जेज देने पड़ते हैं इसमें आपका कोई नुक्सान नहीं है। जिसके पास बिजली का पैसा बकाया है उसको नोटिस दिया जायगा उसमें यह है कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस रजिस्ट्री से भेजा जायगा और वह तामील पर्याप्त मानी जायगी। बड़ी अजीब बात है। हमारे यहां कानून में दूसरी परिभाषा है। यह आप नई परिभाषा ला रहे हैं। अगर किसी आदमी को नोटिस न मिले तो दुबारा मकान पर लगाया जाता है और इसके बाद अखबार में छापा जाता है लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया नोटिस तामील हुआ माना जायगा। जब आपके पास पैसा वसूल करने का तरीका है तो आप क्यों लोगों को परेशान करना चाहते हैं। आप पैसा तो जल्दी वसूल करना चाहते हैं लेकिन कंज्यूमर्स को इससे कितनी मुसीबत हो जायगी। इसलिये पहला ही तरीका ठीक है। अगर आपका पैसा नहीं देता है तो आप उसका कनेक्शन काट देते हैं। तो श्रीमन, मैं हाउस का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। एक दिन की बात मैं इसलिये करता हूं कि समय की बड़ी अहमियत है और ऐसे यूजलेस लेजिस्लेशन आइन्दा इस हाउस में न आयें। प्रवर समिति में जब यह बिल जायगा तो वह यही कहेगी कि यह यूजलेस लेजिस्लेशन है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब इसके लिये मैं समय नियुक्त करता हूं कि साढ़े ३ बजे तक इस पर सामान्य वाद-विवाद खत्म हो जायगा और साढ़े ३ बजे से साढ़े ४ बजे तक या अधिक से अधिक पौने ५ बजे तक संशोधन के लिये रहेगा और बाकी समय तृतीय वाचन के लिये होगा, ५ बजे तक यह पूरा हो जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विशारद जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं और वह यह है कि इस बिल के उद्देश्य और कारण की मंशा कुछ और है और बिल की धारा ३ में जो स्पष्टीकरण किया गया है उसकी मंशा कुछ और है। इस बिल में दो बातें हैं और दोनों अपनी जगह पर कन्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिये यह बिल बड़ा संदेहयुक्त हो गया है। इसका उद्देश्य यह है कि बिजली का बकाया उस तरह से वसूल किया जाय जिस तरह मालगुजारी वसूल की जाती है, परन्तु स्पष्टीकरण में इसके विपरीत बात है। उसमें लिखा है कि नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित व्यक्ति पर पर्याप्त तामील मानी जायगी। मानो सिर्फ डाक में डाल देने से नोटिस की तामील मानी जायगी। मुझे तो एक और बड़ा भारी खतरा महसूस होता है और वह यह कि शायद दूसरी बार फिर यह बिल इस हाउस में आयेगा और उसमें शायद यह संशोधन आये कि पावर हाउस के गेट पर एक ब्लैक-बोर्ड टांग दिया जायगा और उसमें खड़िया से लिख दिया जाय कि किसके ऊपर कितना बकाया है और वह तामील मान लिया जायगा। रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी हुई नोटिस उसके ऊपर तामील मान ली जाय और उसके बाद बकाया की अदायगी हो जाय यह बात संभव नहीं प्रतीत होती।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

समितियों के निर्वाचन में उपाध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करने से पूर्व उपाध्यक्ष की अनुमति लेने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—इससे पूर्व कि इस समय की कार्यवाही शुरू हो, मैं सदन का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं जो ७, फरवरी को सदन में घटी। मैंने स्वतंत्र भारत में छपे इस घटना से संबंधित समाचार को भी देखा और मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार को उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति में इसलिये न भेजा जा सका कि समिति के सदस्यों में मेरा नाम आ जाने से विभिन्न दलों में एक मत न हो सका। इसका कुछ आभास मुझे पहले से ही हो गया था, किन्तु मैंने यह उचित नहीं समझा कि मैं उस समय इस संबंध में कुछ कहूं। आज मैं उचित समझता हूं कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालूं और अपनी स्थिति सदन में स्पष्ट कर दूं।

जहां तक संसदीय परम्पराओं का प्रश्न है, यह निर्विवाद सत्य है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदन के सभी दलों का प्रतिनिधित्व करता है, उसका किसी दल विशेष से संबंध नहीं होता और न ही वह किसी एक दल की ओर से कोई बात कहता है और न करता है। जब कभी वह किसी कार्य को सदन में करता है, तो उसमें सदन की मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा की छाप अंकित रहती है और उसका हर कार्य सदन के एक संगठित रूप से कार्य करने के हेतु होता है। जिस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर वह बैठता है, उस समय उसके सम्मुख सदन की मान-मर्यादा एवं उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न ही सामने रहता है और उसको निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है चाहे वह किसी दल का सदस्य क्यों न हो। ऐसा करने पर ही सदन की मर्यादा बनी रह सकती है। इसलिए यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जिससे ऐसा आभास हो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष केवल सदन के कुछ ही व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है अथवा उसको सदन की ओर से बोलने का पूर्ण अधिकार नहीं है, तो ऐसा आभास होना भी सदन की मर्यादा के अनुकूल न होगा। मैं सदन के प्रत्येक सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि वह उपाध्यक्ष को ऐसी स्थिति में न डाले जिससे कोई गम्भीर परिस्थिति सामने आ जाये। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से सदन के प्रत्येक सदस्य को यह बता देना

चाहता हूं कि जहां तक मेरे स्वयं के किसी समिति के सदस्य होने का प्रश्न है मैं किसी भी ऐसी समिति का सदस्य होने के लिये किसी शर्त पर भी तैयार नहीं हूं जिसमें सभी दलों का एक मत न हो, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मेरे नाम को किसी समिति के लिये प्रस्तावित करने से पूर्व पूरे सदन को एक मत होकर निश्चय कर लेना चाहिये और इसके अतिरिक्त मेरी बिना अनुमति के भी मेरा नाम किसी समिति के लिये प्रस्तावित करना उचित न होगा ।

इस संबंध में मैं संसदीय प्रथा की ओर भी कुछ थोड़ा सा संकेत करना उचित समझता हूं । सदस्यों को यह मालूम ही होगा कि सदन की समितियां सदन का ही एक छोटा रूप होती है और वह उसी का एक भाग है । जिस प्रकार हम सदन की कार्यवाही करते हैं उसी प्रकार हमको समितियों में भी उसी मान मर्यादा के साथ कार्य करना होता है । अंतर केवल इतना ही होता है कि पूरा सदन बहुत से विषयों पर पूर्ण रूप से विचार करने में असमर्थ होता है, समय भी अधिक लगता है और बहुत सी बातें जो आपसी बातचीत में तय हो जाती है वह सदन में होने से रह जाती हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह समितियां बनायी जाती हैं । ऐसी समितियों के माननीय सदस्यगण कुछ समय के लिये अपनी दलगत भावनाओं को प्रायः भूल जाते हैं, जो विषय उनके समक्ष होता है उस पर विचार करते हैं और आपस में एक मत होकर किसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करते हैं तथा एक ठीक निर्णय पर पहुंचते है । जैसा कि अभी मैंने कहा यह समितियां सदन का ही प्रतिनिधित्व करती हैं और इस कारण इनको भी उसी रूप से देखा भी जाना चाहिये । इसीलिये ऐसी समितियों का सभापति सदन के अध्यक्ष द्वारा नामजद होता है ।

हाउस आफ कामन्स में यह परम्परा है कि सदन की प्रवर समितियों की अध्यक्षता चेयरमैन वेज ऐण्ड मीन्स, जो सदन के उपाध्यक्ष होते हैं, करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में जिससे वे ऐसा करने की प्रार्थना करें । लोक सभा में एक आध अपवादों को छोड़ कर ऐसी समितियों के अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष होते हैं या अन्य कोई गैर सरकारी सदस्य । यही सही और स्वस्थ परम्परा है ।

इस सदन में यह परम्परा लागू की जाय या नहीं यह विषय विचारणीय है ।

श्री रामनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता था । मैं पहले नहीं आ पाया । शुक्रवार को जो घटना घटी उसके बारे में क्या होना चाहिए उसके संबंध में आपने अपनी राय जाहिर की । मैं इतना ही सुन पाया कि आपने यह कहा कि मेरा नाम बिना मेरी अनुमति के सेलेक्ट कमेटी के लिये देना उचित न होगा । मैं समझता हूं कि अगर इस संसदीय परम्परा को सुचारु रूप से संचालित कराने के लिये, जो ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति में है और जो अपने यहां पार्लियामेंट में है, उस तरह की पद्धति यहां चलाने के लिये आपका नाम यदि कोई पार्टी बिना आपकी अनुमति के भी प्रस्तावित कर दे तो वह इस सदन की मर्यादा की समुचित रक्षा के लिये ही करेगी । क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे ऊपर भी आक्षेप आता है । कोई भी आदमी यह कह सकता है कि श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम या उनके दल के किसी आदमी का नाम बिना उनकी मर्जी के प्रस्तावित किया गया है । वैसे उपाध्यक्ष होने के नाते हमें आपकी अनुमति लेनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—यह होना चाहिये सभी पार्टियों को ऐसी स्वस्थ परम्परा के लिये प्रयत्नशील होना चाहिए ।

श्री रामनारायण—उस दिन यह कहा गया था कि साढ़े पांच बजे के बाद अगर सभी एक मत होकर आ जायं तो उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल पर कार्यवाही चल सकती है यह संकेत कर दिया गया था । माननीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि अगर सभी एकमत हो जांय तो ५ बजे के बाद उस पर काम हो सकता है । इसलिये हमारे जैसे लोगों के लिये बड़ी दुशवारी खड़ी हो गयी । हमने जो नाम रखा वह हमने अपनी तरफ से रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के बाहर जो आप करते हैं उसका सदन से कोई संबंध नहीं है। आप लोग एकमत होकर कोई प्रस्ताव रखें तभी उस विषय पर कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण—मैं अपनी ओर से बतलाऊं कि समुचित व्यवस्था के संचालन के लिये और मर्यादा की सुरक्षा के लिये आपकी अनुमति लेने की जरूरत मुझे नहीं होगी। मैं बराबर आपका नाम लेता रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसके लिये रोकता नहीं लेकिन माननीय सदस्यों को मैंने अपनी ओर से बतलाया कि क्या संसदीय परम्परा हो और क्या उचित है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं बड़ा अनुगृहीत हूंगा यदि आप कृपा करके इतना स्पष्ट कर दें कि क्या यह आपकी जानकारी में था कि आपका नाम सेलेक्ट कमेटी की सदस्यता के लिये प्रस्तावित किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने ८ तारीख के स्वतंत्र भारत में देखा कि जो सदन में घटना हुई उसके बाद यहां पर आपस में बातचीत हुई। इस कारण मुझे यह कहने की आवश्यकता पड़ी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। उस दिन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि "ऐग्रीड लिस्ट" आनी चाहिए। इस लिस्ट पर उनको एतराज था और हाउस में उन्होंने स्वयं कहा था कि ऐग्रीड लिस्ट आनी चाहिये। यह राजनारायण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने आपका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिये प्रस्तावित किया था। उस दिन तो ये शब्द रिकार्ड में नहीं आये थे मगर अब आ गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय राजनारायण ने आपका नाम सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सेलेक्ट कमेटी के लिये प्रस्तावित किया था उस पर उस दिन आपके नाम के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने मालूम होते हुये भी एतराज किया था। मुझे इस पर सख्त एतराज है और मैं इसे कन्टेम्प्ट आफ दि हाउस समझता हूं और मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उसे लिखित रूप में भेज दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ठीक है, यह मैं फर्स्ट अपरचुनिटी लेता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लंच के पहले मैं कह रहा था कि इस विधेयक के उद्देश्य में है कि मालगुजारी की तरह से बकाया की वसूलयाबी होगी। इसकी धारा ३ के स्पष्टीकरण में यह है कि नोटिस का रजिस्ट्री डाक से भेजा जाना पर्याप्त तामील माना जायगा। इसमें यह होता है कि सबसे पहले मीटर रीडिंग के लिये कर्मचारी जाता है जो अपनी रिपोर्ट कार्यालय को देता है कि फलां मीटर की यह रीडिंग है। उसके बाद बिल बनाया जाता है जिसे बांटने के लिये एक कर्मचारी जाता है। जब बिल के पेमेन्ट में देर होती है तो नोटिस जाता है जिसे तीसरा कर्मचारी करता है। नोटिस में लिखा होता है कि अगर फलां तारीख तक पेमेंट नहीं होगा तो कनेक्शन काट दिया जायगा। इस तरह से तीन सर्विस होती है और उसके बाद चौथी सर्विस यह होती है कि रजिस्ट्री द्वारा नोटिस तामील होगा। अगर फिर भी वह रुपया नहीं देगा तो वह मालगुजारी की भांति वसूल होगा।

हमारा निवेदन है कि मालगुजारी की तरह से वसूलयाबी करने के लिये बेहतर होता कि पहले, माननीय माल मंत्री जी, कुछ जांच पड़ताल कर ली जाती। मालगुजारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भांति वसूलयाबी का दूसरा ही तरीका होता है। ३, ४ प्रोसीज्योर ऐडाप्ट करने के बाद आप उस पर आवेंगे, इसलिये पहले ही उसे क्यों नहीं कर लिया जाय? मालगुजारी की भांति वसूलयाबी के लिये जरूरी है कि मीटर रीडिंग के बाद जमाबन्दी बना ली जाय जैसे पटवारी खसरा खतौनी से लगान की जमाबन्दी बनाता है। अमीन हर काश्तकार के दरवाजे जाकर वसूलयाबी करता है और रसीद देता है और रुपया कलेक्शन विभाग में जमा करता है यदि आप भी मालगुजारी की तरह वसूलयाबी चाहते हैं तो वैसा ही करिये। ३, ४ या ५ सर्विस नहीं होनी चाहिये, इस में बहुत रुपया खर्च होता है। चाकू कुम्हड़े पर गिरेगा या कुम्हड़ा चाकू पर गिरेगा, कटेगा तो कुम्हड़ा ही। इसी तरह इस खर्चे का टैक्स का बोझ हम पर ही तो पड़ेगा। इसलिये बन्दानवाज, जरूरी है कि आप सबसे पहले ही मालगुजारी का तरीका अपनायें। अमानत विभाग आप कायम कीजिये। मालगुजारी की तरह से वसूलयाबी में कुर्की और डिग्री करनी होगी। मालगुजारी में अगर अमीन पूरा वसूल नहीं कर पाता है तो डिफाल्टर पर कुर्की या डिग्री की कार्यवाही होती है। यहां चूंकि बड़े-बड़े इंडस्ट्री होल्डरों का मामला है, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप कुर्की या डिग्री करावें। अगर आप करावेंगे तो लाखों रुपया जो चन्दे में आपको मिलता है वह नहीं मिलेगा। आप उनकी कुर्की करावेंगे तो वे आपकी कुर्की कर देंगे कि जाइये। ५ वर्ष के बाद बात होगी जब चन्दा लोगे। काश्तकार छोटा होता है, उससे तो आप वसूल कर लेते हैं।

मैं चाहूंगा कि धारा ३ के स्पष्टीकरण १ और २ निकाल दिये जावें और धारा ६ को भी बिलकुल निकाल दिया जाय। इसके रहने से वसूलयाबी नहीं हो सकेगी। फिर आप दूसरा संशोधन लावेंगे कि नोटिस बोर्ड पर खरिया से लिख दिया जाय कि किस किस पर कितना बकाया है। आपके लिये एक ही तरीका है कि मीटर रीडिंग के बाद जमाबन्दी बने और उसकी वसूलयाबी अमीन करें। इसके साथ-साथ अगर इस तरह से रिकवरी नहीं होती है तो कलेक्शन विभाग को यह काम दे दिया जाय। वह उसकी वसूलयाबी न कर सके तो तहसील से कुर्की और डिग्री के जरिये हो। इस मामले में जबर्दस्त कंट्रोवर्सी है। वह यह है कि बिजली के बकाया में एक बड़ा आइटम है ट्यूबवेल का। इसकी बोरिंग तो सिंचाई विभाग करता है और बिजली विभाग एनरजाइज करता है। जब उसमें पूरा पैसा वसूल नहीं होता है तो दोनों विभाग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। सिंचाई वाले कहते हैं कि हम क्या करें, बिजली वालों का वोल्टेज ही बहुत नीचा जा रहा है। अभी पहले, विद्युत् मंत्री जी ने बताया था कि १ मील लाइन दौड़ाने में १०,००० रुपया लगता है। नतीजा यह होता है कि जितना पैसा वसूल होना चाहिये था उतना वसूल नहीं हो पाता है। इससे मौत होती है किसान की और दोनों डिपार्टमेंट अपना अपना बहाना लेते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ५ मिनट का हाउस का प्रस्ताव है या माननीय अध्यक्ष ने कोई व्यवस्था दी है?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष ने इस का सुझाव दिया था और किसी ने आपत्ति नहीं की, इसलिये सदन की सहमति समझिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि यह व्यवस्था सबके लिये नहीं थी, उस समय जो बोल रहे थे उनके लिये उन्होंने ५ मिनट कहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कार्यवाही दिखवा लेता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने बड़े गौर से विरोधी दल के बोलने वालों को सुना और मुझे ऐसा लगा कि या तो वह इस विधेयक की मंशा को समझ नहीं पाये या अगर समझा तो वे ना समझ बन कर बोल रहे थे। बिजली विभाग के अलावा केवल कानपुर का "कसा" ही एक ऐसा

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

कन्सर्न है जिसके ऊपर सरकार का प्रबन्ध है और उसकी एक बड़ी रकम वसूली के लिये पड़ी है। "केसा" का रुपया कुछ लोगों पर बकाया है और उसकी वसूलयाबी के लिये यह बिल सदन के सामने लाया गया है। चन्द लाख रुपये हैं वह और ऐसे लोगों पर है जिनसे आसानी से वसूल किया जा सकेगा। करोड़पतियों पर यह बकाया है और मारा नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि व्यापार की यह नीति है कि जहां रुपया मारा जाने का डर न हो उसे धीरे धीरे वसूल किया जाय। हमारे साथी विशारद जी ने कहा कि क्यों नहीं उनके कनेक्शन काट देते हो। कनेक्शन इसलिये नहीं काटे गये कि कनेक्शन काटने से कानपुर के लाखों मजदूर बेकार हो जाते और रोटी के लिये मारे-मारे फिरते। केसा के प्रबन्धकों ने उचित समझा कि मिल मालिकों पर रुपया थोड़े दिन के लिये पड़ा रखा जा सकता है क्योंकि उनकी करोड़ों की सम्पत्ति वहां होती है और रुपया मारा नहीं जा सकता। जो लोग इस बिल का आप विरोध करते हैं वे छिपे-छिपे मिल मालिकों की मदद करते हैं यह कहकर कि दीवानी अदालतें हैं उनके द्वारा रुपया वसूल किया जा सकता है।

यह भी कहा गया कि बड़ा अन्धेर है। मैं नहीं समझा कि अन्धेर किस माने में कहा गया। जिस समय केसा प्रदेशीय सरकार ले रही थी तो लोगों ने कहा था कि इसकी मशीनें पुरानी हो गई हैं, इसमें घाटा होगा, इसे नहीं लेना चाहिये। लेकिन आज जिन लोगों के हाथ में वहां की व्यवस्था है उन्होंने उन पुरानी मशीनों में एक तरह से चार चांद लगा दिये हैं। "केसा" आज करीब करीब दुगनी बिजली वितरित करता है और इस बीच में उन्होंने केवल २ करोड़ रुपया लगाकर १ करोड़ रुपया सालाना की आमदनी वे कर रहे हैं उसी कन्सर्न से क्योंकि तमाम पुरानी मशीनों को नया किया जाना है। तो यह आपके शब्दों में इसे अन्धेर कह सकते हैं तो इस तरह का अन्धेर है।

तीसरी बात यह कही गयी है कि रेट्स बढ़े हैं। जहां तक मेरी इनफार्मेशन है, कानपुर में एलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वह प्रदेश में सबसे कम है। कानपुर एलेक्ट्रिसिटी कम्पनी का रेट इतना सस्ता है जितना प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं है। यह रेट करीब-करीब वही है जो कि "केसा" के यू० पी० सरकार के हाथ में आने से पहले था। यद्यपि कोयले का दाम बढ़ा, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, एलेक्ट्रिसिटी के और सामान की कीमत बढ़ी लेकिन यह रेट नहीं बढ़ा और मैं समझता हूं कि यह बात गलत कही गयी है कि रेट बढ़ा है। यह एक छोटा सा विधेयक सामने लाया गया है, उसको भी मैं समझता हूं कि समझने की कोशिश नहीं की गयी। यह कहा गया कि रुपया वसूल करने के लिये डाक द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस को ही उचित क्यों समझा जाय। किसी ने कहा कि जमाबन्दी बनानी होगी अमीन रखने होंगे, कुर्की होगी और न जाने क्या-क्या होगा। जब आप इस बिल को स्वीकार कर लेंगे तब जो कार्यवाही माल, रेवेन्यू वसूल करने के लिये होती है, वह की जायगी। दर्जनों आदमी जमाबन्दी तैयार करने के लिये नहीं रखना पड़ेंगे, कुर्की भी हो जायगी और नीलाम भी हो जायगा। मैं नहीं समझता कि आप बकायादार की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं, मैं तो यही समझता हूं कि आप उनकी हिमायत कर रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि उनसे रुपया सिविल कोर्ट के द्वारा वसूल किया जाय। गैरकायदा नोटिस द्वारा वसूल किया जाय। इसके लिये कोई बिल न लाया जाय। इन चन्द शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मेरे दोस्त इस बिल को समझने की कोशिश करें और इस छोटे से बिल को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को देखने के बाद दो सवाल हमारे सामने आये। एक तो यह कि सरकार के मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि 'केसा' का बकाया जो इस समय पड़ा हुआ है वह किन लोगों के ऊपर है और कितना है। मैं समझता हूं कि जो बिल वे लाये हैं, उसमें यही बात थी, जैसा कि उन्हीं के पक्ष के एक वक्ता महोदय ने अभी कहा है। तो मैं समझता हूं कि उनको यह बतलाना चाहिये था कि कितना उद्योगपतियों के ऊपर बकाया है और कितना साधारण लोगों के ऊपर बकाया है।

तो पहली बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कोई सूचना नहीं दी और बहुत ही मासूम तरीके पर कहा कि चूंकि यह सरकारी या सार्वजनिक धन है इसलिये यह किसी प्रकार वसूल होना चाहिये। सार्वजनिक धन बतला कर इस तरह से किसी धन की वसूली के इस तरीके को हम पसन्द नहीं करते और इसकी स्वीकृति देने में अपने को असमर्थ पाते हैं। पैसा न वसूल होने के दो ही खास कारण होते हैं। चाहे सरकार का कन्सर्न हो या प्राइवेट बिजली कम्पनी हो, दोनों का काम एक व्यवसाय का है, इसलिये उनके धन की वसूली का जो तरीका है वह भी व्यवसाय के तरीके पर ही होना चाहिये। सरकार अपने पक्ष में यह कानून ला रही है, व्यक्तिगत कम्पनियां भी अपना काम कर रही हैं, उन का पैसा भी बकाया हो जाता है उसका क्या होगा ? सरकारी धन पड़ा हुआ है, खासतौर से 'केसा' का नाम लिया गया। यह बात भी माननीय मंत्री जी ने नहीं बतायी कि व्यक्तिगत कम्पनियों के धन का क्या होगा।

अब मूल बात यह है कि जिस के कहने से भंडाफोड़ हो जाता है कि कानपुर के बिजली के रेट्स सब से ज्यादा हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, मदरास, बिहार, बम्बई और पंजाब ऐसे प्रदेश हैं। जहां पर अच्छे उद्योग धन्धे हैं लेकिन जब हम वहां के जिजली के रेट्स का मुकाबला करते हैं तो कानपुर के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। ६ ग्रुप्स में जैसा कि फैक्ट-फाइंडिन्ग कमेटी की रिपोर्ट में दिखाया गया है उससे यह साबित होता है। हमें शतप्रतिशत वृद्धि दिखाई पड़ती है कानपुर और कलकत्ता का जब हम मुकाबला करते हैं। जब वृद्धि इतनी ज्यादा हो कि यहां के रेट्स दूसरी जगह से दुगुने हों तो हम कैसे इस विधेयक की स्वीकृति दे सकते हैं। जितने उद्योग धन्धे हमारे प्रदेश में हैं उन सब में बिजली का अधिक रेट कानपुर में है, उस पर ड्यूटी है, तमाम टैक्सेज हैं और दूसरी जगह से सब से ज्यादा है और यही कारण है कि कुल मिलाकर बिजली के रेट इतनी ज्यादा हो जाते हैं कि फिर उपभोक्ता की शक्ति के बाहर हो जाता है कि वह अदा कर सकें और नतीजा यह होता है कि उस की वसूली में दिक्कत होती है। इसका इलाज यही था कि पहले यहां के रेट्स कम किये जाते हैं और वे दूसरे सूबों के अनुरूप किये जाते। उसके बाद अगर सरकार को वसूली में दिक्कत होती तो हो सकता था कि हम लोग इस पर विचार करते, लेकिन इस वक्त जब यह विधेयक लाया गया है यहां पर दूसरे प्रदेशों से ड्योढ़े रेट्स हैं और यही कारण है कि हम अपने को इसके समर्थन के लिये असमर्थ पाते हैं।

तीसरी एक बात और है कि मंत्री जी का यह वक्तव्य कि हम सार्वजनिक संस्थाओं के नाते ऐसा कर रहे हैं, यह बिल्कुल मृगतृष्णावत् है। हमें तो यही तीन बातें इसके पीछे मालूम होती हैं जो मैंने अभी बतायीं। मंत्री जी अपने हाथ में एक शक्ति लेना चाहते हैं जिसका प्रयोग वह छोटे-छोटे लोगों पर करेंगे, लेकिन मिलमालिकों के विरुद्ध उसका प्रयोग हो सकेगा इसमें हमें सन्देह है। जैसा कि श्री भगवती सिंह विशारद ने बताया कि मिलमालिकों से इस रुपए की वसूली इसलिये नहीं हो सकेगी कि सरकार की उनसे साठगांठ रहती है और केवल गरीब आदमियों पर ही इस का पूरा असर पड़ेगा, अगर ऐसा कानून हम पास करते हैं। मंत्री जी तो इस बात में बहुत पटु हैं और इस तरह की बात हमेशा कहा करते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात यह याद आ गई है कि इस बिल के द्वारा अधिकार लेने का प्रमाण उस वक्त दिखाई देता है जब माननीय सदस्य खंड ३ के प्रथम स्पष्टीकरण को देखें कि "नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना सम्बद्ध व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायगा।"

अब श्रीमन्, सी० पी० सी० और प्रदेश के जो और कानून हैं सभी कानूनों में और ईक्विटी के हिसाब से जरूरी होगा कि नोटिस उसे मिल जाय। किसी संस्था से कोई नोटिस डाक के जरिये भेजी जाय तो यह जरूरी नहीं है कि वह उसको मिल जाय। दोनों सूरतें हो सकती हैं। यह हो सकता है कि आदमी घर पर न हो या इतनी देर में मिले जिस पर कार्यवाही न हो सकती हो। इसलिए भेजने से तामील नहीं मानी जा सकती। लेकिन माननीय मंत्री

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जी ने तमाम न्याय के नियमों और ईक्विटी के सिद्धांतों का हनन करके यह अधिकार रख दिया है कि वह नोटिस मानी जाय अगर मंत्री जी भेज दें । इसके साथ ही साथ मान लीजिये किसी पर गलत बकाया लग जाय, अगर यह बिल बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर लाया गया होता, जिनको हजार रुपये या इससे ज्यादा का मुनाफा है तो मुझे कोई ऐतराज न होता। मैं मानता हूं कि उनके साथ जरूर सख्ती होनी चाहिए जिनके पास पैसा है । लेकिन इसमें कोई स्पष्ट नहीं है । बिल का मंशा छोटे आदमियों के लिए है जिन पर यह बिल लागू होगा क्योंकि बड़ों के खिलाफ जो अधिकार पहले मिला हुआ था उसको उनके खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर मंत्री जी को बड़े लोगों पर लाना था तो लिख देना चाहिए था कि हजार रुपये या दो हजार रुपये बकाया हो तो मालगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा और तब बात कुछ समझ में आती। लेकिन ऐसा इसमें कोई विवरण नहीं है। बहुत साधारण से कानून हैं जो दो रुपये वाले पर सौ रुपये वाले पर और उद्योगपतियों पर, सब पर लागू होता है ।

यह बात स्पष्ट है कि इसका असर साधारण उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । खंड ४ (१) में लिखा हुआ है कि जब नोटिस तामील हो जाय तो वह एक कार्यवाही कर सकता है कि रुपया जमा करके वह कोर्ट में जाय कि हमारा रुपया वापस हो गैरकानूनी ले लिया गया है । ताज्जुब है । अगर उसके पास देने की ताकत होती और रेट्स इतने हाई न होते, मैं छोटे-छोटे आदमियों की बात कहता हूं, तो वह रुपया जमा कर देता और मुकदमा ही क्यों लड़ता । जिसके पास सौ, दो सौ रुपया बकाया होगा वह दीवानी में रुपया खर्च करके सरकार के खिलाफ लड़ेगा । उद्योग-पति तो लड़ सकता है, लेकिन छोटे-छोटे आदमी नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं सरकार ने यह धारा रखी कि वह छोटे आदमी जिन को दो सौ रुपया, चार सौ रुपया, पांच सौ रुपया मुनाफा है उन लोगों को रकम नहीं जमा कर देनी पड़ेगी ? छोटे लोगों पर नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि यह सबके लिए समान रुपये से रख दिया गया है ।

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी की अपनी एक अलग नीति है। जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो मुझे याद आया कि यह इंसाफ उसी तरह का है, जिस प्रकार का न्याय वित्त मंत्री जी हम लोगों के साथ करते हैं । सौभाग्य से जो विधायकों के रहने-सहने का इंतजाम है वह भी वित्त मंत्री जी के सुपुर्द है । बहुत से विरोधी दल के लोग आज दिन भी बिना मकानों के रह रहे हैं। उन्हें एलाउंस भी नहीं मिल रहा है और न मकान और कांग्रेस पार्टी के लोग आराम से कमरों में डटे हुए हैं । सचिव लोग भी डटे हुए हैं और सौ रुपया भत्ता भी लेते हैं। ऐसे लोगों को मकानों में रखे हुए हैं । जिन लोगों को मकान नहीं मिले उनकी कोई परवाह नहीं है । इस तरह उनका इंसाफ एक तरफा है सरकारी पक्ष में है क्योंकि जब विधायकों के रहने का सवाल आया तो उनके पक्ष के पहले रहे और जब कानून का सवाल आया तो कानन उनके पक्ष में बने । विरोधी दल वाले चाहे जहां रहें । यह कानून भी अपने ढंग का ही बना रहे हैं। उस सम्बन्ध में जो उनका अपना तरीका है वह कानून हर हालत में सरकार के हाथ में ऐसी पावर दे दें कि जिसे सरकार हर हालत में जो काम करे वह चाहे जितना अन्यायपूर्ण हो कानून के दायरे के अन्दर आ जाय ।

आज जब मैंने यह बिल पढ़ा तो मुझे अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी याद आ गयी । उसमें क्या फैसला हुआ ? कोई राजा का बैल था । उससे एक तेली के बैल से लड़ाई हुई । तेली के बैल ने राजा के बैल को मार डाला । तो तेली जब राजा के पास खबर ले कर गया तो डर के मारे सटपटा कर वह उल्टा कह गया कि हुजूर आपके बैल ने मेरे बैल को मार डाला, वह गलत कह गया । तो राजा साहब बोले इसमें कोई बात नहीं। जब उसको याद आया कि मैं तो गलत कह गया तो उसने कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। हमारे बैल ने आपके बैल को मार डाला। तो राजा साहब ने अपने मुंशी जी से कहा कि लाल किताब तो देखो तो उससे फैसला हुआ कि तेली ने बैल लड़ाया क्यों, और लाल किताब कहती है यों । तेली का बैल खरी खाय मस्ताना, बैल जब्त १०० रु० जुर्माना । यह फैसला उस अंधेर नगरी के

राजा साहब का हुआ । दुनिया भर के सब कन्सर्न व्यवसाय के तरीके पर काम चलाते हैं, व्यापार के टर्म्स होते हैं । लेकिन सरकार बिजनेस के तरीके पर कोई काम नहीं चलाना चाहती । कानून से अधिकार ले कर के राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप ज्यादा समय ले रहे हैं यह ध्यान रहे कि साढ़े तीन बजे तक इसको समाप्त कर देना है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---आपकी आज्ञा है तो समाप्त कर दूंगा ।

श्री राजनारायण---कमेटी ने तो ५ बजे तक का समय रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष---पूरा विधेयक ५ बजे तक समाप्त होना है । लेकिन साधारण विवाद तो साढ़े तीन बजे समाप्त होगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब कानून को मैंने देखा तो हमें अंधेर नगरी की बात याद आयी । एक बात जरूर कहना चाहता हूं इस बात को सिद्ध करने के लिये कि सरकार "केसा" के सम्बन्ध में कितनी ताकत लेना चाहती है । माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि, सरकार के इस रुख को कि वह अधिकार अपने हाथ में लेकर राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना, एहसान लादना और लोगों का दमन करना चाहती है उसके बारे में सोचें कि इतने अधिकार उसको देना कहां तक उचित है । मैं 'केसा' के बारे में कह रहा था कि वहां के मजदूरों के डी० एफ० ए० के रेट्स में भी फर्क है । एक ही आदमी उसी जगह पर है, एक ही सैलरी पाने वाला है, एक को डी० एफ० ए० कम मिलता है और दूसरे को ज्यादा और भी जो दूसरे कर्मचारी हैं छोटे, उन लोगों के भी डी० एफ० ए० में फर्क है । इस पर सरकार ने कोई नजर नहीं डाली कि इस फर्क को दूर किया जाय । अभी सुपरवाइजरों का एक इम्तहान विगत १० अक्तूबर को पूरा हुआ । मेरे पास चिट्ठी आयी है, स्पेशल परीक्षा हुई उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि यह स्पेशल परीक्षा है । ८ अक्टूबर को उसकी सूचना दी गई कि परीक्षा १० अक्तूबर को होगी । अब एक तो पहले से कोई समय नहीं दिया गया जिससे लोगों को कुछ समय मिलता और दूसरे जो इम्तहान में बुलाये गये वह वही लोग थे जो वहां के अफसरों की गुडविल में थे । फिर उसका रिजल्ट भी नहीं निकाला गया और दूसरी परीक्षा रख दी गई और कुछ लोगों को जो पहली परीक्षा में बैठे थे उसमें से कुछ को बुलाया और कुछ को नहीं बुलाया । यह सब क्या साबित करता है । उन लोगों ने सरकार के पास, बोर्ड के चेयरमैन के पास निवेदन पहुंचाया और ६, ७ पत्र उनके मेरे पास हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो सरकार की नीति एक सी होनी चाहिये और उसको सब जगह एक सा लागू करना चाहिये । लेकिन यह नीति तो है नहीं । वह तो अपने स्वार्थों को हल करने के लिये, अपने हाथ में विशेषाधिकार लेने के लिये इच्छुक है । इस नीति के कारण तमाम गड़बड़ी फैली हुई है ।

'केसा' के अन्दर खुद बहुत गड़बड़ फैला हुआ है । यह एक किस्म का भ्रष्टाचार है । इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मन्त्री जी ने सार्वजनिक धन के नाम पर इस बिल को प्रस्तुत कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---'केसा' के अलावा और भी संस्थायें हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मन्त्री जी ने 'केसा' का नाम खासतौर से लिया श्रीमन्, इसलिए मैं यह कह रहा हूं । नहीं तो और संस्थाओं के लिए भी मैं कह सकता था, उसके भी प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं । माननीय मन्त्री जी ने 'केसा' का नाम लिया और कहा कि सार्वजनिक धन बहुत अवरुद्ध हो गया है इसलिए इस बिल को पास कर दिया जाय । अगर माननीय मन्त्री जी न जो बातें मैंने पूछी थीं उनको बता दिया होता तो यह इतना समय बच जाता और

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

मुझे फिर इनको दुहराना न पड़ता । लेकिन माननीय मन्त्री जी हमको बिलकुल अन्धकार में रखते हैं । इसलिए हम इस बिल के समर्थन में अपने आपको बिलकुल असमर्थ पाते हैं । पहले तो उनको यह बिल लाना ही नहीं चाहिए था । किसी भी हिसाब से देखा जाय, यह बिल उचित नहीं प्रतीत होता । इसलिए हम उसका विरोध करते हैं ।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जो संशोधन इसमें उपस्थित किये गये हैं उनका विरोध करता हूं । वैसे, संशोधनों को उपस्थित करते समय ही उन सज्जनों ने स्वयं यह माना कि उनका ध्येय इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का नहीं है, केवल मतलब यह है कि यह बिल गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए इसलिए इसकी वह मुखालिफत करते हैं । तो सिद्धान्त रूप से जिस बिल के ध्येय का ही समर्थन वह नहीं करते उसके सेलेक्ट कमेटी में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता । इसलिए उनके यह संशोधन अपने आप ही बेकार हो जाते हैं । --विशारद जी ने अपने संशोधन को पेश करते हुए कहा कि ड्यूटी वसूल करने के लिए गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह एज लैंड रेवेन्यू उसे वसूल कर ले, यह दलील उन्होंने दी और यह कहा कि क्योंकि यह कुछ जगह वसूल नहीं कर पायी इसलिए यह अधिकार गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए । मैं समझता हूं कि उनका यह कहना काफी दलील थी कि जितनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं उनके जितने ड्यूज हों वह सब एज लैंड रेवेन्यू वसूल होते ही हैं, होने ही चाहिये, वही ड्यूटी के सम्बन्ध में भी होना चाहिए । उन्होंने एक कानून पढ़ा जो इस बिल की ताईद में था । मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि कुछ मेम्बर साहबान उन पार्टियों से सम्बन्धित हैं जिनकी यह नीति है, यह पालिसी है कि राष्ट्रीयकरण जितना अधिक से अधिक चीजों को हम कर सकें करना चाहिए और फिर एक मानी हुई बात है कि जिस चीज का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे उसके ड्यूज एज लैंड रेवेन्यू वसूल होने ही चाहिए । लेकिन पता नहीं किस गलतफहमी में वह इस गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग की ड्यूज को एज लैंड रेवेन्यू वसूलने की मुखालिफत करते हैं और विशारद जी ने तो यहां तक कह दिया कि साहब, यह कानपुर की जो 'केसा' है यह बहुत खराब है पहले जो कम्पनी थी वह बहुत अच्छी थी ।

खैर, यह उनकी अपनी राय हो सकती है और हमारे माननीय रामस्वरूप जी ने तो यहां तक कह दिया कि प्राइवेट लोग जो अपना व्यापार करते हैं वह तो साधारण तरीके से अपना सब वसूल कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट को इस बात की क्या आवश्यकता हुई ? मुझे ताज्जुब हुआ, वह तो सोशलिस्ट हैं । सारी बातों को जानते हैं । क्या गवर्नमेंट अंडर टेकिंग्स को और प्राइवेट व्यवसाय को वह एक मानेंगे और यह समझेंगे कि जैसे वह अपने कामों को कर देते हैं ऐसे ही गवर्नमेंट करे तो फिर नेशनलाइजेशन का कोई अन्तर उनकी समझ में नहीं आया । इस वास्ते यह एक छोटा सा बिल आया है जिसमें साधारणतया यह एक सिद्धान्त है कि जो गवर्नमेंट के ड्यूज होंगे वे लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल होंगे ।

इसमें एक बात विशारद जी ने यह भी कह दी कि ड्यूटी के एरियर्स बाकी हैं इसलिए इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं । श्रीमन्, यह हो सकता है कि कोई विशेष कारण हों जिससे कोई अधिकारी वसूल न कर पाया हो या उन्हीं के शब्दों में यह बात ठीक हो कि वहां का कोई अधिकारी किसी व्यवसाय को रियायत देना चाहता हो तो यह दलील कैसे हुई कि आगे के गवर्नमेंट के जितने ड्यूज हैं वे सब छोड़ दिये जायं, वसूल न किये जायं । एक दलील उन्होंने और दी कि इसमें नोटिस है और वह नोटिस डाक से ही आने को है और उसे ही तामील मान लिया जायगा । मैं समझता हूं कि क्लाज ६ में, जो कि आगे है, प्रोसीजर के बारे में तफसील से दिया हुआ है । यह क्लाज महज एक ताकत लेने के लिये रख दिया गया है । जहां तक डाकखाने से नोटिस देने का सम्बन्ध है वह काफी माना जायगा । जब रूल्स बनेंगे तब तफसील उनमें आ जायगी । पर्सनली उसको भेजा गया । उसने उसे इन्कार कर दिया.....

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। लंच से पहले अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इस बिल पर ५ मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा और उसी के अनुसार मुझे ५ मिनट का समय मिला था। लेकिन माननीय सदस्य ने १ मिनट कम ३ बजे बोलना शुरू कर दिया था और ३ बज कर ६ मिनट हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आप जानते हैं कि अध्यक्ष को हमेशा अधिकार रहता है कि थोड़ा समय देना चाहे तो दे दे। मैं चेतावनी देने वाला ही था १, २ मिनट में। आप घबरायें नहीं।

श्री राजनारायण---कार्यवाही मंगा कर देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने देख ली है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि आज इसे समाप्त कर देना है इसलिए ५ मिनट का समय निश्चित कर देता हूं। किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। इसलिए "मौनं स्वीकृतिलक्षणम्" लागू होता है।

श्री फतेहसिंह राणा—कुछ सदस्यों ने यह समझा कि जो नलकूपों के इर्रीगेशन चार्जेज हैं वे भी इस ऐक्ट के जरिये वसूल होंगे। लेकिन मैं उनसे निवेदन कर दूं कि इर्रीगेशन चार्जेज वसूल होने के लिए अलग ऐक्ट व रूल्स हैं। एक साहब ने कहा कि लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल होने के लिए उसकी खतौनी बननी चाहिए। क्या प्रोसीजर होगा इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही निवेदन किया कि क्लाज ६ में इसका विवरण है और उससे सब मामला तय हो जायगा।

अन्त में यह निवेदन करूंगा कि यह एक छोटा सा बिल है। इसमें एक सिद्धान्त की बात है और वह यह है कि गवर्नमेंट के जितने ड्यूज हों या बकाया हो वह सब लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल होने चाहिए। उसी सिद्धान्त के मातहत यह बिल आया है। मैं आशा करता हूं कि यह सर्वसम्मति से पास किया जायगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवती सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल का पूर्णतया विरोध करें और इस माननीय सदन को इस तरह के अख्तियार सरकार को देने की कतई जरूरत नहीं है, ऐसा कहें मुझे सन्देह हो रहा है कि सरकार इस अधिकार को ले कर कुछ बड़े लोगों की मदद करना चाहती है। मैंने माननीय वित्त मंत्री, माननीय फतेह सिंह राणा और माननीय मेहरोत्रा जी की बातों को गौर से सुना। यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि जो एलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग्स हैं उनमें बकायादार सरकार के साथ गुस्ताखी करते हैं और सरकार उसके लिए कोई एफेक्टिव कार्यवाही करना चाहती है।

पहली बात मैं यह पूछूंगा कि क्या वाकई सरकार को कोई दिक्कत आयी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुनासिब होता कि माननीय सदन के सदस्यों के सामने एक स्टेटमेंट दिया जाता और दिक्कत को बतलाया जाता। बिना स्टेटमेंट दिये हुए इस तरह का विधेयक ले आना और उस पर इतनी देर लगाना मैं समझता हूं कि यह सदन के समय को बरबाद करना है। अगर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया होता तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह समझने का मौका मिलता कि वाकई सरकार के सामने इस तरह की दिक्कत है और पब्लिक मनी जो है उसके वसूल होने में दिक्कत हो रही है। इसलिये हमें सरकार को इस तरह का अधिकार देना चाहिए। इस तरह का कोई स्टेटमेंट सरकार ने नहीं दिया इसी वजह से हमें सरकार के मोटिव पर शुबहा करने का हक है। मैं सरकार से और माननीय बुजुर्गवार मेहरोत्रा जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भगवती सिंह जी को ऐसा कैसे समझा कि वह कुछ बड़े लोगों की मदद करने के लिए इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। कभी उन्होंने यह भी सरकार से पूछने की कोशिश की कि जो ६६-६७ चीनी मिल मालिकों के ऊपर ५ करोड़ रुपया पिछले साल का केन सेस का बकाया है, क्या उसको भी लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करने के लिए वह सख्तियां बरती गयी जो लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए बरती जाती हैं, जिनका उनको अधिकार दिया हुआ है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--उसी तरह का अधिकार यहां दे दीजिये ।

श्री गेंदासिंह--उसी तरह का अधिकार दिया हुआ है । आप मेहरबानी करके सुन तो लें । ६६-६७ चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया, लेकिन लाखों किसानों के ऊपर जिस गवर्नमेंट रेवेन्यू की चर्चा आप करते हैं, उसके द्वारा उनके ऊपर और एक रुपया, ८ आने या इकन्नी भी बकाया हो तो क्या-क्या नहीं किया जाता । इस कानून का नाम लेकर के आज आपकी फौज गांव में जाकर उन्हें बांधती है, उन पर जूते मारती है, उनको मुर्गा बनाया जाता है, उनके पशुओं को कुर्क किया जाता है और उनके माल-मता को बाहर निकालती है । क्या आप चाहेंगे कि इस सदन से इस तरह का अधिकार दे दिया जाय ? हमको आप बता दीजिये कि इन्कम टैक्स का जो कुछ करोड़ का बकाया कानपुर में है उसकी वसूली के लिए कौन सी कार्यवाही गवर्नमेंट की तरफ से की गयी है ? कुछ मुल्तवी दी गयी या नहीं ? जिन करोड़पतियों का जिक्र मेहरोत्रा जी कर रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है कि उनसे इन्कमटैक्स वसूलें । यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से राज्य सरकार करती है । उसमें से यहां के लिए हिस्सा मिलता है । माननीय वित्त मंत्री मेहरबानी करके बतायें कि करोड़ों की बकाया जो इन्कमटैक्स की है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया ? उसको भी तो रेवेन्यू समझा जाता है ?

अब उपाध्यक्ष महोदय, बिजली काट दी जाय, इससे घबराकर धनी आदमी रुपया दे देगा, क्योंकि वह अंधेरे में नहीं रहेगा, बिजली के पंखे के बगैर गर्मी में यहां नहीं रहेगा, उसे कानपुर छोड़कर नैनीताल जाना पड़ेगा । करोड़पति तो चाहता है कि रुपया भी न दें और बिजली लगी रहे । कैसे लगी रहेगी ? कलेक्टर साहब सर्टिफिकेट नहीं ईश्यू करेंगे, तहसीलदार साहब अगर गये तो वारंट नहीं तामील होगा । मालगुजारी डिपार्टमेंट मुल्तवी करता रहेगा । जिस तरह से लोगों का सेस मुल्तवी, इनकम टैक्स मुल्तवी, उसी तरह से बिजली की ड्यूटी मुल्तवी । साल भर, फिर दो साल, फिर तीन साल और फिर राइट-आफ । लेकिन अगर बिजली कट गयी तो पंखा और रोशनी खत्म । और बकाया देने के लिए विवश होना पड़ेगा इसीलिये मैं कहता हूं कि यह उन करोड़पतियों की मदद के लिए, सुविधा के लिए बिल है ।

इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों को इसको किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

मैं अन्त में एक बात कह दूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि बिजली कट जाती है तो हमें कसकता है । इसीलिये हम यह बिल लाये हैं । मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके विभाग की एक खूबी है कि पडरौना में तीन महीने से बिजली कटी हुई है और मिल वाला कहता है कि अगर बिजली विभाग इजाजत दे दें तो हम बिजली लगा लें, लेकिन विभाग से जवाब नहीं जाता है और न जवाब दिया जायगा । बिजली न काटने देने के जुर्म में श्री जगन्नाथमल्ल जी को गिरफ्तार करके १०७ में हवालात में बंद कर दिया गया और ऐसी जगह जिसमें हम लोग कभी नहीं गये । मैं उनसे मिला । बावजूद इसके कि माननीय वित्त मंत्री जी को जानकारी है फिर भी कुछ नहीं हुआ । उनको ऐडजर्नमेंट मोशन के जरिये जानकारी हो चुकी है । मैजिस्ट्रेट ने जो उन्हें छोड़ रखा था तो उस अकेले आदमी को कहा कि २,५०० रुपये की जमानत दो तो छोड़ेंगे और फिर बंद कर दिया गया । यह आपके विभाग की खूबी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जरा सोचे की हम में भी अक्ल है, हम भी समझते हैं और अगर सरकार को वैसी अक्ल नहीं है तो कुछ तो वह जरूर समझती है ।

जौनपुर का मामला अभी उसके सामने था और वहां से एक शिष्ट मंडल मिलने के लिए आया था । उसने अपनी विपत्ति बतायी । जो प्राफिट मेकिंग के लिए बिजली लगायी गयी है, उसमें सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह विधेयक लाकर रखा गया है जिसमें कानपुर के करोड़पतियों को मदद करने का इरादा है । क्यों नहीं केन सेस वगैरह की अभी तक वसूली हुई ? इससे यह समझने का पर्याप्त कारण है कि यह कानपुर के करोड़पतियों की मदद के लिए है । इसलिये इसको नामंजूर किया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तफसील में न जाकर सिर्फ कानूनी बातों का जहां तक संबंध है, उसी तक अपने को महदूद रखूंगा । इससे पहले माननीय फतेहसिंह जी राणा ने फरमाया कि अगर सब की तरह से सरकार अपना भी काम चलायें तो फिर फर्क ही क्या रह जाता है । हम सोचते थे जो दुकानदार हैं, कम खर्चे से अपना काम चलाते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है । जब सरकार दूकानदार बनती है और जब सरकार बनिया बनती है तो उसको भी इसी तरह से काम चलाना चाहिए न कि उसके लिए कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी ताकत चाहिए । यह कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि आपको विशेष आर्डिनेन्स चाहिए, विशेष रूल्स चाहिए । अख्तियारात आप अपने हाथ में लें, यह एक अच्छे व्यापारी के लिये ठीक नहीं है । इसका नतीजा यही होता है कि काम ठीक से नहीं चलता है, जैसे मूंधड़ा के शेयर्स वाला हाल हुआ जिसको आप सब लोगों नें अखबारों में पढ़ा होगा । वही चाहते हैं कि उस तरह की पावर्स आपके पास रहें । पहले आप अपने को ठीक कर लें । पहले आप काबिल बनिये तब किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लीजिये ।

दूसरे इसमें नियम बनाया गया है कि नोटिस की तामील कैसे होगी, किस तरह से कार्यवाही होगी । इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को भी मात कर दिया है । जूरिसप्रूडेंस का सिद्धान्त है कि :---

"Where there is a conflict between a section of any Act and the rule made thereunder the section shall prevail upon the contradictory rules."

यहां पर क्लाज ३ का एक एक्सप्लेनेशन है जो इस प्रकार है कि :---

"The sending of the notice by registered post shall be deemd to be sufficient service on the person concerned."

और दूसरी तरफ आप इसके बरअक्स कहते हैं । कल हम जब नियम बनायेंगे तो श्रीमन्, नियम इसके विरुद्ध पड़ेगा । इस सेक्शन के खिलाफ तो नियम नहीं रहेगा । डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ज्यादा ताकत नहीं होती है बरअक्स उस लेजिस्लेशन के, जिसे हम इस हाउस में बैठ कर एक धारा के रूप में पास करते हैं ।

दूसरी बात इस में आप देखेंगे, जैसा कि विरोधी दल ने शक भी जाहिर किया है कि यह बिल सेठों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं । ५ वें क्लाज में जहां देयों की वसूली की बात है, यह बात नहीं है कि हरएक आदमी से एक अवधि के भीतर वसूली की जायगी । बल्कि यह है कि "बकाया धनराशियां जिनके निमित्त मांग का नोटिस तामील हो गया हो, यदि तामील के दिनांक से तीन दिन के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जिसकी नियम प्राधिकारी अनुज्ञा दे. . . ." तो इस में दो चीजें हैं । पहले तो रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे। अगर उसकी तामील न हो पाये तो कौन सी ऐसी तारीख होगी जिसे आप उस नोटिस की तामील मानेंगे ? इसके अलावा इसमें यह भी बात है कि प्राधिकारी उस अवधि को एक्सटेंड भी कर सकेगा । यानी जो तीस दिन की अवधि मुकर्रर है उस वसूली के लिए जिसके बाद देय धन लैंड रेवेन्यू की तरह से होगा, उस अवधि को प्राधिकारी बढ़ा भी सकता है । तो कानपुर के मिल मालिकों के लिए जो संदेह इधर से प्रकट किया गया है वह ठीक है । जैसा भगवती सिंह जी ने कहा कि पुराने बिजली के जो कानून हैं उन में वसूली का पूरा प्रबंध है । किन्तु उसके अतिरिक्त कानपुर के सेठों से करोड़ों रुपया वसूल नहीं हुआ है । इस बिल में भी यह इस रूप में है कि यदि प्राधिकारी चाहे तो एक्सटेंशन दे देगा । तो लाजमी है कि उन सेठों को ही एक्सटेंशन मिलेगा । क्यों ? इसके वजूहात बयान कर दिये गये हैं । उनमें मैं अधिक दूर तक जाना नहीं चाहता ।

तीसरी चीज इसमें एक यह है कि सरकार के जो रेकर्ड्स होते हैं वह गोपनीय होते हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष---आप अगर चाहें तो अमेंडमेंट्स पर भी कुछ बोल लीजियेगा । इस समय अब ज्यादा समय न लें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--तो मैं केवल इतना निवेदन कर दूं कि दावा दायर करना हर गरीब का काम नहीं है । दावा करने के पहले उसकी एक सादी अर्जी पर विचार हो जाना चाहिए, यह नहीं कि वह कोर्ट फीस जमा करके ही दावा दायर कर सके, तलबाना दे और इस तरह से काफी रुपया पहले ही खर्च कर दे। इससे उसका खर्च ज्यादा हो जायगा। उसके पहले एक मामूली अर्जी पर उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए । खंड ४ में जो सहूलियत आप देते हैं उसमें एक रेमिडी आप यह भी दें कि आपका रुपया जमा करने के बाद बजाय दावे के उसकी एक सादी अर्जी पर भी विचार हो जाय और उसके बाद, यदि वह चाहे तो कोर्ट में जाय ।

इसके बाद जो सरकारी डाकूमेंट होते हैं उनके बारे में एक इस तरह का आशय लिया गया है कि मुकदमों में नोटिस "शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ' (shall be conclusive proof) । किसी को नोटिस मिल गया तो इसके माने यह कि इतनी बिजली उसने ले ली और इस तरह की एक लायबिलिटी उस पर आयद हो गयी, यह बात कुछ समझ में नहीं आती । अल्मोड़े की बात मैं बताऊं कि सितम्बर या अक्तूबर में जितनी बिजली वहां प्रोड्यूस नहीं हुई उससे ज्यादा के बिल वहां उपभोक्ताओं को दिये गये । तो अगर इस तरह का नोटिस कन्क्लूसिव प्रूफ होगा तो सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा कैसे जीतेगा ?

इसलिये अगर आप गरीबों को राहत देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन्साफ हो तो इस बात की जरूरत है कि इसके अन्दर रूल्स का प्राविजन हो । दूसरे यह कि एक रजिस्टर मेन्टेन किया जाय। बिजली के दो ऐक्ट पहले के बने हुए हैं । एक आप यह बना रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय और वहां पर इन सब ऐक्ट पर विचार होकर एक ऐक्ट बन जाय जो सब के लिए लागू हो । यह नहीं कि अलग-अलग ऐक्ट लागू हों । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ।

श्री धर्मसिंह--श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये । जहां तक श्री भगवती सिंह विशारद, श्री ब्रजनारायण तिवारी और श्री प्रतापसिंह जी के संशोधन का प्रश्न है मैं उनका विरोध करता हूं । विरोध इसलिये करता हूं कि उनमें यह कहा गया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और थोड़े से समय के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे । एक साहब ने कहा कि जनमत के लिए घुमाया जाय और एक साहब ने कहा कि यह एक दिन के लिए एक प्रवर समिति को भेजा जाय । जैसा कि फतेहसिंह जी राणा ने बतलाया उनका यह मन्शा नहीं है कि इसके अन्दर कोई कमी है, इसलिये भेजा जाय । उन्होंने कोई सिद्धान्त या इस तरह की बातें नहीं कही जिसकी वजह से वह सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करते हों ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैंने इस सदन के सम्मुख बहुत सी बातें बिल के सम्बन्ध में निवेदन की थीं । इस बिल के सम्बन्ध में आरम्भ में मैंने बतलाया था कि आखिरकार आज तक यह विधेयक क्यों नहीं लिया गया । एक आदमी एक हार्स पावर की बिजली इस्तेमाल करता है । उसके पास ट्यूबवेल है या दूसरी कोई मशीनरी है । उसके लिए सवाल यह आता है कि यदि आज हम उसके बिजली कनेक्शन को काटने के लिए कहते हैं तो उससे उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो रोजगार है या उसके यहां जो एम्प्लायमेंट है क्या उस पर असर पड़ेगा ?

जहां तक लाइट ऐन्ड फैन का सम्बन्ध है जहां कि सरकारी अन्डरटेकिंग्स हैं, 'केसा' है या दूसरी है वहां पर यह शर्त लिखी रहती है कि जिसके द्वारा बिजली का व्यय होता है यदि कोई भी उपभोक्ता समय के अनुसार अपने बिल का भुगतान नहीं करता तो उसको नोटिस देने के बाद उसकी बिजली काटी जा सकती है । जैसा कि मैंने निवेदन किया और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में पूछा कि बिजली क्यों नहीं काट दी जाती । मेरा निवेदन यह है कि बिजली काटने पर, जहां लाखों मजदूर काम करते हैं, वहां क्या दशा होगी । वहां पर बेकारी का प्रश्न पैदा होगा । वहां पर हाहाकार होगी और जो मन्शा है वह पूरा नहीं होगा । हमने बिजली

को जेनरेट किया और बहुत बड़ी तादाद में बिजली को पैदा किया । मिल मालिक या जो भी उपभोक्ता हैं वह पैसा नहीं देते हैं तो उनकी बिजली को काटने के बाद जो बिजली हमने जेनरेट की उसको आखिर कहां ले जायं और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करें ? जैसा कि मैंने निवेदन किया, बहुत से माननीय सदस्यों को यहां पर इस बात को जानने की भी इच्छा है और दूसरे कई सज्जनों द्वारा इस बात को यहां पर उठाया भी गया है कि कंज्यूमर पर इसका क्या असर पड़ेगा । सरकार का इस विधेयक को लाने का यह मन्शा हरगिज नहीं है कि छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स जो लाइट ऐन्ड फैन्स इस्तेमाल करते हैं और जो छोटा रोजगार करते हैं उन पर कोई बहुत बड़ा असर इसका पड़े । यह बात बिलकुल नहीं है । "केसा" का कानपुर में कई लाख रुपया पड़ा हुआ है और नोटिस द्वारा हर तरह उन लोगों से प्रार्थना की गयी कि आप पैसा दे दीजिये लेकिन नहीं दिया । बिजली काटते हैं तो जैसा मैंने कहा कि लेबर पर उसका असर पड़ेगा, प्रोडक्शन नहीं हो पायेगा और बेकारी भी बढ़ जायगी । इन तमाम कार्यवाहियों को करने के बाद भी हमें पैसा वसूल नहीं होता है । तो इस मन्शा से यह विधेयक लाया गया है कि यह हालत न पैदा हो और पैसा वसूल हो जाया करे ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में कहीं । माननीय भगवतीसिंह विशारद ने कहा कि आपके यहां पहले से ही यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट मौजूद है तो उसके ही आधार पर क्यों नहीं कानपुर के लोगों से रुपया वसूल कर लेते । मैं समझता हूं कि यह बात उनको मालूम होगी कि उस ऐक्ट का नाम यू० पी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट है। इसमें ड्यूटी और बिजली के इस्तेमाल हुए यूनिट्स के रुपये में अन्तर है । मान लीजिये जैसा कि अब प्राविजन है उसमें लैंड रेवेन्यू की तरह से ड्यूटी का रुपया तो वसूल हो गया, लेकिन उसके बाद जो बिजली का रुपया रह जाता है उसके लिए कोई प्राविजन नहीं है । वह रुपया उस बिजली को इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता के पास रह जाता है । उसके लिए किसी तरह से वसूल करने का इसमें प्राविजन नहीं है, सिवाय इसके कि आप उपभोक्ता की बिजली को काट दें । इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन किया गया कि सारे नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा । जैसा कि मैंने निवेदन किया इस विधेयक को लाने का यह अभिप्राय किसी प्रकार से भी नहीं है कि सारे नागरिकों पर इसका असर पड़े । कानपुर में १०, १५ आदमी इस प्रकार के हैं जो मिल मालिक हैं । उनसे प्रार्थना की गयी लेकिन आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया । उनसे रुपया वसूल हो जाय इसी मन्शा से इस बिल को यहां पर लाया गया है । बिजली काटने पर बेकारी होती और फिर आप स्वयं शोर मचाते कि सरकार अपने पैसे को वसूल करने के लिए जुल्म कर रही है । इस मन्शा को लेकर वहां पर बिजली काटने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और काटना इस तरह से न आवश्यक ही था । इन तमाम ड्यूज को वसूल करने के लिए यह बिल लाया गया है । हमारे पास कोई प्राविजन नहीं था । अब हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत दे सकते हैं कि अगर वह रुपया जमा नहीं करता है तो उसका मकान नीलाम किया जाय । उसकी जायदाद पर कब्जा किया जायगा । जो लैंड रेवेन्यू का तरीका है उसी तरह से इसको वसूल किया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवेल की बात कही गयी । मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । वह अलग चीज है । प्राइवेट कम्पनी का भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कानपुर के रेट्स के विषय में जो कहा गया कि वहां पर रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो मैं यह कहूंगा कि जहां तक मेरी इत्तला है तमाम उत्तर प्रदेश के रेट्स ले लीजिये और दूसरे सूबों से मुकाबला कर लीजिये हमारे यहां कानपुर के रेट्स कम हैं ।

जनहित के विरोध की बात कही गयी तो मैं यह समझता हूं कि इसमें कोई शक्ति हाथ में लेने का सवाल नहीं है । लैंड रेवेन्यू के वसूल करने में जो एक सिक्योरिटी रहती है वही

[श्री धर्मसिंह]

यहां पर होगी । जो हमारा रुपया पड़ा हुआ है उसको वसूल करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । इस बिल से हम किसी प्रकार की मिल मालिकों की सहायता करने नहीं जा रहे हैं या हम गरीबों पर कुठाराघात करने नहीं जा रहे हैं । इस तरह का कोई अभिप्राय इस बिल को लाने का नहीं है । जो रुपया पड़ा हुआ है वह किसी प्रकार से वसूल हो बस यही मन्शा है। न इससे किसी करोड़पति का सम्बन्ध है और न उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं ।

मैं आभारी हूं कि इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मैं आशा करता हूं कि जो इस पर संशोधन हैं वह अस्वीकृत होंगे और सदन इस विधेयक पर विचार करने का कष्ट करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ जनमत संग्रह के लिए प्रत्येक लोकल संस्थाओं के पास ३० मार्च तक घुमाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८ [U. P. Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1958] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। चूंकि इस प्रस्ताव पर बिचार करने का प्रस्ताव पास हो गया है इसलिये नियम के मुताबिक मैं उचित समझता हूं कि इससे सम्बन्धित कागजात हमको दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---नियम बतला दीजिये जिस से माननीय मंत्री जी को भी मालूम हो जाय ।

श्री राजनारायण---यह तो इतना साधारण नियम है जिसको सभी जानते हैं । यह नियम ९६ है ।

श्रीमन्, जैसा कि सदन के पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि आज किस के ऊपर, किस कम्पनी का कितना रुपया बकाया है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है और जो पुराने ऐक्ट में बिजली कर के वसूल करने की व्यवस्था थी उसके मुताबिक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? वह व्यवस्था अनुपयुक्त थी, समुचित थी या नहीं थी, इसकी कोई जानकारी सदस्यों को कतई नहीं है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और उनका बड़े आभारी होऊंगा यदि वे सम्बन्धित कागजात यहां पर पेश करें जिससे कि खंडवाइज विवाद किया जाय तो उस अवसर पर हम यह समझ पावें कि सही माने में पुराने ऐक्ट को बनाने में सरकार को क्या अधिकार दिये गये थे और उस अधिकार का समुचित प्रयोग सरकार ने किया या नहीं किया और सरकार को अधिक अधिकार देने की इस समय आवश्यकता है या नहीं है । श्रीमन्, जब तक वे सम्बन्धित कागजात प्राप्त न हों तब तक मेरा निवेदन यह है कि इस पर खंडवाइज विचार करना स्थगित किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, एक सूचना मुझे भी इसी सम्बन्ध में नियम ९६ के सम्बन्ध में प्राप्त करनी है। इस विधेयक में यह है कि समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ५ के अधीन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी बनाया जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन को इसकी सूचना होनी चाहिए कि क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कौन-कौन सी अंडरटेकिंग्स को स्टेट ने ट्रांसफर कर दिया है।

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि कुछ कागजात अगर हैं तो उसको पेश करें। जब से यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है, इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने बार बार-यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मंशा है इस विधेयक को लाने का और इसे क्यों लाया गया है। तो जहां तक कागजात का सम्बन्ध है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी और न हम इस विधेयक को किसी पार्टिकुलर अंडरटेकिंग या किसी पार्टिकुलर मिल वाले का खयाल करके ही लाये हैं। इसका कहीं कोई हवाला इस बिल में नहीं दिया गया है।

जहां तक इस बिल के उद्देश्य और कारणों का सम्बन्ध है, अगर आप उसको देखें तो उसमें साफ-साफ यह लिखा है कि ऐसी धनराशियों की शीघ्र वसूली के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार दी गयी बिजली शक्ति के मूल्य की, मालगुजारी की बकाया की भांति वसूली के लिए विधायन द्वारा व्यवस्था की जाय। तो इसके दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने शुरूआत में ही निवेदन किया कि लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूली का कुछ अधिकार हम प्राप्त करना चाहते हैं जिसके आधार पर वह धन वसूल हो सके। इस में कागजात वगैरह का कोई प्रश्न नहीं है। न कोई कागज हैं।

जहां तक श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कही, इस सम्बन्ध में यह विचार है कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने की बात आगे होगी तो उसके लिए प्राविजन है कि इस तरह से लागू होगा। वह पूरे तौर पर कम्पलीट नहीं है। लिहाजा अभी इस सम्बन्ध में कोई बात कहना मुनासिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—उनका कहना है कि कोई कागजात ऐसे हैं नहीं। देखिये, मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर ज्यादा विवाद करने की इजाजत नहीं देता हूं। माननीय राजनारायण जी से मैं कह रहा हूं कि कोई कागज ऐसा है नहीं, इसलिये उन्होंने नहीं दिया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बड़ी विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी वाणी इस अवसर पर जितनी विनम्र हो सके वह हो जाय। सरकार यह कहती है कि उसके पास कोई आधार नहीं है। जिसके ऊपर यह बिल पेश किया गया है। जब कोई आधार ही नहीं है, श्रीमन्, तब तो इस बिल के लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आप इसको इसी आधार पर रोक सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का अर्थ है उत्तर प्रदेश की सरकार और बोर्ड का अर्थ है, समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ५ के अधीन संगठित "स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड", दोनों हैं। तो समय-समय पर जो बोर्ड संगठित हो चुके हैं या आगे होंगे या राज्य सरकार की ओर से जो कनसर्न्स हैं उनसे जो लोग बिजली ले रहे हैं उन पर कितनी जबरदस्ती करने वाला और कष्ट पहुंचाने वाला यह विधेयक है। देखा जाय तो हम अपने

[श्री राजनारायण]

कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे यदि हम एक आदमी से कह दें कि तुमको नोटिस भेज दिया गया और उसको नोटिस न मिले, क्योंकि इस में यही है कि नोटिस बस डाक द्वारा भेज दिया जायगा और उसी को तामील समझा जायगा। वह उसको पाये या न पाये। बिना किसी आधार या तथ्य के कि कितना रुपया बकाया है, किस पर बकाया है, इतना अनिष्टकर यह विधेयक हमारे सामने आया है। अगर चन्द करोड़पतियों पर बकाया है तो इतना बड़ा अधिकार सरकार को क्यों दिया जाय जब तक कि वस्तुस्थिति हमारे सामने न आये।

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि सरकार अनावश्यक ढंग से बहुसंख्या के बल पर इस तरह से विधेयक को पास कराने की चेष्टा न करे। सरकार यह कितना बड़ा अधिकार ले रही है इसको वह नहीं समझ पा रही है। यह तो वह एक तूफान बर्पा कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने कनसर्न्स हैं, कितने बोर्ड संगठित हैं, कितने आगे और होंगे और कितना रुपया कितने लोगों पर बकाया है, अगर चन्द लोगों पर ही बकाया है तो हम दूसरा सुझाव दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी, सचमुच यह तो समझने की बात है। कैसे मान लिया जाय कि बिना लिखित रूप से सूचना पाये सरकार ने विधेयक उपस्थित कर दिया। अगर कोई कागजात या कोई फाइल इस सम्बन्ध में हो, यह मुनासिब होगा कि आप उनको यहां सेक्रेटरी की टेबिल पर रखा दें।

श्री धर्मसिंह---श्रीमन्, इसका आधार तो मैंने शुरू में ही बिल पेश करते वक्त बताया था कि कुछ लोगों पर पैसा बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, जो कोई फाइल इस सम्बन्ध में हो जिसके कारण यह विधेयक लाने की जरूरत हुई हो तो उसे कृपया मंगाकर आप यहां सेक्रेटरी की टेबिल पर रखा दें।

श्री धर्मसिंह---बहुत अच्छा, देखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---तब तक क्लाज २ पर जो श्री भगवती सिंह विशारद का संशोधन है, उसे वह पेश करें।

श्री राजनारायण---इस तरह से उस पर विचार भी इतनी देर में हो जायगा और वह पास भी हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---कार्यवाही रुकने की व्यवस्था नियमों में नहीं है, वह तो चलती रहेगी। सदन के नियमों में यह नहीं है कि ऐसे समय में इस कारण से कार्यवाही रुक जाय, यह मजबूरी है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, कितनी मिसअन्डरस्टैंडिंग है। कोई चीज साफ नहीं है। जिस चीज की नियमों में व्यवस्था नहीं है उस सम्बन्ध में चेयर को अख्तियार है।

श्री उपाध्यक्ष---वह प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़े समय में नहीं आयेगा तो बाद में देखा जायगा। मंत्री जी कृपा करके जल्दी ही वह कागजात यहां रखा दें।

खंड २

परिभाषायें

२---विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:---

(क) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई व्यक्ति जो सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था द्वारा दी गई बिजली-शक्ति का उपभोग करता है;

(ख) "नियत प्राधिकारी" के अन्तर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति आता है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कार्य करने के निमित्त ऐसे क्षेत्र के लिए जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकृत किया हो ;

(ग) "सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्था" के अन्तर्गत कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन तथा राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा संचालित या नियंत्रित ऐसी अन्य बिजली-व्यवस्था संस्थाएं आती हैं , जो एतदर्थ विज्ञापित की जायें;

(घ) " राज्य सरकार " का अर्थ है उत्तर प्रदेश की सरकार ; तथा

(ङ) "बोर्ड" का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट , १९४८ की धारा ५ के अधीन संघटित " स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड " ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ के शब्द "उपभोग" तथा पंक्ति ३ के शब्द "करता" के बीच में शब्द " औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए" रख दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण करते हुए यह बताया कि कानपुर के दस पांच उद्योगपति ऐसे हैं जिनके कारखानों में काफी रुपया सरकार की बिजली कम्पनियों का बाकी पड़ा है और उसकी वसूली में काफी दिक्कत हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—सम्बन्धित कागजात सदन की टेबुल पर हैं, जिनको देखना हो वह देख लें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—इसी तरह के विचार श्री मेहरोत्रा जी और फतेहसिंह राणा जी ने भी व्यक्त किये थे । आप ने भी सब बातें सुनी थीं । मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है अगर वे हमारा यह संशोधन मान लें तो अभी यह मालूम हो जायगा कि वह भी उपभोक्ताओं के, मध्यम श्रेणी के लोगों के, पूर्णतया पक्ष में हैं । इससे यह भी मालूम हो जायगा कि कानपुर के जो बड़े-बड़े दस, पंद्रह उद्योगपति हैं और जो सरकार की बिजली कम्पनी का रुपया नहीं देना चाहते हैं उनके ऊपर सरकार कुछ मजबूती के साथ कार्यवाही करना चाहती है । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि शब्द "उपभोग" तथा "करता" के बीच में शब्द "औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए" रख दिये जायं । इससे बात बिलकुल साफ हो जायगी और कंज्युमर्स पर कोई तकलीफ नहीं आयेगी । जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जायगा वहीं पर जो बकाया होगा उसके वसूल करने के लिए लैंड रेवेन्यू की तरह यह विधेयक इस्तेमाल किया जायगा ।

अब माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि अगर इसी बात को मान लें तो बड़े-बड़े जो पूंजीपति हैं वह अपने यहां महीने में सैकड़ों रुपया बिजली खर्च करते हैं । अगर यह विधेयक सिर्फ औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाय तो पूंजीपति फिर बच जायंगे । दस पांच रुपये वालों के साथ , जो महीने में सौ-सौ, दो-दो सौ रुपये की बिजली खर्च करते हैं अपने फैन्स पर , कूलर्स पर, हीटर्स पर वह भी बच जायंगे । उनकी सुविधा के लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की २४ वीं धारा को देख लें । उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर बिजली का पैसा नहीं अदा करता है , लाइसेंसी को समय पर पैसा नहीं देता है तो बिजली कम्पनी को हक होगा कि वह उनका कनेक्शन काट दे । यह तो बड़ा अच्छा होगा । जहां उनको तकलीफ हुई, जाड़ों में गर्मी न मिली और गर्मियों में ठंडक न मिली, कूलर्स और फैन्स का इस्तेमाल न हो सका तो

[श्री भगतीसिंह विशारद]

पैसा निश्चय रूप से वसूल हो जायगा । इसलिये जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उसकी ताईद राणा जी भी करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी सफाईसे कहा गया है कि उनको उद्योग-पतियों के मजदूरों की ओर हमदर्दी है और मजदूर बेकार हो जायगा । औद्योगिक प्रतिष्ठान में इस विधेयक को जरूर लागू कर दिया जाय ताकि मजदूर बेकार न हो । मेरा निवेदन है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान पर ही इस विधेयक को लागू किया जाय और साधारण लोगों के ऊपर न लागू किया जाय । मैं आशा करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं भी इस संशोधन में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं । जल्दी में मैं लिख नहीं पाया । बोले देता हूं ।

"उपभोक्ता का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसकी मासिक आमदनी १,००० रुपये महीना से अधिक हो और जो सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था द्वारा औद्योगिक बिजली शक्ति का उपभोग करता हो", इतना बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो नया संशोधन आपने पेश कर दिया । इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा । आप माननीय भगवतीसिंह विशारद के संशोधन में संशोधन पेश कर सकते हैं क्योंकि नियम के अनुसार नये संशोधन के लिए ३६ घंटे का नोटिस होना चाहिए ।

श्री राजनारायण—नियम के मुताबिक, आप स्वतः जानते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को आगाह कर देना चाहता हूं कि उन्हें संयम के साथ हर बात कहनी चाहिए ।

श्री राजनारायण—इससे ज्यादा संयम की बात कोई हो नहीं सकती । जब दिन के दिन प्रोग्राम का ऐलान होगा और उसी दिन बहस होगी तो अमेंडमेंट भी उसी दिन हो जायंगे । मेरा संशोधन यह है कि श्री भगवतीसिंह जी के संशोधन के अन्त में मैं " औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए" के बाद शब्द "एवं जिसकी आमदनी एक हजार रुपये से अधिक हो " बढ़ा दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप लिखकर भेजवा दीजियेगा ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक की इस धारा का मैं विरोधी हूं और निहायत संयम के साथ विरोध करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं यदि आवश्यकता हो तो इस सदन के समय को फिर बाद में बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा जाय क्योंकि कांग्रेसी दल के लोग जो राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में या जिन बातों के सम्बन्ध में यहां पर भ्रामक विचार धारा को प्रकट किये हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि सरकार अन्धकार में है । वह कुछ भी काम कर डाले उसी को राष्ट्रीयकरण समझने लगते हैं इसलिये अनर्थ हो रहा है । मैं वह लिस्ट पढ़ देना चाहता हूं जो हमें अभी सरकार की ओर से मिली है । जरा माननीय सदस्य जान लें कि किनके ऊपर रुपया बकाया है । लिखा हुआ है :—

"*Kanpur Electricity Supply Administration, Government of Uttar Pradesh*—Electricity dues including electricity duty payable by the Textile Mills in Kanpur in respect of bills submitted for consumption up to 31st December, 1957"

यानी जनवरी और फरवरी का इधर और बढ़ गया होगा । माननीय सदस्य जान लें कि कानपुर के वे मिल मालिक जिनके ऊपर इस समय रकम बकाया है ३१ दिसम्बर, १९५७ तक यह उनकी लिस्ट यहां पर अभी आयी है । यह सब मिल्स हैं ।

एथर्टन वेस्ट मिल्स १,१४,४३५ रु० १० नये पैसे ।

एल्गिन मिल्स---२,६७,१०२ रु० ५७ नये पैसे।
मेसर्स जुग्गीलाल कमलापति---४,४०,६८० रु० ७ नये पैसे।
लक्ष्मी रतन काटन मिल्स---२,८२,२६५ रु० १४ नये पैसे।
म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड---३,६६,५९९ रु० ८८ नये पैसे।
न्यू विक्टोरिया मिल्स---२,५५,२२६ रु० ७७ नये पैसे।

श्री उपाध्यक्ष---आप नये पैसे में भी कोई रियायत नहीं करना चाहते (हंसी)।

श्री राजनारायण---न्यू विक्टोरिया मिल्स---२,९५,२२६ रु० ७७ नये पैसे।
स्वदेशी काटन मिल्स---७,०२,२१३ रु० २८ नये पैसे।
कानपुर टेक्सटाइल्स---१,१८,६२१ रु० ७८ नये पैसे।
कानपुर काटन मिल्स---१,१८,८३७ रु० ४५ नये पैसे।
कुल टोटल---२६,६७,९९१ रु० ९८ नये पैसे।

श्रीमन्, यह करीब २७ लाख की रकम जो बाकी है वह सब मिल मालिकों के ऊपर है।

श्री धर्मसिंह---गरीबों पर भी है।

श्री राजनारायण---उनकी भी लिस्ट लाइये। अगर उन की कोई लिस्ट हो तो सबमिट कीजिये।

श्री फ़तेहसिंह राणा---यही गरीब हैं।

श्री राजनारायण---हां। अगर यही गरीब हैं जो सही गरीबों को खाये जा रहे हैं तो गोहाटी में किसी ने कहा था कि जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का हरिजन मन्दिर प्रवेश करने से प्राणापहरण हो गया, उसी तरह से कांग्रेस का गोहाटी में जाने से समाजवाद का अपहरण हो गया।

(व्यवधान)

अब डाक्टर सम्पूर्णानन्द अगर होते तो समाजवाद के बारे में कुछ कहते। श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा जी को शायद समाजवाद के अर्थ भी न मालूम होंगे। आप से क्या कहें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय शान्तिप्रपन्न जी को इस बात पर कोई एतराज तो नहीं है?

श्री राजनारायण---नहीं। क्योंकि सरकारी पक्ष के जो लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। तो राष्ट्रीयकरण के मतलब अगर किसी से कहें। मैं जरा राणा साहब से निवेदन करूंगा कि कोई एक व्यक्ति है वह कोई बिजनेस कर रहा है या उसके बिजनेस से जनता का हित है और जनता को मुसीबत कम है और सरकार आकर के कोई बिजनेस करती है और अगर वह सरकार मुसीबतों को दुगना, चौगुना बढ़ा देती है और सारी ताकत अपने हाथ में ले लेती है तो क्या इसी को राष्ट्रीयकरण कहा जायगा? नेशन माने जनता, जनता है उस में कि नहीं नेशनलिटी प्लस पीपुल इज इक्वल टु नेशनलिटी (Nationality plus people is equal to nationality)। आज कांग्रेस पक्ष के लोग जब बोलने खड़े होते हैं तो वह जनता को राष्ट्र से अलग कर देते हैं और सरकार को राष्ट्र मान लेते हैं। हर तानाशाह, हर डिक्टेटर, हर जनतांत्रिक पद्धति और प्रणाली का घोर शत्रु सरकार और राष्ट्र का फर्क आज नहीं कर रहा है और मैं चाहता हूं, श्रीमन्, आप के द्वारा कि पांच वर्ष तक अनवरत शिक्षा यहां पर प्रदान की गयी मगर आज तक कांग्रेस पक्ष के लोग सरकार और नेशन का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। सब से बुनियादी गलती और खराबी आज सरकार की ओर से यह हो रही है, कहीं ऐसा न हो श्रीमन्, मैं माननीय फतेह सिंह राणा से निवेदन करूंगा कि जनता राष्ट्रीयकरण शब्द से भड़कने लग जाय। क्योंकि इसी सरकारीकरण की ओर, इसी कुत्सित बुद्धिकरण को यदि सरकार राष्ट्रीयकरण कहने लगेगी

[श्री राजनारायण]

तो जनता भड़क जायगी, जनता कहेगी कि इस राष्ट्रीयकरण से पिंड छुड़ाओ। इस लिए मैं निवेदन करूंगा आप के द्वारा कि आज यह इस शब्द का आखिरी प्रयोग सरकार की ओर से हो। राष्ट्रीयकरण शब्द का मतलब है जब कि राष्ट्र की जनता का उसके विनिमय प्रबन्ध में उसके उत्पादन में, उस के वितरण में पूरा हाथ हो, सरकार का ही हो और न तो सरकारी कर्मचारियों का। इसीलिए इसी क्रान्ति को मैनेजीरियल श्रम क्रान्ति कहा जाता है। उसको जनक्रान्ति नहीं कहा जाता है और इतनी सफाई होने के बाद यदि हर सरकारी व्यवसाय को राष्ट्रीयकरण कहने लग जायेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस सदन में दिये गये पुराने भाषणों को पढ़ लें, क्योंकि कुछ लोग नये आये हैं, और राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण में जो जमीन आसमान का फर्क है उसको समझकर के आगे विधेयक लायें।

अब दूसरी बात मैं कहता हूं, श्रीमन्, कि क्यों सभी सरकारी कम्पनियों से या बोर्ड द्वारा संगठित कम्पनियों से बिजली लेने वाले इस मुसीबत में डाले जायं, क्योंकि माननीय राणा साहब या सरकारी पक्ष के और जितने लोग बोले सब यही कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों का हित साधन करना चाहते हैं, तो इसमें भी तो जरा गरीबों की छूट हो, जो छोटे छोटे लोग हैं एक हजार रुपये से कम आमदनी वाले लोग हैं उनके ऊपर इस गलाघोंटू विधेयक का असर कतई न पड़े। पहले तो यह विधेयक ही दोषपूर्ण है। हम इस विधेयक के बुनियादी तौर पर विरोधी हैं। हम इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कतई सहमत नहीं हैं क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में तो वह विधेयक भेजा जा सकता है जिसके उद्देश्य से हम सहमत हों...

श्री उपाध्यक्ष--प्रवर समिति में जा नहीं रहा है।

श्री राजनारायण--जी हां, प्रस्ताव आ गया था लेकिन माननीय गेंदासिंह ने उसका विरोध कर दिया था। सेलेक्ट कमेटी में तो वह विधेयक जाना चाहिए जिसके सिद्धान्त से हम सहमत हों। लेकिन अब हम लात खाते खाते, पिटते-पिटते इस नतीजे पर आ गये हैं कि मर्यादा साधु के साथ भी हो और मर्यादा डाकू के साथ भी हो। मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। बदमाशों के साथ और डाकुओं के साथ मर्यादा भंग करते-करते आज यह हुकूमत डाक्टर राममनोहर लोहिया के साथ और उग्रसेन जी के साथ भी मर्यादा भंग कर रही है। इसलिए हमारा कहना है कि सरकार के हाथ में इतनी शक्ति हरगिज नहीं दी जानी चाहिए कि जो भी सरकारी कम्पनी से बिजली ले या बोर्ड द्वारा संगठित कम्पनी से बिजली ले उसके ऊपर नोटिस भेज दी जाय और सरकार मनमाने तरीके से मालगुजारी की तरह जेल में ठूस करके बकाया पैसा वसूल करे। यह बड़ा भारी अधिकार सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार इनके लिए यह जो नौ राकफेलर्स हैं, हिन्दुस्तान के इनके लिए आम जनता के ऊपर इतना बड़ा अधिकार अपने हाथ में ले कर तूफान बरपा करना चाहती है तो सरकार बाज आये इस से। इन्हीं के लिए यदि सरकार चाहती है तो सरकार नाम लेकर के कहे, इसी विधेयक में नाम लिखा जाय कि इन नौ मिलों के ऊपर जो पैसा बकाया है उस पैसे को अगर वह महीने, पन्द्रह दिन या पांच दिन के अन्दर नहीं देंगे तो उन को उठाकर के जेल में बन्द कर देंगे। मैं बिल्कुल उस विधेयक को मानने के लिए तैयार हूं और तब मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा अगर यह सरकार मिल मालिकों की चेरी नहीं है, करोड़पतियों की दासी नहीं है, अगर यह सरकार जनता की सरकार है तो इस तरह का विधेयक वह लाये। इस लिए मैं आप के द्वारा निवेदन करता हूं कि सरकार करोड़पतियों की सेवा करने की आदत छोड़े। इस विधेयक को वापस लेकर एक ऐसा विधेयक लाये, उसको हम पांच मिनट में पास करेंगे और श्रीमन्, मैं माननीय नारायणदत्त जी से भी निवेदन करूंगा कि और जो दूसरे साथी हैं उन से भी निवेदन करूंगा कि इस समय हम इस हैसियत में हैं कि हम आश्वासन भी सरकार को दे दें कि अगर इन ९ मिल मालिकों से इस सेस की बकाया के लिए सरकार आज एक ऐसा

विधेयक पास करें और इन ड्यूज की अदायगी के लिए उनको एक महीना, दो महीना, तीन महीना जेल में भी रखें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। – क्यों साहब, कोई एतराज तो नहीं है ?

कुछ सदस्य--नहीं है।

श्री राजनारायण--तो सर्व सम्मति ही है यह भी आपने देख लिया। तो मुझे आशा है कि हमारे नवयुवक वित्त मन्त्री जिनकी मैं कई कारणों से, व्यक्तिगत भी, इज्जत करता हूं, लेकिन वह बेचारे क्या करें ? वे कहा करते थे, जब साइबेरिया में रूस के लोग जाते थे...

श्री उपाध्यक्ष--मैं कहूंगा कि यह संशोधन है, इसका ध्यान रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वह भी इसी से सम्बन्धित है कि टैक्स कैसे लगे, प्राइस कन्ट्रोल कैसे हो, उत्पादन कैसे हो, इन बातों पर चर्चा के समय जो पुराने मुड्ढ रहा करते थे, अपने नवीन कार्यकर्त्ताओं से कहा करते थे कि उनसे बचना, क्योंकि वह पुरानी गाथाओं को कह-कह कर के समाजवाद को विकृत करने की चेष्टा करते हैं। उसी तरह से मैं देखता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी भी जो इस विधेयक को पेश कर रहे हैं वह बेचारे उन्हीं घुटे घुटाये पंडों के फेर में पड़े हुए हैं जो कि अपनी दुकान दशाश्वमेध घाट पर लगाते हैं। तो आप के द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वह हमारे सुझाव को मानें और करोड़पतियों को दंड देने में जो भी उनका कार्य होगा उसका समर्थन हमारी ओर से किया जायगा। यह बार-बार कहा जाताहै कि सोशलिस्ट पार्टी सरकार के हर काम का विरोध करती है तो इस काम में हमारा उनके साथ पूरा सहयोग होगा। तो इस धारा का हम विरोध करते हैं और अगर संशोधन को सरकार मान ले तो हम उसका समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--इतना मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ५ बजने में २० मिनट रहने पर संशोधनों पर वाद-विवाद बंद हो जायगा। इसलिए माननीय सदस्य आत्म नियंत्रण रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं श्रीमन्, आत्म नियंत्रण रखने की चेष्टा करूंगा।

श्रीमन्, मैं माननीय भगवतीसिंह विशारद के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और बधाई भी देता हूं कि बिना इस फाइल और कागज को देखे उन्होंने अन्दाज लगा लिया कि यह विधेयक वास्तव में तो केवल औद्योगिक प्रस्थान, यानी इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स के लिए लाया गया है, लेकिन इस में शामिल सब कर दिया गया है। माननीय राजनारायण जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस फाइल को तलब कर के एक बड़े पोल-खाते को इस सदन के सामने पेश होने का मौका दिया। मैं जानता हूं, क्योंकि वित्त मन्त्री जी को कठिनाई हो रही थी, उनकी दिक्कत को अब सदन भी समझ गया होगा। मैं एक और दिक्कत की तरफ माननीय मन्त्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जो बात समझता था वही बात कागज देख कर मुझे नजर आ गयी। श्रीमन्, यह जो कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, इस में लिखा है --

"Government of Uttar Pradesh electricity dues (including electricity duty) payable by the Textile Mills in Kanpur in respect of bills submitted for consumption up to 31st December, 1957."

श्रीमन्, इस में, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ड्यूज में एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी भी शामिल है। उसके बारे में पहले से ऐक्ट मौजूद है। यह एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी का ऐक्ट, १९५२ में ही पास

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हो चुका है और इसके कलेक्शन के लिए लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल करने के लिए पावर्स पहले से ही मौजूद हैं। इसकी धारा ७ है--

"*Electricity Duty recoverable as arrears of Land Revenue*—Any sum due on account of electricity duty, if not paid at the prescribed time and in the prescribed manner, shall be recoverable by the State Government as an arrear of land revenue."

इस लिए जो पावर आप मांग रहे हैं इस विधेयक द्वारा वह अनावश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रुपये में से कितनी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है? यह सात लाख रुपये के करीब है, इसको आपने ऐज एरियर्स आफ लैंड रेवन्यू क्यों नहीं वसूल किया? श्रीमन्, इसके लिए सरकार के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जो रुपया सरकार वसूल कर सकती थी वह क्यों नहीं वसूल किया गया। करोड़पतियों की सेवा के नाम के जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं, मैं भी उनको कहने के लिए मजबूर हूं।

श्री राजनारायण--सेविका कहिये।

श्री उपाध्यक्ष--यह शब्द तो सरकार के लिए उन्होंने कहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह शब्द तो स्त्रीलिंग है।

श्री उपाध्यक्ष--इसी लिए तो कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आप की रूलिंग है इस लिए मुझे इसको मानना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री जी से आप के द्वारा मांग करूंगा कि वह स्पष्टीकरण दें कि इन ७/८ कम्पनियों से यह रुपया क्यों नहीं वसूल किया गया और क्या गारन्टी है कि अगर आप को सदन अधिकार दे भी दे तो आप फिर यह रुपया ऐज लैंड रैवेन्यू वसूल कर लेंगे जब कि १९५२ का ऐक्ट मौजूद होते हुए रुपया वसूल नहीं किया गया। तो सरकार उसका प्रयोग करेगी, या नहीं या सरकार गरीबों के लिए लखनऊ में जो १२/१४ रुपये वाली आबादी है, उनके साथ प्रयोग होगा। इस लिए जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहां सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार के निरर्थक विधेयक नहीं लाने चाहिए जब कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल करने के लिए पहले से एक्ट मौजूद है तो क्यों नहीं उसको प्रयोग किया गया और दूसरा विधेयक ला रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के निरर्थक और अनर्गल विधेयक न लाइये और जो अधिकार देने की बात कही है उसे स्वीकार करें।

श्री धर्मसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जो श्री भगवतीसिंह जी ने संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और इसको बिलकुल भी स्वीकार नहीं करता। जब हम कोई विधेयक बनाने के लिए चलते हैं और हम किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर ही आगे चलें, और बातों को न सोचें तो हमारा अभिप्राय हल नहीं हो सकता है। उनका कहना यह है कि "औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए"--इन शब्दों को 'उपभोग' तथा 'करता' के बीच, रखें। आगे चलकर कोई भी अन्डरटेकिंग हो सकती है, कोई फर्म नहीं हो सकती है या कोई चीज ऐसी हो सकती है कि इसके उपयोग से कोई सम्बन्ध न हो। इसलिए यदि हम इन को जोड़ देते हैं तो इसकी मंशा बहुत संकुचित और छोटी हो जाती है और हमारा मतलब हल नहीं होता है। इसलिए जो आपका संशोधन पेश है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा जवाब दिया जाय कि आप ने सात लाख एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्यों नहीं वसूल की जब कि वसूल करने का अधिकार था?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय भगवती सिंह जी विशारद, क्या आप राजनारायण जी का संशोधन अपने संशोधन में शामिल करने के पक्ष में हैं?

श्री भगवतीसिंह विशारद--जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ के शब्द "उपभोग" तथा पंक्ति ३ क शब्द "करता" के बीच में शब्द "औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन क लिए एवं जिनकी आमदनी १ हजार रुपये से अधिक हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---४६,

विपक्ष में---११८।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३---जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्था को कोई धनराशि देय हो तो नियत प्राधिकारी वह धनराशि बकाया होने के दिनांक से ३० दिन के बाद किसी समय देनदार व्यक्ति के नाम मांग का एक नोटिस तामील कर अथवा करा सकता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा देय धनराशि, तथा वह व्यवसाय-संस्था जिसके सम्बन्ध में धनराशि बकाया हो, उल्लिखित होंगे। न दिये गये देयों की मांग का नोटिस।

स्पष्टीकरण---(१) नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना संबद्ध व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायगा।

स्पष्टीकरण---(२) बिल में देय धनराशि के भुगतान के लिए उल्लिखित दिनांक की समाप्ति पर सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्था को देय धनराशि बकाया हुई समझी जायगी।

श्री भगवती सिंह विशारद---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मैं ने जो अपना संशोधन भेजा था वह निम्न प्रकार है---

"स्पष्टीकरण १ में शब्द "नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप जिस रूप में पेश करना चाहें पेश करिये।

श्री भगवती सिंह विशारद---मान्यवर, खंड ३ के स्पष्टीकरण १ में मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :---

"खंड ३ के प्रथम स्पष्टीकरण की पंक्ति १ में शब्द 'भेजा जाना' के स्थान पर शब्द 'भेजने पर' तथा पंक्ति २ में शब्द 'पर पर्याप्त' के स्थान पर शब्द 'को प्राप्त हो जाने पर' रख दिये जायं।"

श्रीमन्, जैसा कि प्रस्तुत विधेयक में है कि नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना संबंधित व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायगा, यह इस विधेयक की ऐसी विचित्र धारा है जिसको पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक जहां भी तामील होने का तरीका है वह यही है सम्बन्धित व्यक्ति पर कोई नोटिस तामील होने का अर्थ यह होगा कि व्यक्तिगत रूप से उसको दी जाय, दूसरा तरीका यह है कि अगर डाक से भेजी जाय तो उसको प्राप्त हो जाय और उसक प्राप्त होने के हस्ताक्षर मिल जायं। तीसरा तरीका यह है कि यदि वह व्यक्ति न मिले तो उसके घर पर या जो भी उसका पता हो वहां वह नोटिस चस्पां कर दी जाय और इसके लिए दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर ले लिये जायं कि नोटिस चस्पां कर दी गयी। और चौथा तरीका यह है कि समाचार-पत्रों में छपवा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में शान्ति नहीं है, शान्ति रहनी चाहिए।

श्री भगवतीसिंह विशारद--लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें यही स्वीकार कर लिया है कि अगर किसी बिजली कम्पनी के कार्यालय से कोई नोटिस डाक के द्वारा भेज दिया जाय तो वह तामील हुआ माना जायगा। अगर बिजली कम्पनी के कर्मचारी किसी व्यक्ति का पता गलती से लिख जायं, तो भी वह उस आदमी के ऊपर तामील ही मान लिया जायगा या अगर वह उस आदमी को न मिल कर बिजली कम्पनी के कार्यालय में वापस आ जाता है तो भी उस पर तामील मान लिया जायगा। इस लिए मैं समझता हूं कि नोटिस के तामील होने के सम्बन्ध में जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसको मन्त्री जी स्वीकार करेंगे और उपभोक्ता के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है उसको न आने देंगे। अगर वे मेरे इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों की लापरवाही बरतने के लिए वे काफी सुविधा प्रदान करेंगे।

*__श्री ब्रजनारायण तिवारी__--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भगवतीसिंह जी विशारद के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आखिर कलई खुल ही गयी। अब यह चीज छिपी नहीं रही कि यह विधेयक केवल शहर के उपभोक्ताओं से ही सम्बन्धित नहीं है। आज सरकार के द्वारा भारी पैमाने पर बिजली का उद्योग चलाया जा रहा है और उसका सम्बन्ध देहात के किसानों से भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सरकार की नीयत उन पूंजीपतियों से वसूल करने की बिलकुल नहीं है, बल्कि इस सरकार के दिमाग में यह है कि उन किसानों से बिजली का कर कैसे वसूल किया जाय और उसके सम्बन्ध में डाक द्वारा नोटिस भेज कर तामील हुई माने जाने की बात वह चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत अन्यायपूर्ण है। मैं विशारदजी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो कम से कम इस संशोधन को वह मान ले। श्रीमन्, समय कम है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री धर्मसिंह--जो यह संशोधन भगवतीसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि कानपुर में ३०, ४० हजार कंज्यूमर्स हैं और उनको अगर एक व्यक्ति नोटिस तामील करने जाय कि आप के यहां इतनी बिजली कंज्यूम हुई, तो इस प्रोसेस में उस व्यक्ति को बड़ी कठिनाई होगी और बहुत सा रुपया खर्च होगा। कानपुर में अभी तक पद्धति इसी प्रकार की है कि रजिस्ट्री नोटिस को नोटिस समझा जाता है और उसको भेज देना ही इस बात का प्रमाण होगा कि वह नोटिस तामील हो गयी। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस सीधे संशोधन का भी विरोध किया तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। मैं आपके द्वारा यह भी कह देना चाहता हूं कि यह अवैध हो जायगा। कोई भी व्यक्ति इस क्लाज को ले कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। हमारा यह बुनियादी हक है कि हमको जवाब देने का मौका मिले। सरकार चाहती है कि हमको राइट आफ रिप्लाई भी न रहे। न मालूम किस दिमाग से, नरक कुन्ड के न जाने किस गन्दे कीड़े ने किसके दिमाग को चाट रखा है चलनी की तरह, और उसके दिमाग से यह निकला है..

श्री नारायणदत्त तिवारी--कौन सा नरक?

श्री राजनारायण--रौरव नरक। तो मैं यह कहता हूं कि इस क्लाज के लिए तो यदि आपको अधिकार हो तो आप स्वतः ही इसको निकाल दें और मंत्री जी स्वयं सोचें कि किसी ने गलत या सही हिसाब बना दिया और उस हिसाब के माफिक कंज्यूमर बेचारे पर नोटिस भी तामील हो गयी। उस बेचारे को चिट्ठी भी नहीं मिली और वह समझ नहीं पाया कि हमको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो हिसाब भेजा गया है वह गलत है या सही है, उसका वह जवाब भी नहीं दे पाया, लेकिन सरकार समझ लेगी कि उसको नोटिस तामील हो गया है और उसका बकाया अगर वह तीस दिन के अन्दर न अदा कर देगा तो सरकार लैंड रेवेन्यू की तरह से उसको वसूल कर लेगी और वसूली न होने पर उसे जेलखाने भेज सकते हैं । मैंने पहले ही कह दिया था कि यह बड़ा अनर्थकारी विधेयक है । मैं समझता हूं कि इतने से ही काफी रोशनी मिल गई होगी । अगर संविधान की कापी होती तो उसको देख लिया जाता । दुनिया की हर डेमोक्रेसी में व्यक्ति को यह एक हक़ हासिल है कि वह जवाब दे सके, लेकिन सरकार कहती है कि जो हम हिसाब बनाकर रजिस्ट्री चिट्ठी द्वारा भेज देंगे उसके मुताबिक उसको देना पड़ेगा । चाहे वह हिसाब पाये या नहीं, चाहे वह चिट्ठी पाये या नहीं । अगर यह लिख देते कि चिट्ठी लेने से इन्कार करने पर ऐसा होगा तो भी ठीक था । उसमें तो इस प्रकार की धारा लाने की कोई गुन्जायश हो सकती थी, लेकिन जिस रूप में यह धारा है इसमें तो इससे से बढ़ कर तानाशाही, अधिनायकशाही और एकतंत्रशाही विधेयक की धारा न कोई दुनिया में हुई है और न होनी चाहिए ।

इसलिये मैं आपके द्वारा निहायत अदब से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह खुद सोचें । मैं समझता हूं कि अगर सदन की कार्यवाही स्थगित करके भी उनको सोचने का मौका लेना हो तो ले लें, लेकिन इस धारा को किसी तरह से पास न होने दें । अगर बाहर के लोग अखबारों में इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, पता नहीं, यह सब इसी तरह से लोगों के सामने जायगा या नहीं, लेकिन अगर लोग सोचेंगे कि नोटिस का भेज देना ही.....

श्री उपाध्यक्ष---पुनरावृत्ति हो रही है ।

श्री राजनारायण---उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन अगर बाहर के लोग पढ़ेंगे और कानूनी दिमाग के लोग सोचेंगे तो उनके सामने हम लोग कितने ओछे मालूम होंगे, कितने छोटे मालूम होंगे । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि सरकार खुद इस गहराई में जाय और गहराई में जा कर अपनी निन्दा न कराये । अपनी इस तरह की आलोचना न करावें और जरा सदन के सम्मानित सदस्यों को भी ठीक तरह से बाहर की नजरों में रखने की कोशिश करे । इसलिये मंत्री जी इस क्लाज को हटावें या इसे ठीक तरह से परिमार्जित करें ।

श्री फ़तेहसिंह राणा---उपाध्यक्ष महोदय, अब डाक के जरिये नोटिस भेजा जाना उन लोगों के द्वारा गलत कहा जा रहा है जो अभी यह कहते थे कि प्राइवेट कम्पनियों के और व्यापारियों के यहां बड़ा अच्छा इन्तजाम है, वे सब डाक के जरिये नोटिस भेज कर नालिश करते हैं । कहा गया कि उनका वसूलयाबी का यह बड़ा अच्छा ढंग है । वही इस क्लाज में भी रखा गया है । एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लिया तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जायेगा कि नोटिस में रक़म गलत हो तो क्या होगा ? यदि वे इस बिल को पढ़ लेते तो इसमें साफ है कि पहले बिल जायगा, उसकी मियाद खत्म होते के बाद ३० दिन के अन्दर रजिस्टर्ड नोटिस जायगा । उन्होंने गलत हिसाब के लिए कहा, तो हिसाब की बात नोटिस में कहां से आ गई ? इसलिये यह क्लाज ठीक है और यह पास होना चाहिए ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, जब से मैं इस सदन में आया हूं, आज मुझे एक ही विधेयक दिखाई पड़ा है जो ऐसा तराजू या पैमाना बन गया है, अक्ल को तोला गया है कि इधर के लोग ज्यादा अक्लमन्द हैं या उधर के । राजनारायण जी ने एक चिट्ठा पढ़ा और उसमें ऐसी पोल खोली कि जिससे पता लगा कि रजिस्टर्ड नोटिस का वादविवाद पूंजीपतियों के लिए बड़ी भारी हिमायत या तरफदारी है । यह नहीं बताया गया कि अगर किसी ने रजिस्टर्ड नोटिस नहीं लिया तो क्या होगा और रजिस्टर्ड नोटिस अगर तामील भी हो गया तो क्या होगा । रजिस्टर्ड नोटिस

[श्री शिवप्रसाद नागर]

के बाद अदालत दीवानी में जाने की जरूरत होगी जहां १२-१२ साल मुकदमें में लग जाते हैं । अगर लैंड रेवेन्यू वसूल नहीं होती है, तो बैल कुर्क होते हैं, मगर इनकी मशीनरी कुर्क नहीं हो सकती और न इनके फाटक पर ताला लग सकता है ।

अभी नारायणदत्त जी ने कहा कि सन् १९५२ के कानून के अनुसार ड्यूटी वसूल क्यों नहीं की गई । श्रीमन्, छोटी सी बात है । इसी हिन्दुस्तान में अंग्रेजी जमाने में एक रियासत के राजा साहब का साला एक जिलेदारी का जिलेदार था । उन्होंने किसानों से लगान वसूल करना शुरू कर दिया और किसी की भैंस और किसी का दूध उठवा लिया । लोगों ने राजा से फरियाद की कि वह बहुत जुल्म कर रहा है । राजा साहब ने मैनेजर के जरिये एक परवाना उसे बुलाने के लिए भेजा । वह नहीं आया । रिआया फिर आई और कहा कि शिकायत करने की वजह से वह और अधिक जुल्म कर रहा है । राजा ने मैनेजर से कहा कि उसे मुअत्तल कर दो । मुअत्तल भी नहीं हुआ और वह जुल्म करता रहा । राजा ने मैनेजर से कहा कि बरखास्त कर दो । बरखास्त भी नहीं हुआ और जुल्म जारी रहा । फिर रियाया आयी और कहने लगी कि हमारे ऊपर अब तो और जुल्म हो रहा है । तो राजा ने कहा कि बुलाया तो आया नहीं, मुअत्तल किया तो मुअत्तल नहीं हुआ, बरखास्त किया तो बरखास्त नहीं हुआ । अब तुम्हीं बताओ क्या करें ? इस तरह से रोज ब रोज कानून बनें और उन पर अमलदरामद न हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता है । सन् १९५२ से आज तक २९ लाख रुपये में से ७ लाख आपका ड्यूटीज के रूप में बकाया है लेकिन आपने उसके लिये कोई एक्शन नहीं लिया । जिनके ऊपर बकाया है उनके लिए तो सीधा-सीधा ऐसा विधेयक होना चाहिए कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट का पैसा बकाया हो, उनके लिए सीधे जेल का फाटक खुला रहना चाहिए । सरकार लखपतियों के लिए जेल का फाटक क्यों नहीं खोलती जिनके ऊपर इतने रुपये बकाया के हैं ? क्या गवर्नमेंट छोटे-छोटे किसानों को ही जेल में बन्द कर सकती है ? श्रीमन्, मैं अभी परसों का एक वाकया अपने जिले का बतलाता हूं कि एक शख्स के ऊपर २६ रुपया बकाया का था जिसको वसूल करने के लिये उसके सारे बैल सात दिन तक कांजी हाउस में बन्द रहे और वह ५७ रुपया कांजी हाउस को देकर अपने बैल को छुड़ा लाया । इस तरह से २६ रुपये के लिये उसे ५७ रुपया देना पड़ा । तो जहां आपका सन् १९५२ से आज तक ७ लाख रुपया बाकी पड़ा है, उसके लिए नोटिस देने का क्या असर होगा ? मैं समझता हूं कि नोटिस देने का कोई परिणाम नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है, आपकी बात तो काफी साफ हो गयी ।

(कुछ ठहरकर)

क्या माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री धर्मसिंह—मुझे यह स्वीकार नहीं है । इसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के प्रथम स्पष्टीकरण की पंक्ति १ में शब्द "भेजा जाना" के स्थान पर शब्द "भेजने पर" तथा पंक्ति २ में शब्द "पर पर्याप्त" के स्थान पर शब्द "को प्राप्त हो जाने पर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

देयों के देने के दायित्व संबंधी आपत्ति के बाद ।

४—(१) जब धारा ३ के अधीन किसी उपभोक्ता पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर कोई मांग का नोटिस तामील हो जाय और यदि वह बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश के दायित्व से इनकार करता हो

तो वह नियत प्राधिकारी के पास लिखित विरोध सहित वह धनराशि जमा करने के पश्चात, इस प्रकार जमा की हुई बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश की वापसी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वाद नियत प्राधिकारी के पास धनराशि जमा करने के दिनांक से छः महीने के भीतर साधिक्षेत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है । किन्तु बाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, मांग का नोटिस उसमें उल्लिखित देयों के संबंध में निश्चायक प्रमाण होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भगवती सिंह विशारद से) ५, ७ मिनट ही विवाद के लिए रह गये हैं, इसलिये अच्छा हो कि आप और माननीय मंत्री जी तक ही यह विवाद सीमित रहे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—श्रीमन्, यह तो बहुत जरूरी संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आप पेश करें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "सहित" से लेकर पंक्ति ६ में शब्द "लिये" तक हटा दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "नोटिस तामील होने के एक मास के अन्दर" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज रूल्स बने हुए हैं और उनके वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह नियम है कि अगर किसी व्यक्ति को ड्यूटीज के सिलसिले में किसी तरह का कोई एतराज हो, किसी कंज्यूमर को कोई एतराज हो तो उससे इतनी ड्यूटी नहीं वसूल होनी चाहिए या उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, तो वह इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रिसिटी इंसपेक्टर के सामने वाद प्रस्तुत कर सकता है और वह इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम १३ के मातहत है जिसकी शब्दावली इस तरह से है :—

"*Disputes between the licensee and the consumer*—In the case of a dispute between a licensee and a consumer, regarding the liability of the consumer for the payment of the duty or exemption therefrom, the Electric Inspector shall decide the matter. An appeal against the order of the Electric Inspector shall lie within three months from the date of order to an authority constituted by the State Government by a notified order."

श्री उपाध्यक्ष—आप चाहें तो खंड ४ पर जो आपके और संशोधन हैं, उन सब को एक साथ ही पेश कर दें और थोड़ा-थोड़ा सब पर बोल लें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "पास धनराशि जमा" हटा दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "निर्णय" रख दिया जाय ।

इसी प्रकार खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ५ में शब्द "होगा" तक निकाल दिये जायं ।

मान्यवर, ये संशोधन मैंने इसलिये प्रस्तुत किये हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में यह दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को ड्यूटी के सिलसिले में कोई एतराज हो तो वह अपना इस प्रकार का वाद इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर के सामने प्रस्तुत कर सकता है और वह अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता है, उससे अपनी सहमति प्रकट कर सकता है और इस पर इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर फैसला करेगा । लेकिन यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें यह अंश जुड़ा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को उस धन के देने में आपत्ति हो तो बजाय इसके कि वह अपनी आपत्ति जाहिर करे उस को सब से पहले तमाम रुपया सरकार की बिजली कम्पनी में जमा करना होगा । यह बड़ी गैरमुनासिब बात है । हर आदमी को जिसके ऊपर नोटिस तामील हो इस बात का

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

अधिकार होना चाहिए कि वह देखे कि जितनी धनराशि का उसके पास नोटिस आया है वह देय है या नहीं, अगर वह देय है और सहमत है तो जमा कर दे, लेकिन अगर असहमत है तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वह किसी अथारिटी या व्यक्ति के पास अपनी असहमति लिखित रूप से या मिलकर जाहिर कर सके कि उसके ऊपर बिजली कम्पनी का इतना पैसा वाजिब नहीं है। अगर इसको हम स्वीकार करते हैं तो बिजली ड्यूटी के सम्बन्ध में जो हक है वह भी छिन जायगा, इसलिये मंत्री जी इसे स्वीकार करें तो यह साधारण नागरिकों के हक में बड़ा अच्छा फैसला होगा और आम जनता को कष्ट न होगा ।

अभी माननीय मंत्री जी ने जब यह बिल प्रस्तुत किया तो वह केवल ९ व्यक्तियों के लिये था, लेकिन जब नोटिस के लिए हवाला दिया तो ४० हजार कन्ज्यूमर्स की बात कही । यह बड़े खेद और आश्चर्य की बात है । मैं इन्हीं ४० हजार कन्ज्यूमर्स के हितों की रक्षा के लिए यह कह रहा हूं कि उनको बड़ी परेशानी होगी । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप, अगर किसी को असहमति हो तो उसे जाहिर करने का एक मौका जरूर दें । लेकिन, अगर जैसा मंत्री जी चाहते हैं वैसा किया गया तो जो अधिकार कन्ज्यूमर्स के हैं वह भी छिन जायेंगे ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि २ मिनट में इतना तो स्पष्ट हो जाय कि माननीय मंत्री जी इस के इस क्लाज को स्वतः समझ लें । इस विधेयक में कितने अधिकार सरकार ले रही है, यह सरकारी पक्ष के समर्थन करने वाले सदस्य भी जरा समझ लें । खंड ३ के अनुसार जो रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया जायगा वही तामील मान ली जायगी । अब जब क्लाज ३ के अधीन इस तरह से जो नोटिस तामील हो जायगा उसमें यह है कि "जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्था को कोई धनराशि देय हो तो नियत प्राधिकारी वह धनराशि बकाया होने के दिनांक से ३० दिन के बाद किसी समय देनदार व्यक्ति के नाम मांग का एक नोटिस तामील कर अथवा करा सकता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा देय धनराशि, तथा वह व्यवसाय-संस्था जिसके संबंध में धनराशि बकाया हो, उल्लिखित होंगे ।

इस में यह है कि अगर किसी छोटे उपभोक्ता पर भी बिजली कम्पनी का १ हजार रुपया बकाया न हो तब भी वह प्राधिकारी के पास नोटिस मिलने पर एक हजार रुपया कहीं से लाकर जमा कर दे और उसके बाद उसे कुछ विरोध करना है तो वह विरोध-पत्र दे । फिर बाद में यदि यह तय होता है कि विरोध उसका सही है तो वह रुपया वापस करने के लिए करबद्ध प्रार्थना करे । क्या इसी को समाजवाद और राष्ट्रीयकरण कहते हैं ? यदि यही है तो ऐसे समाजवाद और राष्ट्रीयकरण से खुदा बचाये । मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस तरह से राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, जनतंत्र और सत्ता के विकेन्द्रीकरण का नाम लेकर सरकार इन पुनीत शब्दों को भी कलंकित कर रही है और सारी सत्ता को अपने हाथ में लेकर जनता के गले पर छुरी चला रही है ।

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय भगवतीसिंह जी ने पेश किये हैं मैं उनका विरोध करता हूं । मैं उनके तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि यदि उनके संशोधन को मान भी लिया जाय तो विधेयक के लाने का मन्शा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है । एक भी रुपया जमा नहीं हो सकेगा । उपभोक्ता पहले रुपया जमा करे, और अगर उसको तकलीफ है तो पहले लिखकर दे और बाद में निर्णय होने के बाद उसे लौटा दिया जायगा । इस अभिप्राय से यह लाया गया है । मुझे इसमें अधिक नहीं कहना है । इस पर काफी बहस हो चुकी है । जो संशोधन आपने पेश किये हैं मैं उनका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "सहित" से लेकर पंक्ति ६ में शब्द "लिये" तक हटा दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "नोटिस तामील होने के एक मास के अन्दर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष----प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "पास धनराशि जमा" हटा दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "निर्णय" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष----प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "किन्तु" से लेकर पंक्ति ५ में शब्द "होगा" तक निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष----प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५---बकाया धनराशियां जिनके निमित्त मांग का नोटिस तामील हो गया हो, यदि तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जिसकी नियत प्राधिकारी अनुज्ञा दे न जमा की जाय तो वे वसूली के उस व्यय सहित जो नियत किया जाय मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेंगी, भले ही किसी विधि या करण या अनुबन्ध में कोई विरोधी बात हो ।

देयों कीय वसूली अन विधि तथा अनुबंध की प्रवृत्ति ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मान्यवर, इसमें भी मैं अपने संशोधन को संशोधित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिये कि मूल संशोधन जो पहले थे उनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया । तो मेरा संशोधन यह है कि धारा ५ निकाल दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---यह संशोधन नहीं है आप विरोध में बोलिये ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मान्यवर, मैं यह समझता था कि जिस समय मैं मध्यम श्रेणी के लोगों के कष्टों को सामने रखूंगा तो उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस बात में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि अच्छी बात भी किसी तरह से नहीं मानेंगे । यदि धारा ४ की उपधारा (२) में जो संशोधन दिये थे वह स्वीकार हो जाते तो बाद को इस संशोधन से प्रयोजन निकलता, नहीं तो यह निरर्थक हो जाता है । ऐसी हालत में मैं यही समझता हूं कि अपने संशोधन में यह संशोधन पेश करूं कि धारा ५ निकाल दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---आप खंड ५ का विरोध कर रहे हैं । ऐसी दशा में कोई संशोधन आपका नहीं है सदन के सामने ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---उसको पृथक कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बोल चुके ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---जी हां ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल के अन्त में, पता नहीं यह कार्यान्वित होगा या दफनाया जायगा, एक बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । हमारे नेता ने मांग की थी कि यह बिल ही बिलकुल निकम्मा है । यह निकाल दिया जाय, तो इसका निकम्मापन पूरा साबित हो जायगा । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा कानून या किसी भी ऐक्ट में किसी भी सरकारी ड्यूज को वसूल

[श्री उग्रसेन]

करने के लिये ऐसी कोई व्यवस्था है कि पहले रुपया जमा कर दे, बाद में सुनवाई होगी ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर प्रकाश डालगे ।

श्री उपाध्यक्ष---यह खंड ४ में है । आप खंड ५ के बारे में बोलें ।

श्री उग्रसेन---यदि मिल मालिकों के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिये । जनता को फांसी न दीजिये । इसलिये धारा ५ बिल्कुल निकम्मी है जैसा बिल निकम्मा है । मैं माननीय भगवतीसिंह विशारद के संशोधन का समर्थन करता हूं । जिनके पास बकाया हो उनको आप फांसी लटका दें, लेकिन आम जनता के ऊपर यह हिटलरी तलवार न इस्तेमाल करें ।

श्री धर्मसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खंड ५ को निकालने की बात कही गयी है मुझे बिलकुल स्वीकार नहीं है । और यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाय, जैसा वह चाहते हैं तो जो इस विधेयक के लाने का अभिप्राय है वह समाप्त हो जाता है । अगर हम अपना किसी प्रकार से धन वसूल नहीं कर सकते हैं तो यह बतलाया गया है कि जो कायदा लैंड रेवेन्यू वसूल करने का होता है उस प्रकार से करेंगे । यदि यही निकल जाता है तो विधेयक की मंशा समाप्त हो जायगी । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक शंका मैं रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी शायद विधेयक को पढ़े न हों । अब हमको शंका हो रही है, क्योंकि इसमें एक बात और छिपी है कि उसके वसूल करने में जो खर्चा नियत किया जाय कितना खर्चा ? लिखा हुआ है कि "वे वसूली के उस व्यय सहित जो नियत किया जाय मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेंगी"---अब ऐसा भी हो सकता है कि जितने बड़े बाले मियां नहीं, उससे बड़ी पूंछ । जितना बकाया न हो उससे ज्यादा उसकी वसूली में सरकार व्यय कर दे । तो कितना अनर्थ हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

नियम बनाने का अधिकार ।

६---(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है ।

(२) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, इन नियमों में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:---

(क) नोटिस का रूप तथा रीति जिस से वह तामील किया जाय,

(ख) मांग के नोटिस के व्यय तथा वसूली के व्यय,

(ग) अन्य कोई विषय जो नियत करना हो अथवा किया जाय ।

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८

सरकारी व्यवसाय-संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली बिजली-शक्ति के देयों की शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि सरकारी व्यवसाय-संस्थाओं द्वारा दी गई बिजली के देयों की शीघ्र वसूली के लिए व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम,
(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। — प्रसार तथा
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। — प्रारम्भ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६, प्रस्तावना और शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८, [U. P. Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1958] पारित किया जाय।

मुझे इस में कुछ नहीं कहना है, काफ़ी विवाद हो चुका है और काफ़ी बातें आगयी हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के विरोध के लिए खड़ा हुआ हूं। और आपके द्वारा मंत्री जी से और सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को पास करने से बढ़कर इस सदन के ऊपर कोई दूसरी कलंक की बात नहीं है। बस मैं एक ही बात में निवेदन करूंगा कि इस विधेयक से बढ़कर के प्रतिक्रियावादी, जनहित विरोधी, अवसर वादी, तानाशाही, एकाधिपत्य जनक कोई दूसरा विधेयक नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि उन ९ मिल मालिकों को, जिनके नाम हमने सूचीक्रम से पढ़े, जेल में ले जाने का एक लाइन का विधेयक भी सरकार लाती, जिनके ऊपर २७ लाख के करीब रुपया बकाया है, उनको अगर सरकार जेल में ले जाकर रखती तब तो मैं समर्थन करता। मगर इसका इशारा करके आम जनता के गले पर छुरी चलाने की इस सरकार की मनोवृत्ति के हम विरोधी हैं और विधेयक के तो घोर विरोधी हैं, क्योंकि इसके जरिये से किसी व्यक्ति के सम्मान, इज्जत और हक की हिफ़ाजत नहीं हो सकती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी हालत में इस विधेयक को सदन पारित न करे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८, [U. P. Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill [1598] पारित किया जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस से फंडामेंटल उसूलों का सम्बन्ध है । इसलिये लाबी में जा कर के दस्तखत करने की अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि यह सदन तय कर चुका है कि यह विधेयक ५ बजे तक पास हो जायगा और अगर मैं ऐसी व्यवस्था करूं तो ऐसा होने में सन्देह हो सकता है । इसलिए मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करने में असमर्थ हूं । जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों. . . . . .

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी है कि अगर लाबी में चले जायेंगे और समय बढ़ाने की बात होगी तो वह अपने आप बढ़ा देंगे । मैं आपको याद दिलाता हूं, जब मेरे अविश्वास के प्रस्ताव पर मत देने का सवाल था उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, उस समय उन्होंने यह कहा था जब कि आप लाबीज में जा चुके थे । अभी तो वह प्रश्न ही नहीं है । मैं उसको मुनासिब नहीं समझता । माननीय अध्यक्ष महोदय ने तो यह व्यवस्था तब की थी जब आप लाबीज में दस्तखत करने चले गये थे और उसके बाद प्रश्न पैदा हुआ था । मैं तो आपकी उस प्रार्थना को ही स्वीकार नहीं कर रहा हूं । इसलिये वह प्रश्न नहीं उठता ।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) विधेयक, १९५८, पारित किया जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ ।

पक्ष में---११७,

विपक्ष में---५२ ।)

स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---अब मुझे कुछ सूचना देनी है । उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ बोर्ड और किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम भुवाली के लिए नामों की वापसी की तारीख खत्म हो गई । उसमें श्री मुक्तिनाथ राय, श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा और श्री तेजासिंह ने अपने नाम 'स्टेट हेल्थ बोर्ड' से वापस ले लिये । संख्या ५ थी । अब भी संख्या से ज्यादा सदस्य हैं इसलिये इसके लिए भी जैसी पहले सूचना दी गई थी १४ फरवरी को ११ से ३ बजे के बीच में विधान वाचनालय में मत पड़ेगा ।

इसी तरह से किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम भुवाली के लिए भी जो नाम थे उनमें से श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा तथा श्री गोविंदसिंह ने अपने नाम वापस ले लिये हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, क्या नाम लिया ?

श्री उपाध्यक्ष---एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली ।

श्री राजनारायण---एडवर्ड सप्तम का नाम चल रहा है अभी ?

श्री उपाध्यक्ष—तो उसमें भी दो ही जगहें हैं और चूंकि नाम जगहों से ज्यादा हैं इसलिय पूर्व सूचना क मुताबिक १४ फरवरी को ११ बजे से ३ बज तक इसके लिए भी मत पड़ेगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
१० फरवरी, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

ग्राम मोलनापुर तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में गांव पटाई हेतु किये गये कार्यों तथा भुगतान का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम-संख्या	ठेकेदार का नाम	ठेके की तिथि	कार्य जिसका ठेका हुआ लाख क्यूबिक फिट में	कार्य जो किया गया लाख क्यूबिक फिट में	भुगतान की रक़म		भुगतान की तिथि	ठेकेदार का जो बकाया है
१	२	३	४	५	६		७	८
				फिट में	रु०	रु०		
१	श्री विश्वनाथ मिश्र ..	१७-५-५६	२ लाख	२,०३,४८६	२,४४२		९-८-५६	कुछ नहीं।
२	संचालक ग्राम सेवा केन्द्र, दुबारी (हस्ताक्षर कर्त्ता श्री मंगलदेव, संचालक)	२७-४-५६	४	४,०६,४७३	४,८७८	१,०३२ ६७२ २,३२० ८५४	३-८-५६ २३-८-५६ २४-३-५७ २७-७-५७	कुछ नहीं।
३	श्री बृजनाथ	२४-७-५६	४	४,३२,८००	५,१९४	..	२३-११-५६	कुछ नहीं।
४	संचालक ग्राम सेवा केन्द्र दुबारी (हस्ताक्षर कर्त्ता श्री मंगलदेव संचालक)	९-७-५७	१.१	१,१४,०००	१,३६८	..	१७-१२-५७	कुछ नहीं।

५	श्री अब्दुल वहाव	११–४–५७	३	२,६२,४००	३,५५४	२,४७३ १,०८१	२९–६–५७ २५–११–५७	कुछ नहीं।
६	श्री विश्वनाथ मिश्र	११–४–५७	२	१,९०,९११	..	..	..	२,३९९ रुपये का फाइनल बिल हो चुका है। ठेकेदार भुगतान लेने नहीं आया।
७	श्री श्रीचन्द्र	११–४–५७	३	२,७१,९८१	३,६३४	१,८६६ ६२७ १,१४१	२८–६–५७ २३–८–५७ २५–११–५७	कुछ नहीं।

सिंचाई मंत्री

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८८—एल० ए०—१९५८—८१०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा